पंचम माला, खंड 50 अंक 8 शुक्रवार, 16 जनवरी, 1976/26 पौष, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LV No. 8 Friday, January 16, 1976/Pausa 26, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पंद्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 50 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

Price : Two Rupees

मूल्य : दो रुपये

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

2390 LS—1.

विषय-सूची/Contents

अंक 8, शुक्रवार, 16 जनवरी, 1976/ 26 पौष, 1897 (शक)

No. 8, Friday, January 16, 1976/Pausa 26, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 141, 142, 144, 145, 147 से 152 और 155	Starred Questions Nos. 141, 142, 144, 145, 147 to 152 and 155	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 143, 146, 153, 154 और 156 से 160	Starred Questions Nos. 143, 146, 153, 154 and 156 to 160	19—22
अतारांकित प्रश्न संख्या 669 से 677, 679 से 688, 690 से 704 और 706 से 741	Unstarred Questions Nos. 669 to 677, 679 to 688, 690 to 704 and 706 to 741 . .	22—61
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	61—65
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha . . .	65
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक	Bills as passed by Rajya Sabha . . .	66
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
183वां और 186वां प्रतिवेदन	Hundred and eighty-third and Hundred and eighty-sixth Reports	66
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
85वां प्रतिवेदन	Eighty-fifth Report	66
पटना में बाढ़ के बारे में वक्तव्य—	Statement on Patna Floods—	
जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	67—69
सभा का कार्य	Business of the House	69—70
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक—	Unit Trust of India (Amendment) Bill—	
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	71
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . . .	71

किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S.R. Damani	72
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	72—73
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	74
बरमाशैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक—	Burmah Shell (Acquisition of Under takings in India) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री के० डी० मालवीय	Shri KD.Malaviya	71—76, 81—83
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M.Banerjee	76—77
श्री राम सहाय पांडेय	Shri R.S. Pandey	77
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	77—78
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyya . .	78
श्री इराज्मु द सैकेरा	Shri Erasmo de Sequeira . . .	79
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	80
डा० हेनरी आस्टिन	Dr.Henry Austin	80—81
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	84
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Comittee on Private Members' Bill and Resolutions—	
58वां प्रतिवेदन	Fifty-eighth Report . . .	84
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—	Resolution *re* report of Commission of Inquiry into the Disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose—	
श्री फ़० एच० मोहसिन	Shri F.H.Mohin	85—86
20 सूत्रीय कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में संकल्प—	Resolution *re* Implementation of 20-Point Programme—	
श्री विभुति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	87—88
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	89—91
श्री डी० न० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	91
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya	91—93
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	93
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira	94
श्री बसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	94—95
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	95—96
श्री नरसिंह नारायण पांडेय	Shri Narsingh Narain Pandey . .	96

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (बारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एगती श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोब्निन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० एं० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री बी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)

किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बूटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णसाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी श्री सोमनाथ (वर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनलुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एम० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)

तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पचनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० वी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)

पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)

परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)

पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)

पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)

पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)

पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)

पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)

पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)

पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)

पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)

पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)

पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)

पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)

पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)

पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)

पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)

पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)

पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)

पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)

पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)

पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)

पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)

पिल्लै, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)

पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)

पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)

पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)

प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)

प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)

प्रबोध, चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)

बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)

बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)

बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)

बडे, श्री आर० वी० (खरगोन)

बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)

बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)

बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)

बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)

बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)

बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)

बाबूनाथ सिह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)

बालकृष्णन्, श्री के० (अम्बलपुजा)

बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)

बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)

बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)

वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)

बूटा सिंह, श्री (रोपड़)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)

बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)

ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)

ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)

ब्राह्मण, श्री रतनलाल (डार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दल्ली)

भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)

भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)

भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुग्रा)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (ग्रजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (ग्रडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (ग्रमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (ग्रहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुवनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (ग्रमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (ग्रमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)

मोहम्मद यूसूफ, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शरद, (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन् श्री एस० (कुडलूर)
रामकंवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्ट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० सजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी , श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)

रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री परेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ़्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)

शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)

शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)

संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)

सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा ग्रमीनदीवी द्वीपसमूह)

सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)

सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)

सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)

सम्भली, श्री इसहाक (ग्रमरोहा)

सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)

सांगलियाना, श्री (मिजोरम)

सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)

साठे, श्री वसन्त (ग्राकोला)

सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)

सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)

साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)

सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)

साविवी, श्याम श्रीमती (ग्रांवला)

साहा, श्री ग्रजीत कुमार (विष्णुपुर)

साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)

सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)

सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)

सिन्हा, श्री ग्रार० के० (फ़ैजाबाद)

सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (ग्रौरंगाबाद)

सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)

सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)

सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)

सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)

सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)

सिंधिया, श्रीमती वी० ग्रार० (भिंड)

सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)

सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)

सुब्रावलु, श्री (मयूरम)

सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)

सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोग्रा)

सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)

सेठी, श्री ग्रर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

सेन, डा० रानेन (बारसाट)

सेन, श्री रोबिन (ग्रासनसोल)

सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)

सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)

सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)

सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)

सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (ग्रानन्द)

सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)

स्टीफन, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)

स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)

स्वामीनाथन, श्री ग्रार० वी० (मुदुरै)

स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)

स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)

हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुजी)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नुरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भलो

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रीमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसी लाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढिल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागरिक विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एस० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 16 जनवरी, 1976/26 पौष, 1897 (शक)

Friday, January 16, 1976/ Pausa 26, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बैंकिंग और वित्त के बारे में यूगोस्लाविया के साथ बात-चीत

***141. श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूगोस्लाविया के बीच बैंकिंग और वित्त के बारे में हाल में कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। वित्त और बैंकिंग के क्षेत्र में सहयोग की भारत-यूगोस्लाव उप-समिति की बैठक 24 अगस्त से 30 सितम्बर, 1975 तक बेलग्राड में हुई थी ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

बेलग्राड की बैठक में यूगोस्लाविया ने भारत-यूगोस्लाविया व्यापार के परिणामस्वरूप अदायगियों का निबटान करने के लिये विदेश स्थित भारतीय बैंकों की सेवाओं का उपयोग करने का वचन दिया है। इससे हमारे विदेश स्थित बैंकों को अतिरिक्त कारबार मिलेगा। इस उप-समिति ने अदायगियों से सम्बन्धित विभिन्न अनिर्णीत समस्याओं पर भी विचार किया, जिनमें पौण्ड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के कारण उत्पन्न दावों को निबटाने और भारतीय फर्मों द्वारा यूगोस्लाविया की फर्मों को रुपयों में की जाने वाली अदायगियों तथा यूगोस्लाविया की भारत में

रुपयों के रूप में पड़ी अतिरिक्त रकमों के उपयोग किये जाने से सम्बन्धित समस्यायें शामिल हैं। उप-समिति ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्धों की भी समीक्षा की और यूगोस्लाविया, भारत और अन्य देशों में संयुक्त उद्यम खोलने से सम्बधित समस्याओं पर भी विचार किया। अन्त में उप-समिति ने गुट-निरपेक्ष देशों की बैठकों में आर्थिक और वित्तीय मामलों से सम्बन्धित समस्याओं पर किये गये संकल्पों की समीक्षा की और वित्तीय क्षेत्र में विकासशील देशों में निकट सहयोग की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की जिससे इन बैठकों में घोषित आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत-यूगोस्लाविया उप-समिति की बैठक गत फरवरी में इन दोनों देशों की 9वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में हुई थी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जी हां।

श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या भारत और यूगोस्लाविया के बीच हुई वार्तालाप से कोई ठोष परिणाम निकले हैं और यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सदस्य महोदय का संकेत शायद बेलग्रेड में हुई उप-समिति की विशेष बैठक की ओर है और यदि ऐसा है तो मैं समझती हूं कि उससे काफी सहायता मिली है और अनेक बातों पर ठोस निर्णय हुये हैं।

गैर-बैंककारी निगमित क्षेत्र में जमा राशि में वृद्धि

*142. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-बैंककारी निगमित क्षेत्र में जमा राशि में हुई कथित आश्चर्यजनक वृद्धि पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस बारे में राज ग्रुप की सिफारिशें क्रियान्वित करने का है;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(घ) क्या इसके लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित गैर-बैंकिंग कम्पनियों सम्बन्धी अध्ययन-दल ने अपनी सिफारिश तैयार करते समय यह देखा कि ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनसे यह पता लगता है कि जमाओं पर गैर-वित्तीय कम्पनियों की निर्भरता बढ़ोतरी पर है। सरकार इस अध्ययन-दल की इन मोटी-मोटी बातों से सहमत है कि (क) गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमाओं की स्वीकृति पर पूर्ण रूपेण पाबन्दी तो न लगाई जाये किन्तु इसे हतोत्साहित किया जाये तथा उत्पादक-प्रयासों में बाधा डाले बगैर, समय के साथ इसे घटाया जाये; और (ख) अन्तिम उद्देश्य यह होना चाहिये कि इन जमाओं की और वृद्धि हतोत्साहित हो तथा धीरे-धीरे इसे इस तरह कम किया जाये कि वे उद्योग और व्यापार के वित्त पोषण का एक मुख्य साधन न रह जायें।

अध्ययन-दल की सभी मुख्य सिफारिशों को मान लिया गया है तथा उनके शीघ्र कार्यान्वियन के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। इन सिफारिशों में से कुछ में विधायी कार्यवाही करनी होगी और इनके शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या गैर-बैंककारी कम्पनियों में निवेशों में हुई अत्यधिक वृद्धि का कारण रिजर्व बैंक द्वारा लागू किये गये वित्तीय नियंत्रण से बचने का प्रयास है और इससे उन नीतियों के प्रभाव कम हुये हैं।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : पहली बात तो यह है कि इनमें अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है। मार्च के अन्त तक ऋण वृद्धि 10 प्रतिशत थी जब कि 1972 में यह 9.7 प्रतिशत और 1975 में 11 प्रतिशत थी। रुपयों में यह राशि 13 सौ करोड़ रुपये है जब कि राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि 13 हजार करोड़ रुपये है।

दूसरे, गैर-बैंककारी कम्पनियों और वित्त पोषक कम्पनियों में जमाओं पर होने वाले प्रभाव के बारे में भी हम कुछ कदम उठा रहे हैं। उदाहरणार्थ, यदि कम्पनियां अपनी छोटी-मोटी आवश्यकताओं के लिये उन कम्पनियों से धन एकत्र करती हैं तो वाणिज्यिक बैंक उक्त कम्पनी विशेष को दिये जाने वाले ऋण की सीमा निश्चित करते समय उसके द्वारा इस प्रकार उगाही गई राशि का भी ध्यान रखते हैं। जमा करने वालों के हितों का ध्यान रखने के लिये रिजर्व बैंक ने हिदायतें दे रखी है कि कम्पनियां प्राथना-पत्र या विज्ञापन देते समय अपनी वित्तीय स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के जमाओं का सट्टेबाजी के लिये कहां तक प्रयोग किया जाता है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : सट्टेबाजी के लिये सही सही प्रतिशतता बता पाना बहुत कठिन है। परन्तु सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये सभी उपाय किये हैं कि सट्टेबाजी के लिये जमाओं का कम से कम उपयोग किया जाये।

श्री एस० आर० दामाणी : मैं जानना चाहता हूं कि उक्त जमाओं को कहां तक उत्पादन कार्यों पर खर्च किया जाता है और क्या यह तरीका बैंक से लिये जाने वाले ऋण से सस्ता पड़ता है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : सही सही राशि बताना तो मेरे लिये कठिन है। मूल प्रश्न के उत्तर में इसे घटाने के लिये किये गये उपायों के बारे में मैं बता ही चुका हूं। साथ ही हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पादन कार्य में बाधा न पड़े। और इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि इससे देश में उत्पादन कार्य में सहायता मिलती है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्योंकि सरकार ने बैंकों से हरेक को ऋण लेने पर पाबन्दी लगा रखी है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार बड़ी कम्पनियां सरकार की ऋण नीति को असफल करने का प्रयास नहीं कर रही हैं क्योंकि वे जनता से अधिक ब्याज का लालच देकर ऋण ले रही हैं और उनका प्रयोग सट्टेबाजी में करके अधिक लाभ कमा रही हैं। इस सन्दर्भ में क्या सरकार तुरन्त ऐसे कदम उठाएगी जिससे इसे रोका जा सके ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं बता ही चुका हूं कि चयन वाली ऋण नीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव इसलिये नहीं पड़ता क्योंकि जमाओं की कुछ सीमायें हैं। ये राशि प्रदत्त पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती और साथ ही कुछ श भी होती हैं। रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले निदेशों का पालन करना होता है। जमाकर्ताओं के लिये प्रकाशित विज्ञापनों में अपनी वित्तीय स्थिति स्पष्ट करनी होती है और जमाकर्ता उन्हें ऋण देकर जोखिम उठाते हैं जिसे गैर बैंककारी कम्पनियों में जमा करना हतोत्साहित होता है। इस प्रकार सरकार की ऋण सम्बन्धी नीति विफल नहीं होती क्योंकि कम्पनियों के लिये सीमा हम निर्धारित करते हैं और इन तरीकों से उनके द्वारा उगाही गई धन राशि का हिसाब रखते हैं।

Arrears of Income-Tax against Firms and Individuals

*144. **Shri Shankar Dayal Singh** :

Will the **Minister of Finance** be pleased to state:

(a) The names of persons or firms in the country against whom arrears of Income tax amounting to more than rupees 50 lakhs are out standing;

(b) the amount of Income tax outstanding against each of them; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to realise the same ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना इकट्ठी करने में जितना परिश्रम लगेगा, वह सम्भवत: प्राप्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष व्यक्ति अथवा फर्म की तरफ बकाया आयकर की रकम के बारे में जानकारी चाहें तो वह इकटठी करके दी जा सकती है।

(ग) बकाया की रकमों को वसूल करने के लिए, आयकर अधिनियम 1961 में दिये गये उपाय, प्रत्येक मामले की परिस्थिति के अनुसार किये जाते हैं।

Shri Shankar Dayal Singh : I want to know whether some of these persons have disclosed their black money voluntarily and whether Government propose to set down a time limit for realisation of arrears of income tax from them ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक बकाया का प्रश्न है हमने सभा में अनेक प्रश्नों के उत्तर दिये हैं। किये गये अनेक उपायों के बारे में भी बताया जा चुका है। पिछले सत्र में आयकर अधिनियम का संशोधन भी लाया गया था। बकाया राशि कम करने के लिए विभिन्न उपाय किये जाते हैं। एक बात का ध्यान रखना होगा कि विभाग में लेखाकार्य इस प्रकार का होता कि प्रतिवर्ष 31 मार्च को कुछ न कुछ बकाया अवश्य रह जाता है। यह इसलिये होता है क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च में पूरे किये गये कर निर्धारण 31 मार्च तक बकाया न रहें। कभी कभी कर निर्धारणों को न्यायालयों में चुनौती दी जाती है इसलिये जब हम 31 मार्च को बकाया कुल राशि बताते हैं तो वही राशि वास्तव में बकाया नहीं होती इसीलिये कभी कभी हम कुल और शुद्ध राशि बताते हैं परन्तु मेरे लिये यह बताना कठिन होगा कि सभी बकाया का कब तक पूरा पूरा भुगतान हो जायेगा।

Shri Shankar Dayal Singh : The Ministry has recently been generous enough to grant one month's additional salary to its I.T.O's. I want to know whether Government will penalise such I.T.O's. as have not realised the income-tax arrears from assessees in their jurisdiction or whether they will also be rewarded ?

अध्यक्ष महोदय : बकाया वसूल न करने वालों को इनाम दिया जायेगा या दण्ड दिया जायेगा ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : सदस्य महोदय को यह नहीं समझ लेना चाहिये कि वे इसे वसूल नहीं कर रहे हैं। वास्तव में उन्होंने बजट अनुमानों से कहीं अधिक राशि वसूल की थी। यह राशि 170 से 175 करोड़ रुपये तक की है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के अनुसार आयकर की बकाया राशि इतनी अधिक होने का मुख्य कारण आयकर अधिकारियों द्वारा अधिक कर निर्धारण की आदत है और वे ऐसी आय पर भी कर ठोंक देते हैं जो करदाताओं द्वारा कभी अर्जित नहीं की होती और इस तरह वास्तव में आयकर के बकाया प्रश्न ही नहीं उठता।

यह बीमारी चली आ रही है। यदि हां, तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मुकदमेंबाजी चल ही रही है या क्या यह राशि करदाताओं के मत्थे मढ़ी जाती है जिसके लिये उन्हें मुकदमें करने पड़ते हैं और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि आयकर अधिकारी अत्यधिक कर-निर्धारण न करें जो इस विभाग में भ्रष्टाचार का एक कारण है ? और उन अधिकारियों को दण्ड दिया जाये ? क्या इस प्रकार के बढ़े चढ़े निर्धारणों को रोकने के लिये न्यायाधिकरण स्तर पर करदाता को खर्च दिलाने पर विचार किया जाएगा ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : शायद यह सुझाव बहुत कठोर होगा क्योंकि आयकर अधिकारी अपनी ओर से ठीक ही करता होगा और यदि हम यह कहें कि करदाता को मिलने वाली राहत के साथ-साथ खर्चा भी मिले तो यह काफ़ी कठोर सुझाव होगा और मैं इसे नहीं मान सकता। **(व्यवधान)**

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : नहीं, नहीं। खर्चा सरकार को देना होगा न कि आय कर अधिकारियों को।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्योंकि ऐसे व्यक्तियों या फ़र्मों की संख्या बहुत अधिक नहीं होगी जिनके विरुद्ध 50 लाख रुपये या इससे अधिक की राशि बकाया है, और जिनके बारे में विभाग को विशेष रुचि होनी चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनके नाम बताने के लिए अब भी यह बहाना करेगी कि ऐसा करना परिश्रम के अनुकूल नहीं होगा। उनके नाम तो प्रकाशित किये जाने चाहिएं, विशेषकर सरकार की इस सम्बन्ध में हाल की नीति के सन्दर्भ में ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मुझे यही कहना है कि हमें विभिन्न केन्द्रों से सूचना एकत्र करनी पड़ती है---चार केन्द्रीय डिविजनों के अतिरिक्त हमारे 20 आयकर केन्द्र हैं और हम बड़े-बड़े करदाताओं के बारे में जानकारी सम्बन्धी फ़ाइलें रखते हैं। यदि हम आपको यह सूचना देना चाहें तो इसमें कुछ समय तो लगेगा ही। इसके अलावा यदि मुझे ठीक याद है तो उनकी संख्या 100 से अधिक है इसलिए मेरा कहना यह है कि यदि सदस्य महोदय की किसी फर्म विशेष के बारे में जानने में रुचि है तो हम वह सूचना एकत्र करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इस समय वह उपलब्ध नहीं है। हमें ऐसी सूचना देने में कोई आपत्ति नहीं है **(व्यवधान)**

श्री एच० एन० मुकर्जी : आप इसे बाद में सभा-पटल पर रख दें। मैं किसी व्यक्ति या फर्म विशेष के बारे में कैसे जान सकता हूं। मेरा सम्बन्ध किसी व्यक्ति से नहीं है बल्कि पूरी

स्थिति से है। मंत्री महोदय को सभा में यह सूचना देनी चाहिये। आप उसे सभा-पटल पर अपने आप ही रख दिया करें और सदस्यों से व्यक्तियों या फ़र्मों के नाम न पूछा करें। मैं यह कैसे जान सकता हूं कि कौन दोषी है ?

अध्यक्ष महोदय : इस सुझाव पर मंत्री महोदय विचार कर सकते हैं।

श्री वसन्त साठे : क्योंकि एक लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या देश में 38 लाख कुल करदाताओं में से 20 हजार से भी कम है, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं बताया है कि 50 लाख रुपये से अधिक बकाया आयकर वाले निर्धारितियों की संख्या 100 से कम है, मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें उनके नाम बताने में क्या कठिनाई है ? यदि वास्तव में उन्हें कोई कठिनाई है तो ठीक है। कम से कम वह हमें उनकी ठीक ठीक संख्या तो बता ही सकते हैं। यदि वह आप को, सन्तोषजनक ंग से अपनी कठिनाई बता दें तो ठीक है वरना उन्हें 50 लाख से अधिक के आयकर बकाया वाले करदाताओं के नाम बताने में क्या आपत्ति है ? हम उनके ''स उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं कि यह जानकारी मेहनत के अनुरूप नहीं होगी। उनके नाम बताना राज्य के हित में क्यों नहीं होगा ? हमें कम से कम यह तो पता चले जब तक कि आप इस प्रश्न को अस्वीकृत न कर दें, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। हमें उन फ़र्मों पर बकाया आयकर की कुल राशि बताई जानी चाहिए और उन फ़र्मों की संख्या भी बताई जाये ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : दस लाख रुपये से अधिक के बकाया वाले करदाताओं की संख्या भी 800 है। महोदय, यहां मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी हम से यह प्रश्न पूछा गया था कि उन शेयरधारियों की सूची दी जाये जिनके घरों पर छापे मारे गये। महोदय, इसमें बहुत समय लग जाता है। अतः मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं।

श्री सन्त साठे : महोदय यह उन्होंने क्या उत्तर दिया है ? मैंने उनसे 50 लाख से अधिक बकाया वालों के बारे में पूछा था।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : उनकी संख्या 100 से अधिक है।

श्री राम सहाय पाण्डे : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हजारों मामले गत 10, 15, 20 वर्षों से बकाया हैं और निपटाये नहीं गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे उपाय करने के बारे में गम्भीरता से सोच रही है जिनसे समझौता हो जाये और बकाया राशि वसूल हो सके ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : श्रीमान जी, इसमे कोई शक नहीं कि इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है। परन्तु मैं समझता हूं कि सदन तथा माननीय सदस्य को जानकारी है कि प्रवर समिति ने समझौता आयोग के बारे में सुझाव दिया था और संशोधन अधिनियम में इसकी व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्य जो उपाय सुझाना चाहते हैं वह सम्भवतः काफ़ी हद तक समझौता आयोग द्वारा पूरा हो सकेगा।

अनधिकृत विद्युतचालित करघे

***145. श्री धामनकर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनधिकृत रूप से चलाये जा रहे विद्युतचालित करघों के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या क्या है; और]

(ग) क्या वर्तमान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में निर्धन व्यक्तियों के रोजगार पर कोई बुरा प्रभाव डाले बिना ऐसे अनधिकृत विद्युतचालित करघों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). अनधिकृत विद्युतचालित करघों का कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) निम्नोक्त सामान्य लेवी के स्थान पर 400 रुपये प्रति करघे की दर से दण्ड मिश्रित लेवी लगाई जा सकती है :

पहले 1–2 करघे-- 50 रु० प्रति करघा प्रति वर्ष

अगले 3–4 करघे--100 रु० प्रति करघा प्रति वर्ष

अगले 5–49 करघे--200 रु० प्रति करघा प्रति वर्ष

श्री धामनकर : श्रीमान जी, यद्यपि यह निर्णय काफ़ी देर से लिया गया है और अब तक काफ़ी अपवंचन हो चुका है परन्तु फिर भी मैं वाणिज्य मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अनधिकृत करघों के बारे में निर्णय ले लिया है। इस सम्बन्ध में लाखों रुपयों का अपवंचन हो चुका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह 400 रुपये प्रति करघा की लेवी वार्षिक लेवी है या यह विद्युत्चालित करघों को अधिकृत रूप दिलवाने के लिए है और 400 रुपया देने के बाद करघों को कपड़ा आयुक्त से परमिट मिल जायेगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन्हें परमिट नहीं मिलेगा।

श्री धामनकर : श्रीमान जी, विद्युत्चालित करघों का वित्त तथा वाणिज्य दोनों ही मंत्रालयों का नियंत्रण रहता है। चूंकि लेवी की राशि 50 रुपये प्रति करघा से बढ़ा कर 400 रुपये प्रति करघा कर दी गई है और साथ ही वहां काफी भ्रष्टाचार भी है, इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अपवंचन रोकने तथा दण्डात्मक लेवी की पूरी पूरी राशि को एकत्रित करने के लिए सरकार क्या ठोस तथा कड़े उपाय करना चाहती हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसे लागू करने का मुख्य दायित्व उसी राज्य का होता है जिस में कि अनधिकृत मिलें स्थित होती हैं। हमने राज्य सरकारों से कड़ी कार्यवाही करने के लिए कह दिया है। जहां कहीं इस प्रकार के मामले हमारे नोटिस मे लाये जाते हैं, वहां हम भी कानून के अन्तर्गत पूरी कार्यवाही करते हैं।

श्री धामनकर: यह कार्यवाही राज्य सरकारों को नहीं बल्कि आबकारी विभाग को करनी पड़ती है।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय ने कहा कि अनधिकृत रूप से चलाये जा रहे विद्युत्-चालित करघों की सरकार के पास विश्वस्त जानकारी नहीं है। अत: क्या वह हमें अपने अविश्वसनीय जानकारी के आधार पर यह बतायेंगे कि अनधिकृत रूप से चलाये जा रहे करघों की संख्या कितनी है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : लोगों के अनुसार इनकी संख्या 1 लाख कही गई है और यही हम भी सुनते आये हैं।

Shri Jagannath Mishra : Sir, what to speak of authorised and unauthorised looms, the powerloom has adversely affected the handloom industry. Consequently, the handloom workers are coming to cities. In may constituency alone, more than four thousand workers are starring and they are running towards Bombay and other cities. In this context, I would like to know from hon. Minister as to what sort of incentives and facilities are being provided to handloom workers.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस तथ्य को सभी मानते हैं कि विद्युत्चालित करघों का हथकरघा उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसीलिए अब निम्न मदों को केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया है। रंगीन धागे से बनी धोतियां, 'लो रीड़ पिक' कपड़ा, सभी प्रकार की रंगदार साड़ियां, झाड़न, बुरदार तौलिये, या बराजा थौरथु तौलिये। इनके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युतचालित करघा उत्पाद हथकरघा उत्पादों के रूप में न बेचे जायें, अब हम ने विद्युतचालित करघे वाले उत्पादों के लिए, अपने उत्पादों पर अपना निशान लगाना तथा कपड़ों पर परमिट नम्बर लिखना अनिवार्य बना दिया है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहन

***147. श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने निर्यात क्षेत्र को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है।

स्वीकृत नीति के अनुसार बैंक ऋण देने के मामले में निर्यात को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इस नीति के अनुसरण में, रिजर्व बैंक ने निर्यात-ऋण के बारे में ब्याज की रियायती दरें विहित की हैं। वर्तमान दरें इस प्रकार है :—

(क) जहाज लदान-पूर्व ऋण

क्रम सं०	मदों की किस्म	ब्याज-दर	ऋण की रियायती दर के लिये अधिकतम अवधि	टिप्पणी
1.	कुछ विशिष्ट मध्यम् एवं भारी इंजीनियरी वस्तुएं तथा विदेशों में निर्माण संविदाएं	11.5% से अधिक नहीं	180 दिन	निर्यातकर्त्ता के वश से बाहर कारणों से हुए विलम्ब की दशा में बैंक, अगले 90 दिनों के लिए 13.5% की ब्याज-दर वसूल करते हैं। अलबत्ता, 270 दिनों के बाद, सामान्य दरें लागू होंगी।

क्रम सं०	मदों की किस्म	ब्याज दर	ऋण की रियायती दर के लिए अधिकतम अवधि	टिप्पणी
2.	अन्य सभी मदें	11.5% से अधिक नहीं	90 दिन	निर्यातकर्त्ता के वश से बाहर के कारणों से हुए बिलम्ब की दशा में बैंक, अगले 45 दिनों के लिए 13.5% की ब्याज दर वसूल करते हैं। अलबत्ता, 135 दिनों के बाद, सामान्य दरें लागू होंगी।

(ख) जहाज लदान-पशचात् ऋण (विलम्बित अदायगी की शर्तों के ऋण से भिन्न)

		ब्याज-दर	ऋण की रियायती दर लागू होने के लिए अधिचतम अवधि	टिप्पणी
I.	पश्चिमी गोलार्ध (वेस्टर्न हेमीस्यिर) के लिए जहाज लदान-पश्चात् ऋण	11.5% से अधिक नहीं	120 दिन	निर्धारित अवधि के पश्चात् सामान्य दरें लागू होंगी।
II.	अन्य क्षेत्रों के लिए जहाज-लदान पश्चात् ऋण	11.5% से अधिक नहीं	90 दिन	निर्धारित अवधि के पश्चात् सामान्य दरें लागू होंगी।

(ग) विलम्बित अदायगी की शर्तों पर जहाज-लदान-पशचात् ऋण

सारी अवधि के लिए वार्षिक 8 प्रतिशत से अधिक नहीं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि विलम्बित अदायगी पर आधारित निर्यातों के लिए तथा साथ ही उन उद्योगों के लिए भी दीर्घावधिक वित्त देने पर अतिरिक्त ध्यान दें, जिनके माल का अधिकांश निर्यात के लिए हो अथवा जिनमें निर्यात की नयी सम्भावनाएं शीघ्र ही पैदा हो सकती हों।

1 नवम्बर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की गई चालू व्यस्त मौसम की ऋण नीति की शर्तों के अनुसार दी जाने वाली ऐच्छिक व्यवस्था के एक भाग का सीधा सम्बन्ध निर्यात ॠण के क्षेत्र में, विशेष रूप से वर्तमान निर्यात ॠण का स्तर, संवर्धन की सम्भावना, विलम्बित वायदा अदायगी पर आधारित निर्यात, आदि के क्षेत्र में प्रत्येक बैंक के कार्य सम्पादन से है।

विलम्बित अदायगी की शर्तों पर किये जाने वाले निर्यात से सम्बन्धित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में रिजर्व बैंक ने पचास लाख रुपये से कम मूल्य तथा 5 वर्ष से अनधिक ऋण अवधि के मामले में प्राधिकृत व्यापारियों को बिड बाण्ड तथा कार्य सम्पादन गारण्टियां जारी करने के लिए आम स्वीकृति दी है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विलम्बित अदायगी के अन्य ठेकों के लिए मंजूरी देने का केन्द्र बिन्दु बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह भी सलाह दी गयी है कि उन्हें, बिड बाण्ड और कार्य सम्पादन गारण्टी समय से जारी करने की कार्रवाई करनी चाहिए।

रिजर्व बैंक ने एक ड्यूटी-ड्रा-बैंक ऋण योजना की भी घोषणा की है, जिसके अन्तर्गत बैंक निर्यातकों को ड्यूटी-ड्रा-बैंक की उनके हक की उतनी रकम के लिए अग्रिम मंजूर करेंगे, जिसका अस्थायी प्रमाणीकरण सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया गया हो। इस प्रकार के अग्रिम 90 दिन तक ब्याज मुक्त होंगे और भारतीय रिजर्व बैंक 90 दिनों तक के ऐसे अग्रिमों के लिए बैंकों को बिना ब्याज का पुनर्वित्त देगा। यह योजना 1 फरवरी, 1976 से लागू होगी।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सम्बन्धित मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कतिपय प्रोत्साहनों के वापस ले लिये जाने के फलस्वरूप हाल के वर्षों में सिले-सलाये वस्त्रों का निर्यात घटा है अथवा बढ़ा है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : हमारा निर्यात के लिए ऋण से सम्बन्ध है। यह प्रश्न वित्त मन्त्रालय से सम्बन्धित नहीं है। सदस्य यह प्रश्न वाणिज्य मन्त्रालय में मेरे साथी से पूछ सकते हैं।

रुपए का विनिमय मूल्य

***148. श्री शंकर राव सावन्त :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डालर, पौण्ड स्टर्लिंग और येन की तुलना में रुपये का वास्तविक और सरकारी मूल्य कितना है; और

(ख) रुपये के वास्तविक और सरकारी मूल्य का अन्तर समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 9 जनवरी 1976 को, इन मुद्राओं की सरकारी दरें इस प्रकार थीं :—

1 पौण्ड	=	18.1284 रुपये (पौण्ड के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्य दर)
1 डालर	=	8.95 रुपये
1 येन	=	0.0292 रुपये

जहां तक "वास्तविक दरों" का प्रश्न है, विदेशों के साथ किए जाने वाले लेन-देन खरीद अथवा बिक्री के सामान्य मार्जिन के साथ सरकारी दरों के आधार पर ही किए जाते हैं। खुले बाजार में भारतीय रुपये की प्रतिनिधि अथवा विश्वसनीय दरें उपलब्ध नहीं हैं लेकिन तत्काल मिलने वाले सबूतों के अनुसार यदि सरकारी और गैर सरकारी दरों के बीच कोई अन्तर है भी तो वह पिछले कुछ महीनों में काफी कम हो चुका लगता हैं और लेन-देनों के बहुत से मामलों में यह अन्तर बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। इसके अलावा, खुले बाजार की दरों से रुपये की वास्तविक विनिमय दर का पता नहीं चलता क्योंकि इस प्रकार के लेन-देनों की संख्या बहुत कम होती है और ये लेन-देन गैर कानूनी तथा इक्का-दुक्का होते हैं।

(ख) सरकार का उद्देश्य रुपये की गैर-सरकारी विनिमय दर को बिल्कुल समाप्त कर देना है। इसलिए रुपये के सरकारी मूल्य तथा गैर-सरकारी मूल्य में अन्तर को कम करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री शंकर राव सावन्त : माननीय मन्त्री ने वास्तविक विनिमय दर नहीं बताई है परन्तु एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि वास्तविक दर तथा सरकारी दर में अन्तर गत कुछ महीनों में बहुत कम हो गया है। वास्तविक दर न बताये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। माननीय मन्त्री यह भी बतायें कि गैर-सरकारी लेन-देन को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मेरे विचार में रुपये के 'वास्तविक मूल्य' से माननीय सदस्य का अर्थ गैर-सरकारी दरें प्रतीत होता है जो सिंगापुर, हांगकांग और अन्य देशों के बाजारों में परिचालन में हैं। निश्चय ही सरकार इसे मान्यता नहीं देती। सरकार ने बहुत से कदम उठाये हैं। प्रथम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माने की मात्रा बढ़ा दी गई है और यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं कि उचित चैनलों द्वारा धन का लेन-देन हो। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और उन्हें कड़ी सजा दी जाती है। हाल में किये गये तस्करी विरोधी उपायों तथा आंसुका और विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम के उपबन्धों के कारण हमें पता चला है कि बहुत सी नौकायें जब्त कर ली गई हैं और अन्य दाण्डिक कार्यवाही की गई है; विभिन्न अधिनियमों के अधीन लगभग 1600 तस्कर नजरबन्द हैं। तस्करों के विरुद्ध की गई कार्यवाही तथा विभिन्न उपायों की क्रियान्विति, जो मैंने बताये हैं, के कारण इस सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई है और अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है।

भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी विमान सेवा पुन: आरम्भ करना

*149. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और भारत के बीच सीधी विमान सेवा पुन: आरम्भ करने के बारे में पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत हुई थी ;

(ख) क्या कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत तथा पाकिस्तान के बीच विमान सेवाओं के विषय पर मई, 1975 से कोई बातचीत नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : भारत ने कब ऊपरी-उड़ानें बन्द की थीं और उसके क्या कारण थे ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई सम्पर्क 1965 में उस समय समाप्त किये गये थे जब भारत-पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ था। बाद में 1966 में कुछ विशेष व्यवस्था के आधार पर अस्थायी तौर पर उडानें पुन: चालू की गई थीं परन्तु हमारे विमान के पाकिस्तान में अपहृत किये जाने और नष्ट किये जाने के बाद 1971 में वे पुन: तोड़ दिये गये।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : इन वार्ताओं के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार ने कई एक वक्तव्य दिये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत की है और दूसरे क्या उन्होंने विश्व निकाय, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन से अपनी शिकायत वापस ले ली है?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य को मालूम होगा कि इस मामले के सम्बन्ध में हम पाकिस्तान के साथ दो बार वार्ता कर चुके हैं और दोनों बार वार्ता पूर्ण नहीं हुई। यह क्रम चल रहा है और हमें आशा है कि वार्ता निकट भविष्य में पुनः शुरू होगी। जहां तक मामले को वापस लेने का सम्बन्ध है, पाकिस्तान ने अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन से अपना मामला वापस नहीं लिया है।

भारतीय पटसन मिल्स ऐसोसिएशन

+
***150. श्री राम सहाय पांडे :**
श्री वसन्त साठे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिल्स एसोसियेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि पटसन उद्योग को, जिसे अमरीका की रुई की गांठों के लिये बोरों (टाट) का निर्यात समाप्त होने से हानि हो रही है, सहायता दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस सम्बन्ध में अत्यन्त चिंतित है कि रुई भरने के बोरों का अमरीकी बाजार भारतीय पटसन उद्योग के हाथ से निकलने की सम्भावना है। रुई की गांठों के लिये सुधरी हुई किस्म के ऐसे बोरों का विकास करने के लिये एक प्रोजेक्ट को सहायता दी गई है जो कि रुई भरने के पोलिप्रोपेलीन के बोरों से सफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर सके।

श्री राम सहाय पांडे : मैं उत्तर से संतुष्ट हूं और श्री साठे से पूरक प्रश्न पूछने का अनुरोध करता हूं।

श्री वसन्त साठे : क्योंकि भारत के पटसन निर्माताओं द्वारा 9 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ेगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वैकल्पिक उपाय करने का प्रस्ताव है? एक सुझाव दिया गया था कि सरकार ऐसा माल तैयार करने में सहायता दे जो पौलीप्रोपेलीन का मुकाबला कर सकती है। बेहतर किस्म का पटसन उगाने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं या इसको कृत्रिम धागे के साथ मिला कर माल तैयार करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं जिससे इसकी किस्म सुधर जाये और साथ ही यह पौलीप्रोपेलीन से सस्ता भी रहे? उत्पादन में लागत का प्रश्न भी उत्पन्न होता है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : माननीय सदस्य ने यह ठीक ही कहा है कि पटसन के मुकाबले पौलीप्रोपेलीन अधिक सस्ता पड़ता है। इस प्रकार का पटसन लगभग डेढ़ डालर में 6 गज का होता है जबकि पौलीप्रोपेलीन इतना लम्बा ही सवा डालर का आता है। इस प्रकार इसके मूल्य में काफी अन्तर है। महोदय, इसके अलावा अमेरिका की राष्ट्रीय कपास परिषद् की बेल पैकिंग कमेटी

जो इसके लिए जिम्मेदार है, भारतीय पटसन उद्योग को इसके क्रयादेश देती है। वह अब ऐसा करने में रुचि नहीं दिखा रहे क्योंकि वह स्वयं अपने पैट्रोरसायन उद्योगों में कृत्रिम माल तैयार करते हैं। अतः हमारा योगदान उनके लिए यह है कि हम भारतीय पटसन उद्योग के अनुसंधान संस्थाओं को कुछ वित्तीय सहायता देते हैं जो हल्के कपड़े के विकास और उत्पादन में लगे हुए हैं ताकि सस्ते किस्म का कपड़ा तैयार किया जा सके और यह कपड़ा कृत्रिम कपड़े का मुकाबला कर सके। इस प्रकार उन्हें धन मिल रहा है जिससे वह ऐसी योजना तैयार करेंगे और हमें आशा है कि अनुसंधान के निष्कर्ष उपलब्ध होने पर ऐसा कपड़ा बनाया जा सकेगा जो हल्का और सस्ता हो। तब हम मण्डी में मुकाबला करने योग्य हो जायेंगे। इन परिस्थितियों में हम यही कुछ कर सकते हैं।

श्री वसन्त साठे : लागत के सन्दर्भ में भाड़ा भी एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह लागत का 81 प्रतिशत होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है जिससे शिपिंग कम्पनियों के साथ प्रबन्ध किया जाये या क्या नौवहन के उनके अपने प्रबन्ध हैं जिससे कि अमरीकी ग्राहकों को कम भाड़ा देकर पटसन का माल मिल सके?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : भाड़े की प्रतिशतता पूर्व और पश्चिम के गन्तव्य स्थानों की दूरी के अनुसार 53 से 80 है। सदस्य महोदय को पता होगा कि हमें जहाज पर निःशुल्क के भाड़े के अंश को हमें शून्य करना होता है। यह बहुत कठिन है और मैं नहीं जानता कि उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। परन्तु राशि इतनी अधिक है और ये वाणिज्यिक सौदा है। शून्यीकरण इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि इसमें जहाज पर निःशुल्क का उपबन्ध है। इसलिए हमें इसको पूरा करना होगा। हमें इसकी चिन्ता है। इन परिस्थितियों में हमारे लिए उद्योग द्वारा की गई मांग उसी रूप में स्वीकार करना कठिन है। परन्तु हम मामले की जांच कर रहे हैं।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या यह सच है कि जूट मिल एसोसिएशन भारत में पटसन मण्डी पर नियंत्रण रखे हुए है और उनकी ओर से यह दलील दी जा रही है कि उन्हें अमरीका तथा अन्य मण्डियों से कड़ी प्रतियोगिता का मुकाबला करना पड़ रहा है? इसके परिणामस्वरूप पटसन उत्पादकों को बहुत हानि हो रही है। इसकी दृष्टि में मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह पटसन मिलों से अपना उत्पादन विविध करने को कहेंगे ताकि नई मण्डियां ढूंढी जा सकें?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी हां।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार प्रत्येक जूट मिल का तुलन पत्र पेश कर सकती है ताकि हमें उनके द्वारा उठाये जाने वाले लाभ या हानि का पता लग सके और यदि आवश्यक हो तो वित्तीय सहायता के बारे में बेहतर योजनाएं बनाई जा सकें? क्या भारत सरकार इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण की सम्भावना का विचार भी रखती है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : उन्होंने व्यापक प्रश्न उठाया है। जब पटसन निर्माताओं की मांग घट रही है, जब उनके उत्पादन का 20 प्रतिशत उठाया नहीं जा रहा है और जब वे उद्योग अच्छी स्थिति में नहीं हैं, तब राष्ट्रीयकरण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

खाद्य वस्तुओं का निर्यात

*151. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य वस्तुओं जैसे चीनी, चावल (बासमती), केला तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाने का सरकार का कोई विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने नकारात्मक उत्तर दिया है। जब हमारी जनसंख्या का दो-तिहाई भाग गरीबी की स्तर से भी नीचे का जीवन जी रहा है तब चीनी, प्याज और बासमती चावल जैसे खाद्य पदार्थों के निर्यात से विदेशी मुद्रा कमाने का प्रयास करने से पहले, क्या सरकार देश की आवश्यकताएं पहले पूरी करने पर ध्यान देगी ? मैं जानना चाहता हूं कि चीनी, बासमती चावल और प्याज का कुल उत्पादन और खपत क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वर्ष 1975-76 में चीनी का उत्पादन 45 लाख टन था और आगे लाई गई मात्रा 8.78 लाख टन है और खपत 45 लाख टन है जबकि फालतू उपलब्ध चीनी 14.78 लाख टन है जिसमें से केवल 6.95 लाख टन का ही निर्यात किया गया है। इस प्रकार देश की अपनी आवश्यकताएं पूरी करने पर ध्यान दिया गया है। हम ने प्याज की उपलब्ध मात्रा का केवल 4.6 प्रतिशत निर्यात किया है जबकि हमारी क्षमता लगभग 15 प्रतिशत की है। बासमती चावल का निर्यात चावल के कुल उत्पादन का केवल 0.1 प्रतिशत है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : यह उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि देश का औद्योगिक विकास हो और मुझे पता है कि इसके लिए विदेशी मुद्रा आवश्यक है। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि इन सभी खाद्य वस्तुओं के मूल्य देश में केवल सरकार की गलत नीति के कारण ही बढ़े हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार चीनी, बासमती चावल और प्याज की पूरी मांग को नियंत्रित मूल्य पर पहले पूरी करेगी और इसके लिए क्या सरकार अपनी गलत नीति पर पुर्नाविचार करेगी और बढ़ती कीमतें रोकने के लिए कोई व्यवहारकुशल निर्णय लेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं बता चुका हूं कि सरकार ने देश की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा है। निर्यात इतना अधिक नहीं है कि देश की मांग पर इसका प्रभाव पड़े। जहां तक निर्यात के संगत होने का सम्बन्ध है, बासमती चावल का उपभोग केवल धनी वर्गों में ही होता है। एक टन बासमती चावल के निर्यात से हम चार टन गेहूं या सात टन माइलो खरीद सकते हैं जिसका उपभोग गरीब वर्ग करते हैं। प्याज के मूल्यों में वृद्धि का कारण निर्यात नहीं था बल्कि देश के कुछ भागों में इसकी फसल का न होना था। अब प्याज के मूल्य कम हो गये हैं।

श्री प्रयरंजन दास मुन्शी : क्योंकि इस समय सरकार गरीबी के विरुद्ध लम्बे संघर्ष में जुटी हुयी है ताकि देश अधिक समृद्ध हो। और इसके लिए सरकार को अशोधित तेल तथा अन्य वस्तुओं के आयात पर काफी व्यय करना पड़ता है और क्योंकि बासमती चावल केवल अमीरों द्वारा खाया जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार यदि आवश्यक हो तो बासमती चावल के देश में उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाने का ठोस निर्णय लेगी और मिठाइयों आदि के रूप में चीनी के विशेष प्रयोग की भी अनुमति नहीं देगी ताकि चीनी का प्रयोग देश के हित में केवल एक या दो वस्तुओं तक ही सीमित हो जाये ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि ऐसा हो जाये तो मुझे खुशी होगी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आयात के आंकड़े इस प्रकार हैं :--

चीनी	1972–73	1.95 लाख टन
	1973–74	4.87 लाख टन
	1974–75	6.95 लाख टन
बासमती चावल . .	1972–73	377.03 लाख रुपये
	1973–74	668.18 लाख रुपये
	1974–75	2149.53 लाख रुपये
केले	1972–73	नगण्य
	1973–74	
	1974–75	

श्री एच० एम० पटेल : क्या मंत्री महोदय अपने उत्तर में कही गयी दो बातों पर ध्यान देंगे । एक तरफ उन्होंने कहा है कि क्योंकि प्याज की फसल का केवल चार प्रतिशत भाग ही निर्यात किया गया है इसलिये इससे देश में कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि मूल्यों में वृद्धि निर्यात के कारण न हो कर फसल न होने के कारण हुई हैं । क्या वाणिज्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि फसल न होने की दशा में निर्यात न किया जाये ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मंत्रालय ने यही तो किया है और इसका निर्यात बन्द कर दिया था ।

पटसन से अर्जित विदेशी मुद्रा

*152. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पटसन उद्योग को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : भारत में पटसन उद्योग द्वारा वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा क्रमश: 249 करोड़ रुपये, 227 करोड़ रुपये और 300 करोड़ रुपये रही है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1973–74, 1974–75 और 1975–76 में कारपेट पैकिंग के रूप में पटसन वस्तुओं के निर्यात के लिये जूट मिल मालिकों को क्या रियायतें दी गयीं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : निर्यात शुल्क का हिसाब वर्षानुवर्ष लगाया जाता है और यह हमारी वस्तुओं की मांग, उनके बदले में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं या प्रतियोगियों, उनके शुद्ध या कृत्रिम होने आदि पर निर्भर है । क्योंकि 1973 में मूल पैकिंग पर निर्यात शुल्क 200 रुपये प्रति टन था जिसकी बाद में वृद्धि करके 650 रुपये कर दिया गया । दिसम्बर, 1974 में

उसे घटाकर 200 रुपये प्रति टन कर दिया गया था। अब इसे हटा दिया गया है। माध्यमिक कारपेट पैकिंग पर इसी प्रकार अगस्त, 1973 में यह 300 रुपये था जिसे मार्च, 1974 में बढ़ा कर 750 रुपये कर दिया गया और फिर दिसम्बर, 1974 में घटाकर 200 रुपये कर दिया गया। बाद में इसे बिलकुल हटा दिया गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि यदि आवश्यक न हो तो हम सहायता नहीं देते बल्कि यदि अधिक शुल्क लगाया जा सके तो लगाया जाता है। निर्यात शुल्क के प्रति सरकार का रवैया बहुत तर्कसंगत है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पहली बात तो यह है कि मंत्री महोदय ने उत्तर छिपा लिया है। लोगों को यह समझ में नहीं आएगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न कुल राशि के बारे में है। 1975 के अन्त तक गत तीन वर्षों में पटसन पर निर्यात शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गई, कितनी कमी की गई और कितनी बिलकुल हटा दी गई, विशेषकर कारपेट पैकिंग के सम्बन्ध में ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : सदस्य महोदय ने कमाई गयी विदेशी मुद्रा के बारे में पूछा था। मैं उनके इस नये प्रश्न की सराहना करता हूं और मैंने मोटे सिद्धान्तों के सन्दर्भ में अपना उत्तर दिया था। इस कुल राशि सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर में तथ्य और आंकड़े आवश्यक हैं जिसके लिये मुझे पूर्व-सूचना दरकार है।

स्वेच्छा प्रगटन योजना

+

*155. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वेच्छा प्रगटन योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपनी धन-सम्पत्ति की घोषणा की है ; और

(ख) उनसे अब तक कितनी धनराशि वसूल हुई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश 1975 के अन्तर्गत की गई घोषणाओं के सम्बन्ध में आंकड़े आयकर आयुक्त के अधिकार क्षेत्रवार रखे गये हैं, राज्यवार नहीं।

अध्यादेश की धारा 15 (1) के अधीन की गई घोषणाओं की संख्या के बारे में इस समय उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अधिकार क्षेत्रवार सूचना का विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा गया है।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 6 करोड़ 91 लाख रुपये के कुल देय कर में से 3 करोड़ 99 लाख रुपये वसूल हो चुका है ; और 5½ प्रतिशत ब्याज वाले बांडों (1985) में लगाई गई रकम 38 लाख रुपये है।

विवरण

आय-कर आयुक्त का अधिकार-क्षेत्र	अध्यादेश की धारा 15(1) के अन्तर्गत की गई घोषणाओं की संख्या
अमृतसर	333
आन्ध्र प्रदेश	720
असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम	194
बिहार	377
बम्बई सिटी	2266
दिल्ली	988
गुजरात	741
कानपुर	301
कर्नाटक	610
केरल	325
लखनऊ	367
मध्य प्रदेश	395
मेरठ	267
नागपुर	258
उड़ीसा	175
पटियाला	560
पूना	716
राजस्थान	231
तमिलनाडु	1634
पश्चिम बंगाल	1629
बम्बई (सेन्ट्रल)	89
कलकत्ता (सेन्ट्रल)	43
दिल्ली (सेन्ट्रल)	52
मद्रास (सेन्ट्रल)	111
कुल	13382

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : समाचारों के अनुसार स्वेच्छया से किये गये प्रकटन, जहां तक कलकत्ता का सम्बन्ध है, नगण्य ही हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में क्या कार्यवाही की गई है । दूसरे लगभग 15 सौ करोड़ रुपये के कुल प्रकटन का क्या मंत्री महोदय ब्यौरा दे सकते हैं कि नकदी के रूप में, सोने के रूप में और अन्य बहुमूल्य धातुओं के रूप में यह धन कितना-कितना है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में यह संख्या इतनी कम नहीं है । यह है 1629, जहां तक कलकत्ता का सम्बन्ध है, कलकत्ता मध्य के अन्तर्गत केवल कुछ बड़े बड़े व्यापार गृह ही आते हैं । इसीलिये उसकी संख्या केवल 43 है । परन्तु यदि पूरे पश्चिम बंगाल को लिया जाये तो संख्या 1629 है जो मामूली नहीं है ।

ब्यौरे के सम्बन्ध में मैंने प्रकट की गई कुल धनराशि के बारे में बता दिया है जो 15 सौ करोड़ रुपये से अधिक है । यह बताना कठिन है कि वह कितनी कितनी सम्पत्ति, सोने या आभूषणों के रूप में हैं । तथापि हमें इस पर अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक पर चर्चा के समय इस पर पुनः चर्चा करने का अवसर मिलेगा । शायद तब तक मैं कुछ ब्यौरा दे सकूं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मंत्री महोदय को ब्यौरा प्राप्त होने पर, क्या सरकार उन लोगों को स्वर्ण बांड देगी क्योंकि इससे हमारी योजनाओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी और इससे हमारी अर्थ व्यवस्था सुधरेगी ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह सुझाव मात्र है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं आय कर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा 1300 या 1400 करोड़ रुपये के काले धन को निकालने के लिये बधायी देने के साथ साथ, यद्यपि हम इस स्वेच्छया प्रकटन योजना से सहमत नहीं हैं, यह जानना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के पास 30 करोड़ रुपये का काला धन हो और वह केवल 30 लाख रुपये ही प्रकट करे तो क्या उसे साधू समझा जायेगा और क्या केवल इसी राशि को उसके द्वारा छिपाया गया समझा जाएगा ? या क्या वह कोई और तरीका अपना कर उसके द्वारा छिपायी गई शेष राशि निकालने का प्रयास किया जाएगा ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : अध्यादेश के अधीन हम उन्हें बचाव और जानकारी गुप्त रखने का वचन दे रहे हैं । भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में इस समय कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि कोई व्यक्ति 7 करोड़ के बजाय 7 लाख ही प्रकट करे तो क्या उसके पास उतना ही छिपाया गया समझा जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसे आप अपने ढंग से उत्तर देने पर बाध्य न करें ।

श्री के० गोपाल : क्या सरकार करदाताओं द्वारा दिये गये आंकड़ों को ही सच मान लेगी या उनके द्वारा प्रकटन के बाद उनके धन पर पुर्निधारण करेगी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया है यह प्रकटन अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन है। सम्बद्ध उपबन्ध धारा 3(1), 14(1) और 15(1) हैं। इस प्रश्न पर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विचार किया जाएगा। मेरे लिये अनुमान के तौर पर यह कहना सम्भव नहीं है कि हम वे आंकड़े स्वीकार करेंगे, छापे मारेंगे या आगे जांच करेंगे या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गाँवों में मिनी (छोटे) बैंक खोलना

*143. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक, अच्छी किस्मों के बीज तथा कृषि उपकरण खरीदने हेतु किसानों को आसान शर्तों पर ऋण देने के लिये गांवों में मिनी (छोटे) बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव सम्भवतः कब तक क्रियान्वित हो जायेगा ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा "मिनी बैंक" जैसे कोई बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अलबत्ता संस्थागत ऋण के ढांचे की कमजोरी और किसी क्षेत्र की विकास सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, किसी राज्य के एक या अधिक जिलों को व्याप्त करने के वास्ते सरकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कर रही है। इन बैंकों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ उर्वरक, उत्तम बीज और कृषि औजार खरीदने में किसान की मदद करना भी है।

भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंध में श्रमिक-सहयोग

*146. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों ने उत्पादकता नियन्त्रण के सभी स्तरों पर 'प्रबन्ध में श्रमिक सहयोग' की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है और उसे क्रियान्वित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण

*153. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा गत छः महीनों में क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने, सरकार के अनुरोध पर किये गये विशेष उपायों के परिणामस्वरूप, अपने कामकाज के सभी पहलुओं में, पिछले छह महीनों में, उल्लेखनीय सुधार की सूचना दी है। इन उपायों का परिणाम यह रहा है कि (क) समय की पाबन्दी, सफाई, अनुशासन, सतर्कता प्रणालियों के चालू होने, कर्मचारी सम्बन्धों में बेहतरी और ओवर-टाइम में घटोतरी के कारण प्रशासकीय कुशलता में सुधार आया है; (ख) बकाया काम निपटाने के विशेष अभियानों, शक्तियों के प्रत्यायोजन (डेलीगेशन) के ढांचे में सुधार और ऋणों के मूल्यांकन विषेयक व्यवस्था में सुधार से काम के निपटारे में शीघ्रता आयी है; और (ग) ग्राहक सेवा के स्वरूप और स्तर में स्पष्ट सुधार निश्चित हो गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने कामकाज में और सुधार लाने के लिये अपने प्रयास जारी रखेंगे।

कलकत्ता में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का अपवंचन

***154. श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में 8 दिसम्बर, 1975 को एक छापे के दौरान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन से सम्बन्धित बड़ी संख्या में गोपनीय कागजात पकड़े गये थे; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां। मैसर्स ब्लैक डायमंड बीवरेजेज लि० कलकत्ता के कारखाना परिसरों में मारे गये छापे में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने अपराध आरोपणीय दस्तावेज पकड़े जिनसे पता चलता है कि वातित-जल को चोरी-छिपे तैयार किया जाता है और उसकी गुप्त रूप से निकासी की जाती है।

(ख) कम्पनी का एक निदेशक और कारखाने का कार्य प्रबन्धक (वर्क्स मैनेजर) गिरफ्तार किये गये। उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

बढ़िया चाय की माँग

156. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मण्डियों में बढ़िया चाय की मांग बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसे पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चाय बोर्ड की विकास योजनाएं अर्थात् चाय रोपण वित्त योजना और पुनरोपण उपदान योजना के अन्तर्गत नये क्षेत्रों में विस्तार और/अथवा पुराने क्षेत्रों के पुनरोपण/प्रतिस्थापन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। किराया खरीद योजना से फैक्टरियों के आधुनिकीकरण अथवा विद्यमान फैक्टरियों का विस्तार करने में मदद मिलती है। ये योजनाएं मिल कर केवल उत्पादन बढ़ाने में ही नहीं बल्कि चाय की क्वालिटी सुधारने में भी मदद देती है। हाल ही में पुनरोपण उपदान योजना को संशोधित करके उसके अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में इनफिलिंग करके अथवा, उसके बिना नवीकरण छंटाई को शामिल किया गया है जिससे अच्छी क्वालिटी को चाय के उत्पादन में सुधार करने में मदद मिलेगी। चाय बोर्ड विभिन्न अन्तर्साधनों जैसे कि उर्वरक, कोयला, पफर्नेस आयल, सरपातनासी और कीटनाशी दवाएं उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करता है।

ग्रामीण बैंक

*157. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी:** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या सरकार ने इन बैंकों के कार्यकरण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों से उपयुक्त कानून बनाने की सिफारिश की है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) अब तक सरकार ने देश में 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की है ।

(ख) कृषि के वास्ते बैंक ऋण सुचारू रूप से प्रदान करने के लिए, सरकार ने, उन राज्यों से जिनमें कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये हैं, अनुरोध किया है कि शीघ्र ही (1) "वाणिज्यिक बैंकों के कृषि सम्बन्धी ऋणों से सम्बन्ध रखने वाली राज्य संविधियों विषयक विशेषज्ञ दल" ने जिस "आदर्श विधेयक" (माडल बिल) की सिफारिश की है उसके अनुरूप कानून बनाये और (2) इन बैंकों के कार्यक्षेत्र में सक्षम "कृषक सेवा समितियां" गठित करें ।

एक रुपए के नोटों की कमी

*158. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक रुपये के नये नोटों की अभी भी कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ख) एक रुपये के नोटों की कमी दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) करेंसी नोट प्रेस, नासिक की क्षमता के सीमित होने के कारण, चालू वर्ष में एक रुपये वाले नोटों की पूर्ति जिस हद तक आवश्यक है, नहीं की जा सकी । लेकिन आशा है कि एक रुपये वाले सिक्कों के जारी किये जाने से और नासिक प्रेस का कुछ काम देवास में स्थित नये बैंक नोट प्रेस को दे दिये जाने के परिणामस्वरूप 1976-77 में एक-रुपये के नोटों के उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि होने से अगले वर्ष स्थिति सुधर जाएगी ।

छठा वित्त आयोग

*159. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना के लिये नियत धनराशियों में से प्राकृतिक विपदाओं सम्बन्धी कार्यों का वित्त पोषण करने के बारे में की गई छठे वित्त आयोग की सिफारिश का लगभग सभी राज्यों ने विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कुछ राज्यों ने सहायता कार्यों के खर्च की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में छठे वित्त आयोग की सिफारिशों पर फिर से विचार किए जाने का सुझाव दिया है ।

(ख) सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और उसका यह मत है कि राज्यों को आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ही सहायता कार्यों के खर्च के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

इटली को भारतीय इंजीनियरिंग सामान का निर्यात

*160. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोम (इटली) स्थित भारतीय दूतावास द्वारा हाल ही में किये गये एक मार्केट सर्वेक्षण के अनुसार उस देश को भारतीय इंजीनियरिंग सामान का निर्यात करने की काफी गुंजाइश है; और

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि सामान के स्तर तथा उसकी भेजने के प्रक्रम को बनाये रखा जाये ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) (क): जी हां।

(ख) सरकार निर्यात निरीक्षण उपायों के जरिए विभिन्न निर्यात उत्पादों की क्वालिटी सुनिश्चित करती है तथा जहाजों में स्थान प्राप्त कराने में भी सहायता करती है।

बड़े आकार के विमानों की खरीद

669. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री बड़े आकार के विमानों की खरीद के बारे में 11 अप्रैल, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 620 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े आकार के विमानों की खरीद के बारे में निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सरकार की अनुमति से इंडियन एयरलाइन्स ने तीन ए–300 बी–2 प्रकार के विमानों (एयरबस) की खरीद के लिये क्रयादेश दे दिया है, जिनका वितरण 1976 की अंतिम तिमाही में होगा। खरीद के करार के अनुसार इनमें से प्रत्येक विमान का अंतिम संविदा मूल्य (कांट्रेक्ट प्राइस) 244.00 लाख अमरीकी डालर से अधिक नहीं होगा। प्रायोजना लागत (1040 लाख अमरीकी डालर) के विदेशी मुद्रा के अंग के लिये वित्त व्यवस्था फ्रैंच और जर्मन बैंकों से लिये गये ऋणों द्वारा करने का प्रस्ताव है। इंडियन एयरलाइंस का, इनका 1–12–1976 से परिचालन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार मेला आयोजित करने का प्रस्ताव

670. **श्री बीरभद्र सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय उपभोक्ता वस्तुओं का व्यापार मेला आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). व्यापार विकास प्राधिकरण का विचार है कि चुने हुए भारतीय एककों/फर्मों और अमरीकी खरीदारों का एक-दूसरे से सीधे परिचय कराने के उद्देश्य से न्यूयार्क और डलास में बायर-सैलर मीट्स नामक मेला आयोजित किया जाये जिसमें विभिन्न उत्पाद शामिल किये जायेंगे। इस प्रस्थापना में ये बातें अन्तर्ग्रस्त हैं : उत्पाद-निर्धारण तथा अनुकूलन, विपणन विश्लेषण, सम्भाव्यता वाली निर्यात फर्मों का पता लगाना, संयुक्त राज्य अमरीका में वैयक्तिक व फर्मवार आधार पर खरीदारों का पता लगाना और अमरीका में सम्भाव्यता वाले खरीदारों के साथ मेला पूर्व वास्तविक व्यापार सम्पर्क। यह मेला न्यूयार्क में 25–30 जनवरी, 1976 के बीच और डलास में 8–13 फरवरी, 1976 के बीच आयोजित करने का विचार है।

लक्षद्वीप में पर्यटन केन्द्रों के विकास का प्रस्ताव

671. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप में पर्यटक केन्द्रों के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख). लक्षद्वीप की यात्रा करने वाले पर्यटकों पर लगे प्रवेश प्रतिबंधों में ढील दिये जाने के परिणामस्वरूप उन द्वीपों में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए शुरूआत कर दी गयी है। बंगारम (लक्षद्वीपों में से एक) में पर्यटक कुटीरों का निर्माण कर दिया गया है जिनमें 32 शय्याओं की व्यवस्था है।

जहां तक आधारभूत उपादानों (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की व्यवस्था करने के लिए दीर्घावधि योजनाओं का प्रश्न है, आर्थिक व्यवहार्यता, साधनों की उपलब्धता तथा अन्य प्राथमिकताओं को समग्रतः दृष्टि में रखते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

छोटे किसानों की ऋणग्रस्तता

672. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त निगम ने छोटे किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किये गये जिलों जैसे थाना, नासिक में छोटे किसानों की ऋणग्रस्तता पर बहुत से अध्ययन किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययनों की रूपरेखा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

Export of Manganese, Iron Ore and Rock Phosphate

673. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the quantum of manganese, iron ore and rock phosphate exported from India during 1975-76;

(b) the amount of foreign exchange earned there by;

(c) the names of the countries to which export was made; and

(d) whether the exported material was surplus after meeting India's needs?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (*a*) *to* (*c*). A Statement is attached.

(d) Yes, Sir.

Statement

Commodity	Exports (Estimated)		Main Countries to which exported
	Qunatity (Million tonnes)	Value (Rs. crores)	
(*i*) Manganese Ore (April-December, 1975).	0·55	12·5	Japan, Taiwan, North Korea, South Korea, Spain, Greece, Gzechoslovakia and Bulgaria.
(ii) Iron Ore (April-December, 1975).	14·30	123·0	Japan, South Korea, Taiwan, Rumania, Poland, Czechoslovakia, Bulgaria, Hungary, Iraq, U.S.A.
(iii) Rock phoshpate (April-September, 1975).	Nil	Nil	—

Complaints Re. Supply of Cloth Rolls in Short Measures

674. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the Textile Commissioner, Bombay has completed the enquiry into the complaint in regard to supply of cloth rolls in short measures by the Jiyajee Rao Cotton Mills Limited, Gwalior; and

(b) if so, the findings there of?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Paratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) It has come to light that 40 bales of cloth "thans" for export to UK, which were in yard fold pieces, were diverted to internal markets as export rejects. By oversight, the conversion of length from Yards into metres was overlooked while stamping the cloth for sale in the internal market. When the mistake came to the notice of the mill authorities, they took suitable measures, on their own, to refund the over-payment received by them. The total amount involved was Rs. 8000/- only, and has already been refunded to the parties concerned.

उड़ीसा में पर्यटन का विकास

†675. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित देवगढ़ी, क्योरीगढ़ और हरिशंकर के जलप्रपात के स्थलों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन स्थानों पर होटल तथा पर्यटक होटल खोलने की कोई योजना है; और

(ग) वर्ष 1976 में इन स्थानों का विकास करने के लिये अनुमानतः कितनी धनराशि निर्धारित की गई है अथवा राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) देवगढ़, क्योरीगढ़ तथा हरीशंकर स्थित जल-प्रपातों का केन्द्रीय क्षेत्र में विकास करने के कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पर्यटन योजनाओं का विकास करने में राज्य सरकारों को उपदान प्रदान करने की प्रणाली को भाग II स्कीमों को समाप्त करने के परिणामस्वरूप चौथी योजना से बन्द कर दिया गया है। अतः देशीय पयटकों के लिये पर्यटक केन्द्रों के विकास संबंधी स्कीमों को राज्यीय क्षेत्र में ही हाथ में लिया जाता है एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है।

गुजरात में कार्यशील चिट फंड बेनिफिट कम्पनियाँ

†676. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 के दौरान गुजरात में कार्यशील तथाकथित चिटफण्ड और/अथवा बेनिफिट कम्पनियों के विरुद्ध सरकार ने हाल में कोई निश्चित कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी डाक सूची पर मौजूद तथा इनामी चिट/वेनीफिट योजनाओं का आयोजन और प्रबन्ध करने वाली गुजरात की 31 कम्पनियों में से तीन कम्पनियों को रिजर्व बैंक ने आगे और जमाएं लेने से रोक दिया है, जबकि जमा-स्वीकार को रोकने के विचार से पांच कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं। उपर्युक्त कम्पनियों में से दो ने विविध गैर-बैंकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1973 की वैधता को चुनौती देते हुए बम्बई उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की थीं। न्यायालय द्वारा अनुमोदित समझौता-शर्तों के अनुसार एक कम्पनी को अपनी वर्तमान योजना को धीरे-धीरे समाप्त करने की अनुमति दे दी गई है। दूसरी कम्पनी द्वारा दायर की गई समादेश याचिका निर्णयाधीन है। इस बीच प्रतिबन्धात्मक आदेशो के, तथा निदेशों के कुछ उपबन्धों के भी उल्लंघनों के लिए उक्त कम्पनी के विरुद्ध अभियोग आरम्भ किये गये हैं। सांविधिक विवरणियां, आदि प्रस्तुत न करने के कारण नौ कम्पनियों तथा निदेशों के उल्लंघन के कारण दो कम्पनियों के विरुद्ध अभियोग दायर कर दिये गये हैं। रिजर्व

बैंक ने सात अन्य कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है कि विवरणियां आदि प्रस्तुत न करने के कारण उनके विरुद्ध अभियोग क्यों न चलाये जायें। उनसे उत्तर प्राप्त होने के बाद रिजर्व बैंक द्वारा आगे की कार्रवाई की जायगी।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

†677. **श्री रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने "लिरिल" नामक एक नये ब्रांड का साबुन निकाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम कम्पनी को आन्तरिक खपत के लिये नये ब्रांड निकालने में मना करता है; और

(ग) यदि हां, तो कम्पनी के नये ब्रांड निकालने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 28(3) के साथ पठित धारा 28(1)(ग) के अन्तर्गत, विदेशों में निगमित किसी कम्पनी अथवा किसी भारतीय कम्पनी के लिए, जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक गैर-आवासी शेयर हों, यह जरूरी होगा कि वह किसी व्यक्ति या कम्पनी को किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के एवज में अपने ट्रेड मार्क के उपयोग की अनुमति देने या देना जारी रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति है। यूनाइटेड किंगडम की यूनीलीवर लिमिटेड कम्पनी "लिरिल" ट्रेड मार्क की मालिक है और हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड दोनों कम्पनियों के बीच हुए रजिस्टर्ड करार के अनुसरण में अपने द्वारा बनाये जाने वाले नहाने के साबुनों के लिए इस ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहा है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा यह पता लगा लिया गया है कि इस ट्रेड मार्क के प्रयोग की व्यवस्था में कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ की कोई बात नहीं है और इसलिए यह मामला विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत नहीं आता।

फैजाबाद डिवीजन में परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

†679. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से अब तक कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(ख) उन परियोजनाओं के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है जिनके लिए राशि प्राप्त हो चुकी है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय उत्तर प्रदेश कृषि ऋण करार से है जो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 8-6-1973 को किया गया था। इस करार में, फैजाबाद जिले सहित उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में 14 जिलों में लघु सिंचाई कार्यों में किसानों द्वारा पूंजी लगाये जाने के 3 वर्षीय कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था करने के प्रयोजन से 380 लाख अमरीकी डालर के एक ऋण का प्रबन्ध किया गया है। विश्व बैंक ने, अब तक फैजाबाद जिले में खर्च के लिए अलग से कोई ऋण नहीं मंजूर किया।

(ख) फैजाबाद डिवीजन में, अब तक 6331 ट्यूब वेल (3.1 करोड़ रुपये की लागत) व 4581 पम्प सेट (1.8 करोड़ रुपये की लागत) लगाये और 270 कुएं खोदे जा चुके हैं जिनमें से 100 कुओं में रहट (0.1 करोड़ रुपये की लागत) लगाये जा चुके हैं (कुल 5.00 करोड़ रुपये)।

भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेवा नियम

*680. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिय सेवा नियमों के बारे में 11 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6964 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को व कर्मचारी विनियमन (प्रारूप स्थायी आदेशों को छोड़कर) अभी तक अधिसूचित नहीं किये गये हैं जिन पर प्रबन्धकों द्वारा अगस्त, 1973 में स्वीकृति दी गई बताई जाती है और जिनका 1973 से भी पूर्व पालन किया जाता रहा है ;

(ख) क्या पारस्परिक रूप से सहमति प्राप्त कर्मचारी विनियमों (प्रारूप स्थायी आदेशों को छोड़कर) के लिये कर्मचारियों के प्रतिनिधियों/संघों के अनेक बार विशेष मांग उठाई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में प्रबन्धकों ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) : कर्मचारी विनियमों को अभी अधिसूचित नहीं किया गया है क्योंकि स्थायी आदेशों के प्रारूप को, जिसमें औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत कामगारों की सेवा शर्तें भी सम्मिलित हैं जोकि इन्हीं विनियमों का भाग हैं, अभी दिल्ली प्रशासन के श्रम आयुक्त के कार्यालय में प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना है ;

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियाँ परिषद, बम्बई

†681. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **वाणिज्यक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में प्रदर्शनियां आयोजित करने सम्बन्धी भारतीय व्यापार मेले तथा प्रदर्शनी परिषद्, बम्बई के कार्य क्षेत्र को सीमित करने का क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : भारतीय व्यापार मेले तथा प्रदर्शनी परिषद् के कार्यकलापों का क्षेत्र प्रदर्शनियां का आयोजन करने तथा विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने तक सीमित नहीं है। परिषद् के मैमोरेंडम आफ एसोसिएशन में निर्धारित उसके उद्देश्यों एवं कार्यों में से एक "भारत तथा विदेशों में औद्योगिक तथा व्यापार मेले, प्रदर्शनियां, प्रदर्शन-कक्ष और व्यापार डिपों को बढ़ावा देना, आयोजित करना तथा उनमें भाग लेना और उनके लिए सभी अनुषंगिक उपाय करना है।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा घोषित प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली

†682. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1976 से संयुक्त राज्य अमरिका द्वारा घोषित प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली से, जिसमें कुछ विशिष्टता वाले 98 देशों से लगभग 2700 वस्तुओं की कृषि जन्य, अर्ध-निर्मित और निर्मित मदों का शुल्क मुक्त आयात शामिल है, हमारे निर्यात व्यापार को काफी मात्रा में लाभ होगा ; और

(ख) क्या अन्य विकसित देशों ने इससे पहले ऐसी प्राथमिकताओं की घोषणा की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

Robbery in Lakhavti Village Bank, Bulandshahar District U.P.

683. **Shri Hari Singh**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of looting of lakhs of rupees recently from the bank in Lakhavti village, Bulandshahar District in U.P.; and

(b) if so, the steps Government propose to take to chech looting of money from banks?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Rev.& Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee)

(a) & (b) Reserve Bank of India has reported that on 29th September, 1975 three persons entered the pay Office of the Punjab National Bank at Lakhabti and looted a sum of Rs.73,291/-. On a complaint filed by Punjab National Bank, the police are investigating into the matter.

As all criminal offences including looting of money from banks relate to the subject of law and order, a subject dealt with by the State Governments, it is essentially for the State Governments, to take measures to chech lookng of money including from banks.

गोआ से खनिज अयस्क के निर्यात में कमी होना

†684. **श्री एस० ए० मरुगनन्तम :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) या इस्पात उद्योग में विश्व भर में मन्दी के कारण गोआ से खनिज अयस्क का निर्यात कम होता जा रहा है और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1975 के दौरान अनुमानतः 113.5 लाख मे० टन के निर्यात हुए जबकि 1974 में 134.5 लाख मे० टन के निर्यात हुए थे।

Riads on Premises of Former Ruling Familes of Jaipur.

685 Shri M.C.Daga :

Will the **Minister of Finance** be pleased to State:

(a) the total value of the assets recovered by Income Tax Officers during the raids conducted on the premises of former ruling families of Jaipur in 1975;

(b) the quantity of gold and silver and the amount of cash seized during these raids;

(c) whether Government have sezied these assets; and

(d) the action being taken in this regard?

Minister of State In Charge of Department of Reuenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee):

(*a*) &(*b*); As a result of search and seizure operations condutced by the Income-Tax authorities at the premises of the erstwhile ruling family of jaipar, assets ofthe value of about Rs. 9.9 crores were seized. These included primary gold, gold coins, bars, jewllery, silver-ware and other valuable assets besides Indian currency of over Rs.1.3.lakhs and foreign currency equivalent to Rs.0.3 lakhs approximately.

(*c*) & (*d*); Out of the total seizure:

(i) The Gold Control authorities Seized primary gold, gold coins and bars etc. Valued at about Rs 4.9 crores.

(ii) Assets Valued at about Rs.5.0 crores were seized by the Income tax authorities. Byvirtue of orders u/s 132 (5) and 132 (7) of the Income Tax Act, 1961 assets worth over Rs 4.6 crores have been retained. Investigations are inprogress and action as called for under the law will be taken including levy of penalty and launching of prosecution, if warranted.

जीवन बीमा निगम का कारोबार

686. श्री शशि भूषण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैयक्तिक बीमा के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम के कारोबार में वर्ष 1973–74 की तुलना में वर्ष 1974–75 के दौरान कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कारोबार में कितनी कमी हुई है और इसके क्या कारण है ; और

(ग) जीवन बीमा निगम ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि वैयक्तिक बीमा के अन्तर्गत कारोबार में कमी न आने पाये।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार है :—

1973–74		1974–75	
पालिसियों की संख्या	बीमाकृत रकम (करोड़ रु० में)	पालिसियों की संख्या	बीमाकृत रकम (करोड़ रु० में)
20,51,753	1,924.19	17,99,778	1,772.61

बीमा कारोबार में कमी होने के मुख्य कारण ये थे :—

(i) मूल्यों में मुद्रास्फीति के कारण वृद्धि और उसके परिणामतः व्यक्तियों की बचत करने की गुंजाइश में कमी।

(ii) दूसरे प्रकार की बचतों के बीच प्रतियोगिता, जैसे कि बैंकों, डाक-घरों में और बैंक-भिन्न कम्पनियों में जमा करना जिस पर अधिक लाभ प्राप्त होता है।

(iii) जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों द्वारा आंदोलन।

(ग) जीवन बीमा निगम व्यक्तिगत सम्पर्क और प्रचार द्वारा अपने भावी बीमादारों को यह बात समझाने का प्रयास कर रहा है कि परिवार को बीमा सुरक्षा प्रदान करना कितना आवश्यक है। इसके परिणामतः चालू वर्ष में जीवन बीमा निगम का कारोबार फिर से बढ़ गया है।

बैंकों से लघु उद्योगों को ऋण

687. श्री मधु दन्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या बैंकों से लघु उद्योगों को ब्याज की रियायती दरों पर ऋण देने का सिद्धांत मत्स्य उद्योग पर भी लागू करने का विचार है; और

(ख) यह कार्यवाही कब की जायेगी।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) मत्स्यपालन को डेरी फार्मिंग, मुर्गीपालन आदि की ही तरह कृषि से सम्बद्ध कार्य माना जाता है और इस प्रकार यह एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इस प्रकार के कार्य के लिये स्वीकृत, और भारतीय ऋण गारंटी निगम लि० की लघु ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले 50,000 रु० तक के अग्रिमों को रिज़र्व बैंक के न्यूनतम ऋण-दर विषयक निर्देश से छूट प्राप्त है।

विशेष रूप से मत्स्य पालन (प्रोसेसिंग) एकक, नौका निर्माण यार्ड आदि की स्थापना के वास्ते दिये गये ऋण, लघु उद्योग एककों को दिये गये ऋण माने जाते हैं बशर्ते कि सम्बद्ध एककों का संयन्त्र, मशीनों आदि में पूंजी-निवेश 10 लाख रु० से अधिक न हो। इस प्रकार की यूनिटों को बैंकों द्वारा उपलब्ध की गयी तथा लघु उद्योगों विषयक ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाली 2 लाख रु० तक की वित्तीय सहायता को भी, $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत की न्यूनतम ऋण-दर की शर्त से छूट मिली हुई है।

जमाखोरों, चोरबाजारी करने वालों और तस्करों की बैंकों में जमा धनराशि

688. श्री के० लकप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जमाखोरों, चोरबाजारी करने वालों और तस्करों द्वारा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में की गई जाली जमा की राशि का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है, और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) बैंकों में यह सामान्य प्रथा है कि वे चालू खाते और चेक से संचालित बचत खाते खोलते समय, अपने भावी जमाकर्ताओं का परिचय, ऐसी पार्टियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं जिन्हें कि बैंक स्वयं जानते हैं। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गयी हिदायतों के अनुसार बैंकों के लिये यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि सभी जमाकर्त्ताओं के पूरे और सही पते, उनकी बहियों में दर्ज हों। फिर विशिष्ट शिकायतों के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष जांच पड़ताल भी की जाती है। जब कभी आयकर प्राधिकारी विशिष्ट जांच पड़ताल करते हैं तब भी बैंक पूरा सहयोग देते हैं।

Indian Airlines' Services to Leh

690. Shri Kushok Bakula: Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) Whether Ladakh has been opened to tourists for the last two years but suitable arrangements have not been made for their stay there; and

(b) if so, whether Indian Airlines propose to introduce air services for Leh (Ladakh) ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) The restrictions on visit of foreign tourists to Leh town were relexed only in June, 1974. The Jammu and Kashmir Government have proposed an outlay of Rs. 12 lakhs in their Annual Plan 1976-77 for the development of tourist facilities in Ladakh.

(b) Indian Airlines do not have a suitable aircraft in their present fleet for operation of air services to Leh. The Corporation are, however, examaining proposals for aquirir g new types of jet aircraft,, which could be used for operation of air services to Leh.

रूबल की तुलना में रुपए का मूल्य

691. श्री समर गुह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या रूसी रूबल तथा भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर निश्चित करने संबंधी मामला हल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते संबंधी तथ्य क्या है ;

(ग) रूबल के साथ पहली विनिमय दर के हिसाब से भारतीय रुपये की जितनी हानि हुई ; और

(घ) क्या सोवियत संघ ने भारत को हुई हानि को पूरा करना स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : ये सवाल पैदा नहीं होते ।

दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में वस्त्रों का जमा होना

692. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान द्वारा निर्यात संवर्धन सम्बन्धी स्थायी समिति ने विशेषकर दिल्ली में भारी तादाद में जमा वस्त्रों की ढुलाई में वृद्धि करने के लिए एयर इण्डिया से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : भारत से सिले-सिलाए परिधानों के निर्यातों में अभुतपूर्व वृद्धि होते पर यह पता लगा कि एयर इंडिया समेत समस्त अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों की निर्धारित सेवाओं में उपलब्ध माल ढुलाई क्षमता मांग पूरा करने के लिए अपर्याप्त है । नवम्बर, 1975 में जब इस समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया तो वाणिज्य मंत्रालय ने यह मामला पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय के सामने रखा और इस पर कई बार बातचीत हुई । इस बातचीत के फ़लस्वरूप एयर इंडिया ने दिसम्बर, 1975 से कई विशेष चार्टर सेवाएं चलाई ताकि दिल्ली से सिले-सिलाए परिधानों की अधिक से अधिक ढुलाई की जा सके । कतिपय विदेशी विमान कम्पनियों ने भी कुछ अतिरिक्त माल-ढुलाई सेवाएं चलाई ।

विदेशों में संयुक्त उपक्रम

693. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) क्या भारत ने निर्यात में विस्तार करने, विशेषत: सेन्ट्रल अमरीका तथा लैटिन अमरीका और कैरिबियन द्वीपों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की गुंजाइश है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त क्षेत्रों में इस दिशा में कोई कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) निर्यातों को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) मैक्सिको, ब्राजील और कोलम्बिया में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के माध्यम से बाजार अध्ययन किये गये हैं । इसी प्रकार के अध्ययन पेरू और अर्जेंटीना के सम्बन्ध में भी चल रहे हैं ।

(2) गत वर्ष पेरू और कोलम्बिया में भारतीय उत्पादों की प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं ।

(3) अर्जेंटीना में राज्य व्यापार निगम का एक कार्यालय खोला गया है ।

(4) निर्यात बढ़ाने के लिये बाजार ढूंढने के उद्देश्य से इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् परियोजना तथा उपस्कर निगम, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ के प्रतिनिधि-मण्डलों ने लैटिन अमरीकी देशों का दौरा किया ।

बाजार अध्ययनों के परिणामस्वरूप इंजीनियरी माल, स्टील संयंत्रों, खनन कार्यों, वस्त्रों और मशीनी औजारों के सम्बन्ध में कुछ संयुक्त उपक्रम सम्भावनाएं बन सकती हैं । सम्बन्धित पार्टियां सम्भव सहयोग के लिये एक दूसरे से सम्पर्क करती रही हैं ।

निर्यातोन्मुख उद्योगों में अमरीकी पूंजी निवेशकों की भागीदारी

694. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने 21 सितम्बर, 1975 को मद्रास में कहा था कि केन्द्रीय सरकार सभी निर्यातोन्मुख उद्योगों में अमरीकी पूंजी निवेशकों की अधिकांश भागीदारी की अनुमति देने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): वित्त मंत्री जी ने मद्रास में यह कहा था कि गुणावगुण के आधार पर विदेशी कम्पनियों को ऐसे उद्योगों के अधिकांश शेयर रखे रहने दिए जाने की सम्भावना है जो पूर्ण रूप से निर्यात के लिए माल का उत्पादन करते हैं। यही बात अमरीकी कम्पनियों पर भी लागू होगी।

कलकत्ता में चाय नीलामी व्यवस्था में सुधार करना

†695. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में चाय नीलामी व्यवस्था में सुधार करने का पक्का विचार है ताकि चाय की बड़ी बड़ी खेपों के लदान में असाधारण विलम्ब न हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : जी नहीं। इस प्रश्न पर निरन्तर विचार किया जाता है कि चाय के नीलाम ऐसे ढंग से किय जाएं जिससे चाय की बड़ी बड़ी खेपों के लदान में अनावश्यक विलम्ब न हो।

फारस की खाड़ी के देशों को कश्मीरी सेबों का निर्यात

696. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीरी सेबों का फ़ारस की खाड़ी के देशों को निर्यात किय जाने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

697. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के पास मैसर्ज शार्प एज्ज लिमिटेड की साम्य पूंजी के 47.5 प्रतिशत शेयर है ; और

(ख) क्या युनिलिवर, लन्दन के पास हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की साम्य पूंजी के 85 प्रतिशत शेयर है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) : जी, हां।

(ख) जी, हां।

एक गैर-सरकारी व्यापारिक दल की अमरीकी यात्रा

†698. श्री वीरभद्र सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक गैर-सरकारी व्यापारिक दल ने अमरीका की यात्रा की थी ;

(ख) क्या इस दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। भारत-अमरीका व्यापार मण्डल का एक प्रतिनिधिमंडल दिसम्बर, 1975 में सं० रा० अमरीका गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Export of Jute

699. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether export of jute has registered a fall as compared to the export figures of 1974-75; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Fall in jute goods exports is attributable to decline in demand on account of recession and increasing competition from synthetics and other producers.

आम जनता को सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए शो-रूमों का खोला जाना

*700. श्री बसन्त साठे :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने, आम जनता को सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए देश में अनेक शो-रूम खोलने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां

(ख) योजना की मुख्य विशेषता बिचौलियों को समाप्त करना जिससे उपभोक्ताओं को सीधे उचित कीमत पर कपड़ा मिल सके। इससे मिलों को बेहतर दाम प्राप्त करने में तथा अपने उत्पादन को उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाबद्ध करने में सहायता मिलेगी 1976 के अन्त तक 500 प्रदर्शन-कक्ष / डिपो स्थापित करने का प्रस्ताव है।

गन्दी बस्तियां हटाने के कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से सहायता

701. **श्री बसन्त साठे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में गन्दी बस्तियां हटाने के कार्यक्रम के लिए सहायता देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की कुल अनुमानित लागत क्या है तथा ऋण सुविधा की शर्तें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). 12 सितम्बर 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने जो आसान शर्तों पर ऋण देने वाली और विश्व बैंक से सम्बन्धित संस्था है, कलकत्ता नगर विकास परियोजना के लिए 350 लाख डालर का एक ऋण मंजूर किया है। इस ऋण पर केवल 3/ प्रतिशत वार्षिक की दर से सेवा-प्रभार के अतिरिक्त कोई व्याज नहीं लगेगा। यह ऋण 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में चुकाया जायगा। इस 350 लाख डालर के ऋण की कुछ राशि गन्दी बस्तियां हटाने के कार्यक्रम के लिए नियत की गई है।

हथकरघा बुनकरों की रहन-सहन की स्थितियों में सुधार

702. **श्री बसन्त साठे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में हथकरघा बुनकरों की रहन-सहन की स्थितियों में सुधार करने के लिये क्या नये कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में हथकरघा क्षेत्र के व्यापक विकास कार्यक्रम के लिए अनेक उपाय की घोषणा की है। इनमें शामिल हैं (1) हथकरघों के सहकारी क्षेत्र को वर्तमान 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, (2) हथकरघों का आधुनिकीकरण, (3) बेहतर ऋण सुविधाओं की व्यवस्था, (4) गहन विकास तथा निर्यात-अभिमुख परियोजनाओं की स्थापना, (5) न्यायोचित कीमतों पर कच्चे माल की उपयुक्त सप्लाई सुनिश्चित करना, (6) हथकरघा माल के लिए बिक्री केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण व विस्तार, और (7) हथकरघा क्षेत्र के लिए उत्पादन के अधिक क्षेत्रों का आरक्षण।

इन उपायों के परिणामस्वरूप आशा है कि हथकरघा बुनकरों के आर्थिक स्तरों में सुधार होगा।

Accumulation of handloom stocks in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh

703. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state:

(a) whether handloom stocks worth crores of rupees have accumulated in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh which has posed a problem for the handloom workers; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) :

(a) & (b) Reports of heavy accumulation of handloom stocks were received from the Government of Uttar Pradesh and certain other State Governments, but no such report was received

from the Government of Madhya Pradesh. A total loan assistance of Rs 5 crores was granted to those States where the situation of accumulation was reported to be serious. The Government of Uttar Pradesh was sanctioned a loan of Rs.70 lakhs, for this purpose. Subsequently, in order to speed up the clearance, a special rebate of 20% on sale of accumulated handloom goods till 31st January, 1976 has also been announced. The Centre's Contribution would be 10% subject to a matching contribution of 10% by the State Governments concerned.

स्वनिकासी प्रक्रिया समिति

704. **डा० लक्ष्मी नारायण पाँडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लक्ष्मण देव की अध्यक्षता में स्वनिकासी प्रक्रिया समिति ने राजस्व की चोरी को रोकने के लिये स्वनिकासी प्रक्रिया को हटाने की सिफारिश की है ;

(ख) राजस्व की चोरी को रोकने के लिये इस समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस समिति की मुख्य सिफारिशों को लागू करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). श्री वी० वैंकटापैया की अध्यक्षता में स्थापित केन्द्रीय उत्पान-शुल्क (स्व-निकासी कार्यविधि) समीक्षा समिति की रिपोर्ट की प्रतियां 9 सितम्बर, 1974 को सदन-पटल पर रख दी गई थीं। समिति ने, उत्पादन तथा विपणन की प्राविधियों में भिन्नता और कराधान कार्यविधि की अपेक्षाओं के अनुपालन के स्तर में विविधता को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक नियंत्रण की एक पद्धति की सिफारिश की है जो उद्योगों के विभिन्न समूहों के लिए अपनाई जाने वाली विशिष्ट कार्यविधियों के आधार पर तैयार की गई है। जिन किस्मों के नियंत्रणों की सिफारिश की गई है वे (i) लेखा, (ii) उत्पादन और (iii) निकासी पर आधारित हैं और इनका नाम क्रमशः—

(i) लेखा आधारित नियंत्रण (ले० आ० नि०);

(ii) उत्पादन आधारित नियंत्रण (उ० आ० नि०), तथा

(iii) निकासी आधारित नियंत्रण (नि० आ० नि०);

रखा गया है। नियंत्रण की जिन प्रणालियों का सुझाव दिया गया है उनमें कर प्रणाली के प्रवतन में और अधिक कुशलता लाने की दृष्टि से कतिपय संशोधन का समावेश किया गया है और उनमें आन्तरिक लेखा परीक्षा और निवारक संगठनों को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से अन्य सिफारिश की गई है।

(ग) समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ताकि उन्हें शीघ्रता से अमल में लाया जा सके। राजस्व की चोरी को रोकने के संबंध में समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर जो कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है उसका ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है।

विवरण

(i) निर्धारितियों द्वारा रखे जाने वाले गेट पास तथा अन्य कानूनी दस्तावेजों का प्रमाणीकरण ;

(ii) माल ले जाते समय जांचे गये गेट पासों का कारखानों के रिकार्डों से मिलान ;

(iii) विद्युत की कमी, श्रमिक अशान्ति, कच्चे माल की कमी आदि जैसे कारणों की भूमिका का उत्पादन-शुल्क लगने योग्य माल के उत्पादन में कमी के संदर्भ में समुचित मूल्यांकन ;

(iv) विभिन्न अवस्थाओं में उत्पादन का पर्यवेषण करने तथा पैक करने और माल भरने की कार्यवाही, गोदाम के माल, प्रयुक्त कच्चे सामान, शुल्क अदा किये गये माल की प्राप्ति, तौलने की मशीनों का सही होंने, उत्पादन-शुल्क लगने योग्य माल के विनष्ट किये जाने आदि के संबंध में नियंत्रण रखने के लिये केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कर्मचारियों द्वारा उन एककों का बार-बार दौरा किया जाना जिनमें 5 लाख रु० प्रतिवर्ष से अधिक मूल्य के माल का उत्पादन होता हो ;

(V) शुल्क अदा किये गये ऐसे माल की प्राप्तियों के संबंध में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों द्वारा नियम 56क के अन्तर्गत, संभाव्य सीमा तक, वास्तविक पर्यवेक्षण जिसमें 50,000 रु० अथवा उससे अधिक शुल्क की रकम अन्तर्गस्त हो ;

(vi) कारखाने के दैनिक उत्पादन रिकार्ड में हिसाब लगाने के प्रयोजन के लिये उत्पादन-शुल्क लगने योग्य माल के निर्माण के पूर्ण किए जाने से पूर्व की अवस्था को मालूम करने का प्रयत्न ;

(Vii) वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा उत्पादन-शुल्क लगने योग्य माल पर लागू होने वाली शुल्क-दर के संबंध में सही तथा शीघ्र निर्णय करने की दृष्टि से, यदि आवश्यक हो तो अधिकारियों को कारखानों का दौरा करना चाहिए और इस प्रकार के माल तथा उसके निर्माण की प्रक्रिया का निरीक्षण करना चाहिए और बिक्री संगठनों तथा निर्माताओं की विपणन पद्धति की जांच करनी चाहिए और माल का वर्गीकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व निर्धारितियों को माल के नमूने भेजने चाहिए ;

(Viii) अधिक विशेष रूप से उनएककों के संबंध में, जिनमें उत्पादन/राजस्व कम हो गया है अथवा संस्थापित क्षमता/बिक्री आदि में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं है, निवारक नियंत्रण का सुदृढ़ किया जाना तथा राजस्व के अपवंचन से संबंधित गुप्त सूचना का इकट्ठा किया जाना।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीयों को रियायत दिया जाना

706. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री सतपाल कपूर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत के बैंकों में खाते खोलने और उन्हें चलाने के सम्बन्ध में हाल ही में कुछ बड़ी रियायतें दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नई योजना शुरू की है जो 1-11-75 से लागू है। इसके अन्तर्गत

भारतीय राष्ट्रिकता अथवा भारतीय मूल के वे व्यक्ति, जो विदेशों में रहते हैं, निर्दिष्ट विदेशी मुद्राओं में नामोदिष्ट गैर-आवासी (विदेशी) खाता खोल सकते। इस समय ब्रिटिश स्टर्लिंग और अमरीकी डालर निर्दिष्ट मुद्राएं हैं। इन खातों में भेजी जाने वाली रकम निर्दिष्ट मुद्रोओं में से किसी एक मुद्रा में होनी चाहिए। विदेशी मुद्रा खाता उसी मुद्रा में रखा जायगा, जिसमें कि प्रेषित राशि प्राप्त होगी और खाताधारी की हिदायतों के अनुसार इसका भुगतान अथवा किसी अन्य जगह पर स्थानान्तरण भी उसी मुद्रा में किया जाए। इन खातों में जमा रकमों पर मिलने वाले ब्याज पर भारतीय आयकर नहीं लगेगा और यह ब्याज भी उसी मुद्रा में अदा किया जायेगा जिसमें खाता रखा गया हो। इस प्रकार, खाताधारी द्वारा प्रेषित रकम और उस रकम पर अर्जित ब्याज दोनों के सम्बन्ध में विनिमय का जोखिम गैर-आवास जमाकर्त्ता को नहीं उठाना पड़ेगा। शुरू में, ये खाते 91 दिन अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए जो 61 महीने से अधिक नहीं होगी, सावधि जमा के रूप में रखे जा रहे हैं। जो सुविधाएं भारतीय रुपयों में रखे जाने वाले गैर-आवासी (विदेशी) खातों के सम्बन्ध में उपलब्ध है, वह सभी निर्दिष्ट विदेशी मुद्राओं में रखे जाने वाले खातों के सम्बन्ध में भी उपलब्ध होंगी।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का खोला जाना

707. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 के दौरान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने बैंक खोले गए हैं तथा वर्ष 1976 के दौरान कितने खोले जाने का प्रस्ताव है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना दी है कि पहली जनवरी, 1975 से 30 नवम्बर, 1975 तक की अवधि के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद डिवीजन में, ग्रामीण केन्द्रों में, 7 कार्यालय खोले। इस डिवीजन में फैज़ाबाद बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, प्रतापगढ़ और सुलतानपुर जिले आते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी बताया है कि नवम्बर, 1975 के अन्त में वाणिज्यिक बैंकों के पास, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने की 9 अनुज्ञातयां (लाइसेंसों)/आवंटन थे (जिनमें से 8 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास थे)।

बैंकों द्वारा, शाखा-विस्तार का कार्य "तीन वर्षीय रोलिंग योजनाओं" के ढांचे के भीतर किया जाता है। इस समय, रिज़र्व बैंक 1976 से 1978 तक के तीन वर्षों में व्याणिज्यिक बैंकों की शाखा-योजनाओं की जांच कर रहा है।

कोचीन के निकट एक सिविल हवाई अड्डा बनाया जाना

708. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री मयीथुरा में एक हवाई अड्डे के निर्माण सबंधी निर्णय के बारे में 26 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 790 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस स्थान के बारे में कोई निर्णय कर लिया है जहां कोचीन के निकट एक सिविल हवाई अड्ड बनाया जायेगा, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : कोचीन के निकट एक नये सिविल विमान क्षेत्र के निर्माण के प्रश्न को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वर्तमान नौसैनिक विमानक्षेत्र का उसे बोइंग 737 परिचालनों के उपयुक्त बनाने के लिये विकास किया जाएगा।

भारतीय पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर

709. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री भारतीय पर्यटन विकास निगम की "डैकर डील" के बारे में 11 अप्रैल, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 621 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा को गयी कुछ फर्नीचर-संविदाओं के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने यह दृष्टिकोण लिया कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा और आगे जांच कराया जाना आवश्यक है। सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत हो गयी तथा आगे जांच की जा रही है।

सोवियत रूस तथा पूर्व यूरोपीय देशों के साथ रुपए में भुगतान की पद्धति पर व्यापार

710. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस तथा पूर्व यूरोपीय देशों के साथ रुपये में भुगतान की पद्धति समाप्त हो रही है ;

(ख) क्या इन देशों के साथ हमारे व्यापार पर इस पद्धति की समाप्ति के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में ग्रामीण बैंक

711. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण बैंक स्थापित करने का क्या मानदंड है ;

(ख) बिहार में 1976 के दौरान ऐसे कितने बैंक खोलने का विचार है ; और

(ग) क्या ऐसे बैंक खोलने के लिये कोई निर्धारित समय निश्चित किया गया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उन क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं, जो विकास की पर्याप्त संभावनाएं अपने भीतर निहित रखने पर भी, सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकों जैसी विद्यमान संस्थागत ऋण संस्थाओं की पर्याप्त सेवा पाने से वंचित हैं।

(ख) और (ग) : अब तक स्थापित 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से एक बैंक बिहार में, आरा में, स्थापित किया गया है जिसके अधीन भोजपुर और रोहतास जिले आते हैं। प्रस्ताव यह है कि आवश्यक जन शक्ति की कमी दूर हो सके तो अप्रैल, 1977 तक देश में, 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित कर दिये जायें। ये बैंक, इस प्रयोजन के लिय निर्धारित कसौटी के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त पाये जाने वाले क्षेत्रों में खोले जायेंगे।

हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात में कमी

712. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). जी हां। अप्रैल-नवम्बर, 1975 के दौरान निर्यात 4,778.88 लाख रु० (अनन्तिम) के हुए थे जबकि 1974 की उतनी ही अवधि के दौरान 5,912.85 लाख रु० (अनन्तिम) के हुए थे। चूंकि हस्तशिल्प की वस्तुओं के अप्रैल-नवम्बर, 1975 के दौरान हुए निर्यातों के आंकड़े अनन्तिम हैं, अतः निर्यातों में कमी की ठीक-ठीक मात्रा का उल्लेख नहीं किया जा सकता। तथापि, गत अनुभव से पता चलता है कि अनन्तिम आंकड़ों के अन्तिम आंकड़ों से कम ही रहने की संभावना होती है।

हस्ताशिल्प के निर्यातों में कमी का मुख्य कारण मन्दी प्रतीत होता है जिससे हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य पश्चिम यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं को धक्का लगा है।

(ग) निर्यातों में कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं / उठाये गए हैं :—

(1) जिन कालीनों के लिए अच्छा बाजार है उनके उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से कालीन बुनाई में प्रशिक्षण के लिए केन्द्र खोले जा रहे हैं। ऋण संबंधी उद्योग की समस्याओं पर गहराई से विचार किया जा रहा है।

(2) अगले कुछ महीनों में बिक्री-सह-अध्ययन दल विदेश भेजे जाएंगे और प्रदर्शनियां भी आयोजित की जा रही हैं।

(3) एक महत्वपूर्ण बाजार अर्थात् यूरोपीय आथक समुदाय में संबर्धन संबंधी कार्य और डिजाइनरों के आदान प्रदान किये जा रहे हैं।

(4) निर्यातकों को काफी प्रोत्साहन दिये गए हैं और इनसे उन्हें महत्वपूर्ण विदेशी बाजारों में पुनः अपना स्थान बनाने का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

पटसन व्यापार तथा उद्योग

713. श्री हरि किशोर सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश द्वारा अपरिष्कृत पटसन तथा पटसन उत्पादों को कम मूल्य पर बेचने के लिए उठाये गए कदमों का इस देश के पटसन व्यापार तथा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) चूंकि भारत कच्चे पटसन का केवल सीमान्त निर्यातक ही है, अतः यदि बंगला देश द्वारा निर्यात की कीमतों में कोई कमी की जाती है तो उसका हम पर बहुत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। किन्तु पटसन से बने माल की निर्यात कीमतों में कमी से विदेशों में भारतीय पटसन माल की मांग पर असर पड़ेगा।

(ख) विदेशों के बाजारों में भारतीय पटसन माल को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों में कालीन-अस्तर और हेसियन पर निर्यात शुल्क हटाना और कालीन अस्तर और सजावटी पटसन वस्त्रों पर नकद मुआवजा सहायता दिया जाना शामिल है।

Export of Mica

714. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state:

(a) the value of orders received for export of mica during the year 1975; and

(b) the value of orders received by Mica Trading Corporation and private exporters from each country, separately as also the names of such private exporters?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh)

(a) Rs.23·87 crores.

(b) All export orders are in the name of Mica Trading Corporation through whom the export of processed mica is canalised. The erstwhile exporters who act as agents of the Corporation are also allowed to negotiate sales on its behalf. Two statements, one indicating country-wise value of orders received by Mica Trading Coproration and its agents and another containing names of those agents are attached. [placed in library see No LT-10135/76]

Tourism Literature Published by Government

715 **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the **Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the quantum of tourist literature published by Government during the last three years indicating the languages in which such literature was published; and

(b) the expenditure incurred thereon?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh):

(*a*) *and* (*b*)—The details of the tourist literature produced during 1972-73, 73-74 and 74-75 are given below along with the expenditure incurred:

Year	Quantity in Lakhs	Language	Expenditure
1972-73	51·395	English	
	0·31	French	
	0·31	German	
	0·30	Spanish	
	0·153	Italian	
	1·30	Hindi	
	53·62		80·03
1973-74	23·905	English	
	14·33	French	
	13·46	German	
	3·86	Spanish	
	3·735	Italian	
	2·62	Hindi	
	61·94		67.61
1974-75	25·65	English	
	3·50	French	
	3·65	German	
	1·50	Spanish	
	1·65	Italian	
	35·05		61·83

इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के उड़ने वाले विमान

*716. श्री शंकर राव सावन्त : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इंडियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया के पास किस प्रकार के विमान हैं तथा उनकी संख्या क्या है; और

(ख) उनमें से कितने प्रकार के विमानों का देश में निर्माण होता है तथा कितनों का आयात होता है तथा किन-किन देशों से उनका आयात होता है और उनका मूल्य क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इन्डियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के संबंध में अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :—

इंडियन एयरलाइंस

क्रम सं०	विमान का प्रकार	विमान की संख्या	निर्माणकर्ता देश	मूल्य* (रुपयों में)
1	बोइंग 737 . . .	पहला	यू०एस०ए०	3,33,98,453
		दूसरा	,,	3,33,47,847
		तीसरा	,,	3,33,72,769
		चौथा	,,	3,33,67,278
		5वां	,,	3,38,31,019
		6वां	,,	3,38,31,019
		7 वां	,,	4,32,09,378
		8 वां	,,	4,75,63,778
		9 वां	,,	4,75,63,778
		10 वां	,,	4,75,63,778
		11 वां	,,	5,31,07,179
		12 वां	,,	5,30,22,107
2	कारवेल . . .	पहला	फ्रांस	1,58,03,972
		दूसरा	,,	1,66,95,929
		तीसरा	,,	2,34,66,983
		चौथा	,,	1,66,95,929
		5वां	,,	2,58,08,50[illegible]
		6वां	,,	18,14,903**
3	फोकर फ्रेंडशिप .	पहला	हालैंड	40,40,462
		दूसरा	,,	40,39,034
		तीसरा	,,	40,39,034
		चौथा	,,	44,36,849
		5वां	,,	44,44,673
		6वां	,,	44,45,515
		7 वां	,,	44,46,092
		8 वां	,,	94,96,817
		9 वां	,,	94,90,634
4	एचएस-748 . .	पहला	भारत	1,06,47,500
		दूसरा	,,	,,
		तीसरा	,,	,,
		चौथा	,,	,,

क्रम सं०	विमान का प्रकार	विमान की संख्या	निर्माणकर्ता देश	मूल्य
		5 वां	भारत	1,06,47,500
		6 वां	,,	,,
		7 वां	,,	,,
		8 वां	,,	,,
		9 वां	,,	,,
		10 वां	,,	,,
		11 वां	,,	,,
		12 वां	,,	,,
		13 वां	,,	,,
		14 वां	,,	1,24,00,000
		15 वां	,,	1,24,00,000
5	वाइकाउंट . . .	पहला	यू० के०	49,20,778
		दूसरा	,,	30,76,206
6	डीसी-3 . . .	एक	यू०एस०ए०	1,28,319
एयर इंडिया				
				(दस लाख अमरीकी डालरों में)***
1	बोइंग 707-420 . .	पहला	यू०एस०ए०	5.552
		दूसरा	,,	5.563
		तीसरा	,,	6.263
		चौथा	,,	6.264
2	बोइंग 707-320 बी .	पहला	,,	6.893
		दूसरा	,,	7.187
		तीसरा	,,	7.244
3	बोइंग 707-320 सी .	पहला	,,	7.593
		दूसरा	,,	7.778
4	बोइंग 747-200 बी .	पहला	,,	24.528
		दूसरा	,,	24.492
		तीसरा	,,	24.612
		चौथा	,,	24.673
		5 वां	,,	30.147

*यह मूल्य खरीद के समय का है ।

**विमान आरम्भ में पट्टे पर लिया गया तथा बाद में खरीद लिया गया ।

***इन मूल्यों में लगाये गये इंजनों, मास्टर परिवर्तनों, खरीदार द्वारा प्रदत्त उपकरण तथा अन्य समस्त लगाये जाने योग्य एस्केलेशनों के मूल्य सम्मिलित हैं । इन मूल्यों में कर, वितरण एवं पूंजीकृत ब्याज के संबंध में किया गया व्यय सम्मिलित नहीं है ।

पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों को दिया गया ऋण

717. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों ने पंजाब में औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों को कोई ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य के कृषि क्षेत्र को कितने प्रतिशत ऋण दिया गया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). जून 1975 के अन्त में यथा उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, पंजाब में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) द्वारा कृषि के लिए दिये गये ऋणों की बकाया रकम (अन्तिम रूप से) 3521.32 लाख रुपये थी। पंजाब राज्य में इन बैंकों द्वारा किये गये सकल ऋणों में, इन ऋणों के अंश की प्रतिशतता और उस तारीख को औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में यथासंभव सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

तस्करी विरोधी उपाय

718. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति की घोषणा के बाद सरकार द्वारा किये गये तस्करी विरोधी उपायों में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) नियमित और कानूनी माध्यमों से अधिक विदेशी मुद्रा भेजे जाने पर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियां निवारक अधिनियम के कार्यकरण का क्या प्रभाव पड़ा है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तस्करी-विरोधी अभियान को और अधिक तेज करने के लिए किए गये कुछ उपाय ये हैं :—

(i) निवारक तथा गुप्त सूचना तंत्र में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर उसे सुदृढ़ करना और गुप्त सूचना तथा जांच पड़ताल एककों को अधिक सक्रिय बनाना। पश्चिमी समुद्रतट पर दूर-संचार व्यवस्था कायम कर दी गई है जिससे, निषिद्ध माल के लाने-ले जाने के कार्य को आयात की गई तेज गति वाली जटिल नौकाओं और अन्य जब्त शुदा जलयानों द्वारा मार्ग में रोकने और तस्कर व्यापारियों को पकड़ने के प्रयासों में सहायता मिल सकेगी।

(ii) दुकानों, स्टालों और उन स्थानों पर छापे मारने और तलाशी लेने के कार्य की गति में बराबर तेजी लाई जाती रही है जिनके बारे में तस्करी का माल संग्रह करने के भंडार के रूप में इस्तेमाल किए जाने का संदेह हो।

(iii) तस्करी विरोधी अभियान के संबंध में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों और राज्य प्राधिकारियों के बीच अधिक अच्छा समन्वय स्थापित किया गया है।

(iv) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी, क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 में विद्यमान उपबन्धों को आपात स्थिति के संदर्भ में सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से दो अध्यादेशों द्वारा संशोधन किया गया है। जिन व्यक्तियों के खिलाफ 3-1-1976 तक नजरबन्दी के आदेश जारी किए गये हैं उनकी संख्या 1987 तक पहुंच गई है।

(ख) तस्करी विरोधी अभियान, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम और अन्य उपायों के परिणामत: विदेशों से नियमित तथा कानूनी जरियों से धन का सम्प्रेषण बहुत अधिक बढ़ गया है। जून-नवम्बर, 1975 की अवधि में विदेशों से भेजी गई सभी प्रकार की धन-राशि निर्यातों से प्राप्त रकमों को छोड़कर, 504.10 करोड़ रु० थी जबकि वर्ष 1974 की इसी अवधि में यह रकम 260.64 करोड़ रु० थी।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को उपदान की व्यवस्था

719. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के सभी पात्र कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष उपदान की व्यवस्था की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी व्यवस्था की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के सभी ग्रेचुइटी के पात्र कर्मचारियों के बारे में 1974-75 से ग्रेचुइटी रिजर्व में ग्रेचुइटी की व्यवस्था की जा रही है। पहले यह व्यवस्था केवल अशोक होटल के कर्मचारियों के बारे में की जा रही थी।

(ख) गत तीन वर्षों में ग्रेचुइटी रिजर्व में की गयी व्यवस्था का विवरण निम्नलिखित है :

वर्ष	**राशि (लाख रुपयों में)**	
1972-73	2.75	केवल अशोक होटल के सभी ग्रेचुइटी के पात्र कर्मचारियों के लिये।
1973-74	4.67	,, ,, ,,
1974-75	31.55	भारत पर्यटन विकास निगम (अशोक होटल सहित) के सभी ग्रेचुइटी के पात्र कर्मचारियों के लिए।

आसाम में चाय उद्योग

720. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में चाय उद्योग के समक्ष चाय बागान के भूतपूर्व श्रमिकों में बेरोजगारी छोटे तथा संकटग्रस्त चाय बागानों के लिए ऋण प्राप्त करने तथा परिवहन और गोदाम संबंधी आवश्यकताओं की समस्याएं हैं ; और

(ख) यदि हां तो सरकार का विचार चाय बागान को इनसे बचाने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) असम में 751 चाय बागान हैं जिनका क्षेत्रफल 1.85 लाख हेक्टेयर बैठता है। इन चाय बागानों के बन्द होने / संकटग्रस्त होने के बहुत से कारण हैं जिनमें वित्तीय तथा प्रबन्ध सम्बन्धी कारण भी शामिल हैं। इन

बागानों में 3000 हेक्टर क्षेत्र कवर होता है। जिन चाय बागानों को पुन: सामान्य हालत में लाया जा सकता है, उनके पुन: स्थापन के लिए सरकार ने उपाय तय कर लिए हैं, जिनमें उनका प्रबंध-ग्रहण भी शामिल है और इन चाय बागानों के प्रबन्ध ग्रहण की व्यवस्था करने के लिए चाय अधिनियम 1958 में संशोधन करने के उद्देश्य से विधान पेश करने हेतु प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

परिवहन सम्बन्धी बाधाएं, गोदाम सम्बन्धी कठिनाइयों आदि दूर करने के प्रश्न का बराबर पुनरीक्षण किया जा रहा है।

प्याज का निर्यात

721. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्याज का अब भी निर्यात किया जाता है ;

(ख) क्या प्याज के निर्यात के कारण देश में उसकी कीमत बढ़कर 5 रु० किलो हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में प्याज का निर्यात बन्द करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ग) : शुरू दिसम्बर, 1975 से प्याज का निर्यात अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं। कुछ क्षेत्रों में नवम्बर, 1975 की फ़सल खराब होने के परिणामस्वरूप खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 3.20 रु० प्रति किग्रा० के स्तर तक पहुंच गई थी। नासिक के प्याज की फ़सल की आमद से अब स्थिति सामान्य हो गई है।

सामान्य बीमा निगम द्वारा उड़ीसा में पशु और फसल बीमा योजना लागू करना

722. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम ने उड़ीसा को पशु और फ़सल बीमा संबंधी अपनी योजनाओं में सम्मिलित कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उड़ीसा में यह योजना कब लागू की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) : उड़ीसा को सामान्य बीमा निगम की पशु बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है। फ़सल बीमा को उड़ीसा में लागू करने की व्यवहार्यता पर राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भारतीय स्कूल, लोनावाला से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विचार किया जायगा, जिसे देश में बड़े पैमाने पर लागू करने के लिये उपयुक्त ऐसी फसल बीमा योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया है जिनके अन्तर्गत व्यावहारिकता के आधार पर सभी मुख्य फ़सलें तथा सभी फ़सल मौसम आते हों।

Supply of Rock phosphate to Egypt

723. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) the quantum of rock phosphate proposed to be supplied to Egypt by India in 1975-76 under the trade pact signed between the two countries

(b) whether rock phosphate proposed to be supplied is in excess of the requirements within the country for manufacturing chemical fertilizers and other products

(c) the foreign exchange likely to be earned against the supply of rock phosphate; and

(d) whether the pact is on rupee payment basis and if not which currency will be the basis thereof

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanth Partap Singh):

(a) There is no provision for the export of rock phosphate from India to Arab Republic of Egypt during 1976 under Indo-ARE Trade Arrangement.

(b) & (c): Do not arise.

(d) Indo-ARE Trade Arrangement for the current year is on Rupee Payment basis.

पर्यटक महत्व के स्थानों में सुधार करने के लिए गुजरात को वित्तीय सहायता

724. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागरविमान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में पर्यटक महत्व के विभिन्न स्थानों में सुधार करने के लिये वर्ष 1973, 1974 और 1975 में गुजरात सरकार को कोई अनुदान मंजूर किया है और उसका भुगतान किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) और (ख) : पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए राज्य सरकारों को उपदान अथवा अनुदान देने की प्रणाली को भाग 11 स्कीमों को समाप्त करने के परिणामस्वरुप चौथी योजना से बन्द कर दिया गया है। अत: पर्यटन स्कीमों को या तो केन्द्रीय क्षेत्र में और या राज्यीय क्षेत्र में ही हाथ में लिया जाता है तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। अत: 1973, 1974 तथा 1975 के दौरान गुजरात सरकार को किसी अनुदान का विमोचन नहीं किया गया ।

आयात और निर्यात

725. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के दौरान आयात तथा निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और विदेशी मुद्रा में इन पर कितनी धनराशि व्यय हुई तथा इन से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1976 में निर्यात प्रोत्साहन अभियान के लिये कोई नये लक्ष्य अथवा उद्देश्य निर्धारित किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) तथा (ग) : 1976–77 के लिए निर्यात लक्ष्य तैयार किए जा रहे हैं ।

विवरण

विदेश व्यापार आंकड़े, वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महा-निदेशक, कलकत्ता द्वारा वित्तीय वर्ष के आधार पर रखे जा रहे हैं। आयात तथा निर्यातों के संबंध में अद्यतन उपलब्ध आंकड़े चालू वित्तीय वर्ष 1975-76 के आठ महीनों, अप्रैल—नवम्बर से संबंधित है। अप्रैल—नवम्बर 1975 दौरान 3445 करोड़ रु० मूल्य के आयात हुए, इस प्रकार इनमें विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 867 करोड़ रु० की अथवा 33.6 प्रतिशत बृद्धि हुई। अप्रैल-नवम्बर 1975 के दौरान 2349 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात (पुर्नमिया सहित) विगत की इस अवधि की तुलना में 320 करोड़ रु० की अथवा 15.8 प्रतिशत वृद्धि दर्शाये हैं।

निर्यातों के अगस्त 1975 तक उपलब्ध वस्तुवार आंकड़ों तथा साथ ही विगत वर्ष की उसी अवधि के आंकड़ों का व्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रमांक	वस्तु	(करोड़ रु० में) अप्रैल—अगस्त	
		1975	1974
1.	खली	23.8	39.1
2.	तम्बाकू	68.0	47.0
3.	मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं	41.1	25.2
4.	चाय	81.4	73.5
5.	काफ़ी	29.7	29.7
6.	चीनी	168.1	77.3
7.	काजू गिरी	45.4	52.8
8.	लौह अयस्क	72.5	39.3
9.	सूती वस्त्र	45.3	78.8
10.	सूती परिधान	50.7	39.8
11.	पटसन से बना माल	107.5	149.0
12.	चमड़ा तथा चमड़े से बना माल (जूतों को छोड़कर)	71.9	63.0
13.	इंजीनियरी माल	156.8	115.9
14.	हस्तशिल्प की वस्तुएं	80.0	72.3
	योग। निर्यात (अन्यों सहित)	1457.0	1264.1

आयातों के जुलाई, 1975 तक उपलब्ध वस्तुवार आंकड़े भी नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रु० में)

क्रमांक	वस्तु	अप्रैल—जुलाई	
		1975	1974
1.	अन्न तथा अन्न से बनी चीजें	394.3	151.5
2.	पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पाद	380.7	432.6
3.	रासायनिक पदार्थ	237.0	157.7
4.	कागज तथा गत्ता	25.4	16.7
5.	मोती तथा मूल्यवान और अर्ध-मूल्यवान रत्न	21.9	18.8
6.	लोहा तथा इस्पात	102.9	111.3
7.	अलौह धातुएं	26.3	61.7
8.	मशीनें तथा परिवहन उपस्कर	233.8	230.3
	योग : (अन्यों सहित)	1549.9	1330.8

हरिजन आश्रम, साबरमती में ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम

726. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजन आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद में ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम सफल सिद्ध हो रहा है ; और

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम की विषय वस्तु और शैली में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) यद्यपि साबरमती (अहमदाबाद) में ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम का सामान्यत : अच्छा स्वागत हुआ है, यह ठीक है कि आर्थिक दृष्टि से, कार्यक्रम के प्रारंभ से ही इसके कार्य परिणामों से पता चलता है कि यह कार्यक्रम कोई लाभ अर्जित नहीं कर रहा है । इस कार्यक्रम को प्रचार एवं विज्ञापनों आदि द्वारा लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ख) क्योंकि मूल टेप अभी करीब 5—6 वर्ष तक और चल सकते हैं अतः फ़िलहाल इनमें परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा परिवर्तनों पर और व्यय करना अच्छा भी नहीं होगा ।

भिन्न-भिन्न मूल्य के नये नोटों का छापा जाना

727. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1976 में भिन्न—भिन्न मूल्यों के नये नोट छापेगी और नये सिक्के बनाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख)· 1976 में दो रुपये के नये नोट जारी करने का प्रस्ताव है जिसका डिजाइन पहले से अच्छा होगा और जिसकी पिछली तरफ 'आर्यभट' का चित्र होगा। ये नोट नासिक प्रेस में ड्राई आफ़सेट प्रक्रिया से छापे जायेंगे। इस समय बाजार में जिन मूल्यों के सिक्के पहले ही चल रहे हैं, उनके अलावा 1976 में कोई नए सिक्के जारी किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

तस्करों की गिरफ्तारियाँ

728. **श्री समर गुह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) तस्करों की पकड़ी गई अवैध आस्तियों का नकदी और जिन्स में कितना मूल्य है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : 25 जून, 1975 को आपातस्थिति की घोषणा किये जाने के बाद, विदेशी मुद्रा अनुरक्षण तथा तस्करी निरोध अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अन्तर्गत 707 तस्कर नजरबंद किये गये थे। इसमें विदेशी-मुद्रा छल-साधकों की संख्या शामिल नहीं है।

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार तस्करों की संख्या एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

(ख) आय-कर विभाग द्वारा 29 सितम्बर; 1974 से 15 सितम्बर; 1975 की अवधि के दौरान ली गई तलाशियों के कारण तस्करों, उनके संबंधियों और साथियों को 8 लाख 50 हजार रुपये की नकदी और 22 लाख 30 हजार रुपए मूल्य की अन्य बहुमूल्य वस्तुओं सहित जेवर-जवाहरात पकड़े गये थे और उन्हें रोक रखा गया है।

तस्करों की सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ी गयी अवैध परिसम्पत्तियों के मूल्य के आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं, जो सदन-पटल पर रख दिये जायेंगे।

तस्कर तथा विदेशी-मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अध्यादेश 5 नवम्बर, 1975 को जारी किया गया था और तस्करों की "अवैध रूप से अर्जित" सम्पत्तियों की इस अध्यादेश के उपबंधों के अन्तर्गत जब्त करने में समय लगने की संभावना है।

आय कर अधिकारियों द्वारा छापे

729. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री मूल चन्द डागा :
श्री समर गुह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में जून से दिसम्बर, 1975 तक बिना हिसाब-किताब के धन तथा माल की खोज में कर अधिकारियों ने कुल कितने छापे मारे ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में इन खोजों के दौरान बिना हिसाब-किताब के पता लगाये गये और जब्त किये गये धन तथा माल का मूल्य कितना रहा ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख). तलाशी लेने तथा माल पकड़ने के संबंध में आयकर अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाहियों के आंकड़े आयकर आयुक्त के अधिकार क्षेत्रवार रखे जाते हैं न कि राज्यवार। इस समय ये आंकड़े नवम्बर, 1975 तक उपलब्ध हैं। जून-नवम्बर, 1975 की अवधि की अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गयी है।

विवरण

(आयकर अधिकारियों द्वारा 1-6-75 से 30-11-75 के बीच ली गयी तलाशियां)

आयकर आयुक्त का अधिकार क्षेत्र	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों की कीमत (लाख रु० में)
आंध्र प्रदेश	63	13.62
असम, नागालैंड मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र	23	9.63
बिहार	5	1.47
बम्बई (सेन्ट्रल सहित)	197	96.53
दिल्ली (सेन्ट्रल सहित)	63	616.69
गुजरात	144	49.23
कानपुर	40	21.11
केरल	70	24.22
लखनऊ	39	53.37
मध्य प्रदेश	79	10.74
तमिलनाडु (सेण्ट्रल सहित)	79	36.72
कर्नाटक	35	64.55
उड़ीसा	22	15.60
पूना	114	30.26
पटियाला	124	6.90
अमृतसर	61	17.15
विदर्भ और मराठवाड़ा	2	1.01
राजस्थान	4	1.35
पश्चिम बंगाल (सेण्ट्रल सहित)	181	210.49
	1,345	1280.64

निर्यातकों को नकद राज सहायता

730. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों को नकद राज सहायता देने के लिये कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य

731. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिये क्या ठोस उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) कच्चा पटसन के समाचार के बारे में भारतीय पटसन निगम का क्या योगदान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). कच्चे पटसन की कानूनी न्यूतम कीमत प्रति वर्ष कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर नियत की जाती है। यह आयोग सभी सम्बन्धित बातें ध्यान में रखता है जिसमें पटसन उपभोक्ताओं को लाभकारी कीमत का मिलना भी शामिल है। चालू मौसम के दौरान, आसाम बाटम और देहाती बाजारों में तुलनीय किस्मों के लिये कानूनी न्यूनतम कीमत 135 रुपये प्रति क्विंटल है जब कि पिछले मौसम में 125 रुपये प्रति क्विंटल थी। भारतीय पटसन निगम की स्थापना सरकार द्वारा देहाती-बाजारों में अपने निजी विभागीय खरीदारी केन्द्रों और पटसन उपजकर्ताओं की सहकारी समितियों के माध्यम से कच्चे पटसन की खरीद करने के लिये की गई है। भारतीय पटसन निगम के हिस्से में कच्चे पटसन का कितना बाजार आता है, वह ही लाजिमी तौर से उस वित्तीय साधनों पर निर्भर करता है जितना वह जुटा सकता है। पटसन निगम की नकद ऋण प्राप्तता को चालू मौसम में बढ़ा कर 24 करोड़ रुपये कर दिया गया है जब कि गत मौसम के लिये 20 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी। जिन मामलों में पटसन निगम कीमत संवर्धन कार्यों के रूप में खरीदारियां करना जरूरी समझता है, उनमें उसे अतिरिक्त ऋण की भी व्यवस्था है। चालू मौसम में निगम ने अब तक लगभग 5.70 लाख गांठें प्राप्त की हैं।

यद्यपि, मौसम के शुरू में कच्चे पटसन की चल रही कीमतें कानूनी न्यूनतम कीमतों के मुकाबिले ऊंची थीं परन्तु जब भारतीय पटसन निगम ने अपने खरीद करन तेज किये तो अक्तूबर-

नवम्बर में उनमें गिरावट शुरू हो गई । इसके अलावा, पटसन आयुक्त ने विभिन्न पटसन मिलों को पटसन (नियंत्रण तथा लाइसेंसिंग) आदेश के अधीन आदेश जारी किये जिनके अन्तर्गत बाजार से उनके द्वारा खरीदे जाने वाली न्यूनतम मात्रायें निर्धारित की गई । दिसम्बर से और इसके बाद कच्चे पटसन की कीमतों में फिर मजबूती आई और इस समय जो बाजार दरें चल रही हैं वे कानूनी न्यूनतम स्तरों से खासी ऊंची हैं ।

पश्चिम बंगाल में संकटग्रस्त पटसन मिलों का अधिग्रहण

732. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन कर्मचारियों की नेशनल यूनियन से सम्बद्ध सामान्य परिषद् ने प्रधान मंत्री से पश्चिम बंगाल में संकटग्रस्त पटसन मिलों का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) कुछ समय से बन्द पड़ी हुई पश्चिम बंगाल की कुछ पटसन मिलों के कर्मचारियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह इन मिलों का अधिग्रहण कर लें ।

(ख) सरकार ने औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल की दो पटसन मिलों के मामलों की जांच कराई है जिसमें एक वह मिल भी शामिल है जो कुछ समय से बन्द पड़ी है । जांच समिति के निष्कर्षों पर विचार किया गया है तथा उचित कार्यवाही की जा रही है ।

Deposits in Nationalised Banks

733. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether deposits of the nationalised banks have registered rapid increase during the last three years; and

(b) the percentage of the deposits in the nationalised banks functioning in each State utilised for the development of the respective State ?

Minister of State in charge of Deptt. of Rev. and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Aggregate deposits of the public sector banks, including the 14 nationalised banks, have increased from Rs. 6369 crores as at the end of June 1972 to Rs. 10382 crores as at the end of June 1975.

(b) Resource deployment by public sector banks in the form of both bank credit and investments in Central Government and State Government securities and bonds and debentures of their associated bodies, assists the developmental activities in the different States. The available data regarding outstanding advances of public sector banks and their investments in securities of State Governments and their associated bodies, for which alone statewise break up is possible, as a proportion of their deposits, are set out in the *Annexure.*

Statement

Statewise credit..Investment : eposittio of public sector banks

State/Union Territory	As on the last Friday of June		
	1972	1973	1974
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Andhra Pradesh	125·9	130·9	124·2
2. Assam	68·6	64·9	70·9
3. Bihar	29·5	40·4	46·6
4. Gujarat	72·6	74·2	78·4
5. Haryana	67·5	82·8	94·8
6. Himachal Pradesh	12·3	13·8	22·3
7. Jammu & Kashmir	18·7	20·2	36·5
8. Kerala	81·4	89·5	92·6
9. Madhya Pradesh	75·5	61·2	80.3
10. Maharashtra	103·0	98·1	104·4
11. Karnataka	116·2	119·4	122·2
12. Orissa	88·3	101·4	104·8
13. Punjab	38·9	41·9	55·6
14. Rajasthan	80·8	82·1	94·4
15. Tamil Nadu	146·5	149·3	137·0
16. Uttar Pradesh	51·3	53·8	60·1
17. West Bengal	85·4	86·3	99·8
18. Delhi	83·9	87·2	72·6
19. Pondicherry	118·4	100·6	109·9
20. Others*	145·6	99·3	113·6
All India	85·4	85·2	90·6

Note :—1. Advances+Investment Deposit Ratio have been worked out on the basis of advances according to district of sanction and not that of utilisation.

2. Advances relate to end-June and investments to end-March of the year.

Brooke Bond and Lipton Tea Companies

734. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state

(a) the annual profits earned by Brooke Bond and Lipton Tea Companies during the last three years;

(b) whether these companies remit their profits to foreign countries; and

(c) if so, the annual sums of profits remitted outside India by these companies during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Profits earned by Brooke Bond India Ltd. and Lipton Tea Companies are as under:—

(Rs. in thousands)

Sl. No.	Name of Company	Balance sheet as at	Profits before tax	Profits after tax.
1.	Brooke Bond India Ltd. (a subsidiary of Brooke Bond Leibig Ltd. U.K.)	June 1973	5,12,37	2,04,37
		1974	5,95,85	2,13,85
		1975	4,47,36	1,67,36
2	Lipton Ltd. . .	2nd Jan. '71 (1970-71)	12,74	3,14
		Ist Jan. '72 (1971-72)	7,48	1,40
		31st December 1972 (1972-73)	22,17	3,55
3	Lipton (India) Ltd.	January '72	80,71	17,41
		December, 1972	1,06,75	17,96
		December, 1973	1,46,28	33,69

(b) & (c) The figures of remittances in respect of these companies are as under —

	Dividend (Figures in Rupees)
Brooke Bond India Ltd.	
1971-72	1,51,05,454
1972-73	74,64,637
1973-74	37,32,318
	Profits
Lipton Ltd.	
1971-72	..
1972-73	..
1973-74	22,07,996

Trade with Socialist Countries

735. **Shri Ramavatar Shastri** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether our trade with Socialist countries has increased considerably; and

(b) the scheme formulated by Government to further increase their trade with Socialist countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Following are some of the measures taken to further increase trade with the Socialist countries:

(1) Drawing up of long-term trade plans with these countries to lend stability and growth to trade by meeting requirements of essential commodities and finding assured markets for selected commodities & products.

(2) Visit of Sales-cum-study delegations to the Socialist countries with a view to assessing market potential for India's export products.

(3) Participation in the important exhibitions and trade fairs held by the Socialist countries.

(4) Inviting the Trading Enterprises from the Socialist countries to visit specialised exhibitions held in India.

(5) Holding periodic meetings for reviewing of the bilateral flow of trade.

Rise in price of Tea

736. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Brooke Bond and Lipton Tea Companies have further increased tea prices during the last few months; and

(b) If so, the reasons for the price increase ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारतीय अर्थ व्यवस्था में मंदी की प्रवृत्ति

737. **श्री पी० एम० सईद** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की व्याप्त इस भय की जानकारी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गम्भीर मन्दी की प्रवृत्ति का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकार इस विचार से सहमत नहीं है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था को गम्भीर मन्दी की प्रवृत्ति का सामना करना पड़ रहा है। पूंजीगत वस्तुओं और कई मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, हालांकि निर्माण और परिवहन के क्षेत्रों में सम्बन्धित कुछ उद्योगों, सूती वस्त्र उद्योग और कुछ उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को अस्थायी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

(ग): सरकार ने मौजूदा औद्योगिक स्थिति की बड़े ध्यान से समीक्षा करने के बाद, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 13 नवम्बर, 1975 को कुछ उपायों की घोषणा की थी। इन उपायों का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, यह था : निर्माण सम्बन्धी क्रियाकलापों को बढ़ाना ताकि इस्पात, सीमेंट और निर्माण सम्बन्धी अन्य वस्तुओं की बिक्री बढ़े और रोजगार के अवसर पैदा हों; शहरी परिवहन व्यवस्था को फिर से सुदृढ़ बनाना ताकि वाणिज्यिक गाड़ियों के उद्योग

और सम्बद्ध उद्योगों को सहायता मिले; कंट्रोल के कपड़े का स्टाक जमा हो जाने से कपड़ा उद्योग पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना; और बोनस शेयर जारी करने की शर्तों में ढील देने जैसे उपायों द्वारा पूंजी-बाजार को प्रोत्साहन देना ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

738. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के सी० ग्रो० बी० लाइसेंस प्राप्त करने के दो ग्रावेदन-पत्र विदेशी मुद्रा ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत ग्रस्वीकार कर दिये गये हैं ;

(ख) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड वर्ष-प्रति-वर्ष ग्रपना व्यापार ही नहीं कर रही है ग्रपितु ग्रपनी ग्रधिष्ठापित क्षमता से बहुत ग्रधिक उत्पादन भी कर रही है ;

(ग) क्या वर्ष 1973 में उसने 16.2 लाख रुपये स्वदेश भेजने के बाद भी वर्ष 1974 ग्रौर 1975 में भारी लाभ कमाया था ग्रौर इसके परिणामस्वरूप ग्रमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशों में भेजे जाने में वृद्धि हो रही है ;

(घ) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा विनियम ग्रधिनियम, 1973 के उपबन्धों के बावजूद उक्त कम्पनी को लगातार निर्माण ग्रौर व्यापार करने की ग्रनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं; ग्रौर

(ङ) भविष्य में विदेशी मुद्रा की हानि को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा विनियम, 1973 की धारा 29(2)(क) के ग्रन्तर्गत मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का जो ग्रावेदन पत्र प्राप्त हुग्रा था उस पर ग्रभी विचार किया जा रहा है। ग्रभी तक कम्पनी को नामंजूरी का कोई पत्र नहीं भेजा गया है ।

(ख) सरकार के पास तत्काल उपलब्ध सूचना के ग्रनुसार मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर मिलिटेड ने साबुन के सम्बन्ध में ही स्वीकृत क्षमता से ग्रधिक उत्पादन किया है ।

(ग) कम्पनी के तुलन-पत्र से पता चला है कि कम्पनी को 1974 के वर्ष में करों की ग्रदायगी के बाद 2.63 करोड़ रुपये का लाभ हुग्रा था। 1975 के लाभ का व्यौरा ग्रभी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) ग्रौर (ङ). ग्राशा है कि विदेशी मुद्रा विनियम ग्रधिनियम 1973 के ग्रन्तर्गत कम्पनी के ग्रावेदन-पत्र पर जो निर्णय लिया जायेगा उसके लागू होने पर कम्पनी द्वारा उसके मौजूदा कारबार के परिणामस्वरूप विदेशों को भेजी जाने वाली विदेशी मुदा में धीरे-धीरे कमी होती जायगी ।

टंडन समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

739. **श्री वसन्त साठे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टंडन समिति ने ग्रपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सामान्य रूप से उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें और विशेषकर बैंक ऋण के ढांचे के बारे में सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

राजस्व और बैंकिग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : (क) बैंक ऋणों के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाने के वास्ते गठित अध्ययन दल ने, जो वैसे टण्डन समिति के नाम से प्रसिद्ध है, अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1975 में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी है ।

(ख) संलग्न विवरण में मुख्य सिफारिशों का सार दिया गया है ।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशों को मान लिया है तथा सिफारिशों के उपयुक्त तथा शीघ्र कार्यान्वियन के लिये वाणिज्यिक बैंकों को उचित सलाह दे दी है। उसने बैंकों पर यह जोर दिया है कि उन्हें उचित प्रत्यायोजित (डेलीगेशन) और विकेन्द्रीकरण द्वारा, पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करके और उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर व्यापक पैमाने पर बैंक कर्मचारियों की ऋण का मूल्यांकन कुशलता को अद्यतन करके, अपने संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय बनाना चाहिये । भारतीय रिजर्व बैंक ने, अध्ययन दल की सिफारिशों को कार्यान्वियन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की निरन्तर समीक्षा के लिये, एक निर्देशन समिति का भी गठन किया है ।

विवरण

बैंक ऋणों के सम्बन्ध में अनुवर्ती कारवाई करने के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत बनाने के वास्ते गठित अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें

अध्ययन दल की मुख्य सिफ़ारिशें निम्नलिखित हैं, जो उधारी के प्रति रवैये, वस्तु सूचियों और प्राप्यों (रिसीवेबलस) के मापदण्ड, सूचना प्रणाली, ऋण के तरीके, ऋण के निरीक्षण और अनुवर्ती कार्यवाही और ऋणकर्ता की वित्तीय हैसियत जैसे पहलूओं से सम्बन्ध रखती हैं :--

(1) समिति की यह मान्यता है कि ऋणदाता के रूप में बैंक का मुख्य काम ऋणकर्ता की उत्पादन आवश्यकताओं के सम्बन्ध में चालू परिसम्पत्तियों का तर्कसंगत स्तर बनाये रखने के लिये उसके साधनों की अनुपूर्ति करना है । उक्त बात को ध्यान में रख कर समिति ने कार्यचालन पूंजी के अन्तर (चालू परिसम्पत्तियों से चालू देनदारियों का अतिरेक) को पूरा करने के लिये अधिकतम स्वीकार्य बैंक उधारी का हिसाब लगाने की तीन प्रणालियों का सुझाव दिया है। प्रथम प्रणाली में ऋणकर्ता को कार्यचालन पूंजी के अन्तर का कम से कम 25 प्रतिशत भाग स्वयं जुटाना पड़ता है; दूसरी प्रणाली में ऋणकर्ता द्वारा कुल चालू परिसम्पत्तियों के कम से कम 25 प्रतिशत भाग की व्यवस्था अपनी और दीर्घावधिक निधियों से करनी होगी;

तीसरी प्रणाली में, दीर्घावधिक निधियों से ऋणकर्ता का हिस्सा कुल "कोर" चालू परिसम्पत्तियों के बराबर तथा शेष चालू परिसम्पत्तियों के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर होगा। उपर्युक्त प्रणालियों में से प्रत्येक प्रणाली से दीर्घावधिक निधियों की अन्तर्ग्रस्तता क्रमशः बढ़ती जायेगी जिसमें ऋणकर्ता की अपनी निधियां और चालू परिसम्पत्तियों के पूरक सावधिक ऋण शामिल होंगे। ऋणकर्ता को परेशानी से बचाने के लिये समिति ने सिफ़ारिश की है कि इसका आरम्भ, एकवर्ष के अन्दर सभी ऋणकर्ताओं को प्रथम प्रणाली में लाकर किया जाय और उस के बाद दूसरी और तीसरी प्रणालियों को धीरे धीरे लागू किया जाय। यह सिफ़ारिश उन सभी ऋणकर्ताओं पर लागू होगी, जिनके पास बैंकिंग व्यवस्था से 10 लाख रुपये से अधिक की ऋण की सीमायें हैं।

(2) दल ने 15 चुने हुये उद्योगों के वास्ते सूचियों और प्राप्यों के लिये मापदण्डों की सिफ़ारिश की है और कहा है कि ये सुझाये गये मापदंड उन सभी औद्योगिक ऋणकर्ताओं पर लागू होने चाहियें जिनके पास बैंकिंग व्यवस्था से कुल 10 लाख रुपये से अधिक की सीमायें हैं।

(3) दल ने सुझाव दिया है कि एक वर्ष में नकद ऋण सीमा के रूप में सारी ऋण व्यवस्था उपलब्ध करने के स्थान पर उसका ऋण और नकद ऋण में विभाजन किया जाये, जो क्रमशः वर्ष भर में ऋणकर्ता द्वारा अपेक्षित ऋण की न्यूनतम रकम तथा उसकी घटने बढ़ने वाली आवश्यकताओं के पूरक का द्योतक है। यह सिफ़ारिश उन ऋणकर्ताओं पर लागु की जानी है जिनके पास बैंकिंग व्यवस्था के लिये गये 10 लाख रुपये से अधिक के ऋण हैं। आगे समिति ने सुझाव दिया है कि बैंकिंग व्यवस्था से 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की ऋण सीमा वाले ऋणकर्ताओं के मामले में नकद ऋण की रकम को त्रैमासिक वजट-सूचना व्यवस्था के अनुसार रखना चाहिये।

(4) एकीकृत व्यवस्था के अंग के रूप में, समिति ने ऋण के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही तथा निरीक्षण और निधियों का अन्तिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिये व्यापक सुझाव दिये हैं।

(5) ऋण लेने वाली कम्पनियों के वित्तीय ढांचे के बारे में समिति ने इसबात पर जोर दिया है कि बैंकर दो बुनियादी वित्तीय अनुपातों, उदाहरणार्थ ऋण-साम्या अनुपात (अर्थात् कुल बाहरी दायित्वों से साम्या का अनुपात) और चालू अनुपात का सदैव ध्यान रखेगा। ऋण साम्या अनुपात के बारे में उसने किसी कठोर सिद्धान्त का सुझाव नहीं दिया है किन्तु यह बताया है कि दीर्घावधिक ऋण के वास्तविक मूल्य और कुल देनदारियों के वास्तविक मूल्य की तुलना में उद्योग के मध्यान्तर (मीडियम) से की जाय और जहां ये अनुपात मध्यान्तर से बहुत कम हों तो बैंकों को चाहिये कि वे ऋणकर्ता को अपनी साम्या पूंजी का आधार यथा-शीघ्र बढ़ाने के लिये प्रेरित करने का प्रयास करें।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

740. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975–76 में, विभिन्न राज्यों की योजना तथा गैर-योजना नियतन को मिला कर, राज्यवार कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10-136/76]

कपड़ा उद्योग द्वारा कपड़े के मूल्य में कमी

741. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग ने स्वेच्छा से कपड़े के मूल्य में कमी की है जैसा कि सरकार ने निदेश दिया था; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) उद्योग से कहा गया है कि वह काम में आने वाली प्रमुख चीजों की कीमतों के रुख के अनुरूप स्वेच्छा से कपड़े की कीमतें कम कर दें । मिल के कपड़े की थोक कीमतों की सूचकांक के अनुसार नवम्बर 1975 के दौरान ऐसे कपड़े की कीमत नवम्बर, 1974 की कीमत से 8.5 प्रतिशत कम थी ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय रूई निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन वर्ष 1973–74 के लिए भारतीय रूई निगम लिमिटेड, बम्बई के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 10119/76]

सीमेंट (गुण-प्रकार नियंत्रण) संशोधन आदेश

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सीमेंट (गुण-प्रकार नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 4 अगस्त, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 417(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10120/76]

दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं श्री ओम मेहता की ओर से निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 30 नवम्बर, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2) (क) के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्य पाल द्वारा 28 नवम्बर, 1975 को प्रख्यापित दण्ड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 38) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10121/76]

अधिनिर्णयन कार्यवाही तथा अपील (संशोधन नियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्न-लिखत पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन अधिनिर्णयन कार्यवाही तथा अपील (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 सितम्बर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 2341 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10122/76)

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 जनवरी, 1976 में अधि-सूचना संख्या सा० सां० नि० 17 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10123/76)

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 2562 जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 अक्तूबर, में प्रकाशित हुए थे, और जिन में दिनांक 19 जुलाई, 1975 की अधि-सूचना संख्या सा० सां० नि० 879 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(दो) सा० सां० नि० 5 (ङ) और सा० सां० नि० 6 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जनवरी, 1976 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 18 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 जनवरी, 1976 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10124/76[

(4) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (1) के अधीन बीमा (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 जनवरी, 1976 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 14 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10125/76]

(5) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 43 की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 2271 जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 अगस्त, 1975 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) सा० सां० नि० 2642 जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 नवम्बर, 1975 में प्रकाशित हुआ था जिसमें दिनांक 23 अगस्त, 1975 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2271 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(तीन) सा० सां० नि० 2788 जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 दिसम्बर, 1975 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10126/76]

(6) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 28 की अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय रिजर्व बैंक (नोट रिफंड) नियम, 1975 को जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 अगस्त, 1975 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सा० सां० नि० 2476 जो भारत के राजपत्र दिनांक 4 अक्तूबर, 1975 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10127/76]

वायुयान अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचनायें

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14 क के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1975 जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 सितम्बर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2386 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 1975 जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 सितम्बर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2387 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) वायुयान (पांचवां संशोधन) नियम, 1975 जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 नवम्बर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2713 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10128/76]

नौसेना औपचारिकतायें, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अधीन नौसेना औपचारिकतायें सेवा की शर्तें, तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 जुलाई, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 237 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10129/76]

टैक्सटाइल समिति के प्रमाणित लेखे, काफी बोर्ड के प्रमाणित लेखे तथा कम्पनी अधिनियम के अधीन पत्र

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन वर्ष 1973–74 के लिये टैक्सटाइल समिति बम्बई के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10130/76]

(2) वर्ष 1972–73 के लिये काफी बोर्ड के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10131/76]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) वर्ष 1974–75 के लिये भारतीय राज्य व्याहार निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली, के कार्यकरण सम्बन्धी सरकार की समीक्षा।

(दो) वर्ष 1974-75 के लिये भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10132/76]

(ख) (एक) वर्ष 1974-75 के लिए प्रोजेक्टस एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण पर सरकार की समीक्षा ।

(दो) वर्ष 1974-75 के लिये प्रोजेक्टस एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10133/76]

(4) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम, 16 के उप नियम (3) के अधीन वर्ष 1973-74 के लिये निर्यात निरीक्षण परिषद, तथा ऐजेंसियों का (एक) वार्षिक प्रतिवेदन; तथा (दो) लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10134-76]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने 12 जनवरी, 1976 की अपनी बैठक में भारतीय रेल (संशोधन), विधेयक, 1976 पास किया है ।

(दो) कि राज्य सभा ने 12 जनवरी, 1976 की अपनी बैठक में बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) विधेयक 1976 पास किया है ।

(तीन) कि राज्य सभा ने 12 जनवरी, 1976 की अपनी बैठक में समान पारिश्रमिक विधेयक, 1976 पास किया है ।

(चार) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 9 जनवरी, 1976 को पास किये गये आयकर (संशोधन) विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कई सिफारिश नहीं करनी है ।

(पांच) कि राज्य सभा 15 जनवरी, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 9 जनवरी, 1976 को पास किये गये दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

महासचिव : मैं निम्नलिखित विधेयक, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक, 1976

(2) बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) विधेयक, 1976

(3) समान पारिश्रमिक विधेयक, 1976

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
(183वाँ तथा 186वाँ प्रतिवेदन)

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) 'नई सेवा/सेवा का नया मसौदा' (वित्त मंत्रालय) सम्बन्धी 138वां प्रतिवेदन ।

(2) "निगम कर तथा आयकर, एक समीक्षा" सम्बन्धी 186वां प्रतिवेदन जिसमें वर्ष 1964—74 में निगम कर तथा आयकर सम्बन्धी लोक लेखा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को सरकार द्वारा क्रियान्विति की समीक्षा की गयी है ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
(185वाँ प्रतिवेदन)

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं इलेक्ट्रानिक्स विभाग सम्बन्धी प्राक्कलन समिति के 66वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 85वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं आप को पत्र लिख चुका हूं कि हम चीन के प्रधान मंत्री की मृत्यु के बारे में शोक प्रकट करने के सम्बन्ध में कलकत्ता में एक सभा का आयोजन करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : लेकिन यह किसी अन्य देश के प्रधान मंत्री से सम्बन्धित है ।

पटना में आई बाढ़ के बारे में वक्तव्य
STATEMENT ON PATNA FLOODS

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : 17 अगस्त, 1975 को बंगाल की खाड़ी से उठे मानसून का दबाव 19 अगस्त, 1975 को सोन वाह क्षेत्र की ओर मुड़ गया जिसके परिणामस्वरूप 19 और 22 अगस्त के बीच भारी वर्षा हुई। इसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश में पेंड्रा में 271 मिलीमीटर और उमरिया में 591 मिलीमीटर तथा उत्तर प्रदेश के चोपान में 371 मिलीमीटर वर्षापात रिकार्ड किया गया। इस भारी वर्षा होने के कारण 19 अगस्त, 1975 से सोन नदी में पानी बढ़ना आरम्भ हो गया। जापला में 23 अगस्त, 1975 को रात्रि के एक बजे इसका उच्चतम स्तर 128.07 मीटर तक पहुंच गया जो 1971 के 127.89 मीटर के स्तर से ऊपर था। 23 अगस्त, 1975 को प्रातः 5 बजे इन्द्रपुरी में यह 108.204 मीटर पर चेतावनी बिन्दु को पार कर 108.85 मीटर तक पहुंच गया था। 21 अगस्त, 1975 के अपराह्न में यह कोयलबार में 55.525 मीटर पर स्थित चेतावनी बिन्दु को पार कर गया। 23 अगस्त, 1975 को प्रातः 10 बजे से 2 बजे के बीच कोयलबार में यह अधिकतम स्तर 58.81 मीटर तक पहुंच गया था। यह 1971 में रिकार्ड किए गए अधिकतम जल स्तर 58.884 मीटर जो कि एक उच्चतम स्तर था उसकी तुलना में यह कुछ कम रहा।

पटना मे 22 अगस्त, 1975 को गंगा का पानी 48.6 मीटर के चेतावनी बिन्दु से भी ऊपर पहुंच गया था। यह पानी और भी चढ़ता रहा और 24 अगस्त, 1975 को सायं 6 बजे इसका स्तर गांधी घाट (पटना) में 49.989 मीटर तक पहुंच गया। यह स्तर 1971 में रिकार्ड किए गए स्तर से 0.35 मीटर अधिक ऊंचा था और अब तक रिकार्ड किए गए जल स्तर में सबसे अधिक था। दीघा में 1971 में रिकार्ड किया गया 52.15 मीटर का स्तर 24 अगस्त, 1975 को 8 बजे यह पहले के रिकार्ड को पार कर गया। बहरहाल, 1923 के वर्ष में रिकार्ड किए गए 52.585 मीटर के स्तर से ऊपर नहीं गया।

दीघा में काफी ऊंचे बाढ़ जल स्तर के परिणामस्वरूप गंगा और सोन नदी के संयुक्त जल से लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर तक दीघा से मैनार तक सड़क जल में डूब गई और पटना और दीघा के निम्नवर्ती क्षेत्रों की तरफ सोन और गंगा का पानी पूर्णरूप से बहने लगा। इस बाढ़ के दौरान सड़क में 7 स्थानों पर दरारें आ गई। 22 अगस्त, 1975 की रात्रि से इस सड़क के ऊपर पानी बहने लगा और यह क्रम कुछ दिनों तक जारी रहा। इस सड़क के पानी में डूब जाने के अतिरिक्त मैनार वितरण नहर में 11 दरारें पड़ गईं जिसके जरिए सोन नदी का बाढ़ जल काफी मात्रा में पटना की ओर बह गया। बिहटा मैनार सड़क के पानी में डूबने और उसमें दरारें पड़ने के कारण बिहटा-मैनार तटबन्ध और खगोल-दीनापुर सड़क के कारण बाढ़ का पानी अन्ततः पटना नहर के बाएं तट की निचली पहुंचों में बहने लगा था। यह पानी धीरे-धीरे उस समय तक आगे बढ़ता गया जब तक कि यह 24 अगस्त, 1975 की सायं को 53.34 मीटर स्तर तक पहुंचा। इसी के परिणामस्वरूप बाढ़ का पानी पटना नहर के बाएं किनारे के ऊपर से बहने लगा और अन्ततः इसके दोनों तटोंमें दरारें आ गईं थीं। चूंकि पटना नहरके बाद बाढ़ के पानी को रोकने के लिए कोई बैरियर नहीं है इसलिए 24 अगस्त, 1975 को रात्रि को सोन नदी के साथ-साथ गंगा नदी का पानी पटना में प्रवेश कर गया जिसके परिणामस्वरूप जल प्रलय हो गया।

बाढ़ों के कारण क्षति

पटना में अगस्त, 1975 की बाढ़ों द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों सम्पत्तियों को अत्यधिक क्षति पहुंची थी। हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अभी तक गैर सरकारी

सम्पत्ति को पहुंची क्षति का अनुमान नहीं लगाया गया है । बहरहाल, जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है, सरकारी भवनों, सड़कों तथा अन्य जन-सुविधाओं को पहुंची क्षति का मोटे तौर पर 10.15 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । इन बाढ़ों से 3.7 लाख कुल जनसंख्या प्रभावित हुई थी । लगभग सभी सड़कें अशोक राजपथ सहित 0.57 मीटर से 2.1 मीटर तक की विभिन्न गहराइयों में एक सप्ताह से अधिक समय तक पानी मे डुबी रही थीं । 89 किलोमीटर लम्बाई में 36 सड़कें भिन्न भिन्न मात्रा में क्षतिग्रस्त हुई थीं । 90 कार्यालय भवन, 2640 आवासीय भवन (लोक निर्माण विभाग के अधीन) तथा 145 किलोमीटर लम्बी कालोनी की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई थीं । पटना नगर निगम की सीमाओं के अन्तर्गत 37,514 जोत, इकाई भूमि प्रभावित हुई थी जिन्हें पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा था । नगर निगम जन स्वास्थ्य विभाग, आवास बोर्ड, विद्युत् विभाग तथा कुछ अन्य अनेक विभागों की सम्पत्तियों को भी भारी क्षति पहुंची थी ।

राज्य सरकार के अनुसार 5 व्यक्ति मारे गए तथा लगभग 8 व्यक्ति लापता हैं । 66 मवेशी भी मारे गए ।

राज्य सरकार ने बताया है कि गैर-सरकारी व्यक्तियों को हुई महान् क्षति का अनुमान लगाना बहुत कठिन है । बहरहाल, निम्न आय वाले वर्ग को अधिकतम हानि हुई क्योंकि उनके मकान गिर गए तथा उनका सामान डुब गया था । मध्यम आय वाली श्रेणी को जिनके एक मंजिल के मकान थे, भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि उनके मकान पूर्णतः डुब गए थे जिससे उनकी सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंची उच्च आय वाले ग्रुप को भी जिनके दो मंजिले या बहु मंजिले भवन थे क्षति पहुंची क्योंकि उनका भूतल 5 से 7 दिनों तक पानी में डुबा रहा था । सरकारी तथा गैर-सरकारी हजारों गाड़ियों के पानी में डुब जाने के कारण काफी क्षति पहुंची ।

बाढ़ सुरक्षा स्कीमें

बाढ़ों के तुरन्त पश्चात् बिहार सरकार ने अगस्त, 1975 को पटना की बाढ़ों के कारणों का पता लगाने तथा भविष्य में इसी प्रकार की विध्वंसकारी बाढ़ों से बचने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था । इस समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (बाढ़) हैं और इसमें अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग, राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के दो मुख्य इंजीनियर तथा बिहार विधान सभा के दो सदस्य शामिल हैं । इस समिति ने नवम्बर, 1975 में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा इसमें बाढ़ सुरक्षा तथा जल-निकास कार्यों की जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाना है सिफारिश की है । इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

समिति ने निम्नलिखित मुख्य कार्यों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लेने की सिफारिश की है:—

(1) नाजुक स्थानों में पश्चबन्ध के साथ दीवा से मैनार तक गंगा के दक्षिण तटपर पटबन्ध पक्की दीवार का निर्माण ।

(2) सोन के दक्षिण तट के साथ मैनार से कटेशर तक तथा मैनार से सैदाबाद तक एक नयेतटबन्ध का निर्माण ।

(3) खजूरी वितरण नहर तथा पंचहूवा नाले के जरिए लैबतपुर के प्रतिप्रवाह में पटना नहर से एक अतिवाही (स्केप) चैनल का निर्माण ।

(4) दानापुर वितरण नहर को ऊंचा तथा सुदृढ़ करना।

(5) पटना में वर्तमान शहरी जल-निकास का सुधार करना और पुनर्रूपण करना।

समिति ने यह भी सिफ़ारिश की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल-विकास प्रणाली के पुनर्रूपण और पुन-पुन के बाम तटबन्ध को इसकी ऊपरी पहुंचों में नए तटबन्धों के निर्माण के साथ ऊंचा करने तथा सुदृढ़ करने के कार्य को द्वितीय प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाए ? प्रथम प्राथमिकता वाले कार्यों की मोटे तौर पर अनुमानित लागत 8.68 करोड़ पये है और इन्हें राज्य सरकार द्वारा 1976 की बाढ़ ऋतु से पूर्व पूर्ण करने का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार ने समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है और इन कार्यों पर पहले ही कार्यवाही करनी आरम्भ कर दी गई। मार्च, 1976 तक लगभग 2.65 करोड़ पये व्यय होने की सम्भावना है। भारत सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार को इस राशि की पूर्ति के लिए अग्रिम योजना सहायता के रूप में देने के लिए सहमत हो गई है।

समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में बताया है कि 1975 में इतने गम्भीर रूप में आई बाढ़ों के विभिन्न कारणों को विस्तारपूर्वक जांच करना सम्भव नहीं है। समिति को आशा है कि जनवरी, 1976 के अन्त तक वह अपनी अन्तिम रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर देगी।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण, आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : सोमवार, 19 जनवरी, 1976 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) आय और धन स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा।

(2) आय और धन स्वेच्छया प्रकटन (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा।

(3) आय और धन स्वेच्छया प्रकटन विधेयक, 1976
(विचार तथा पास करना)

(4) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) विधेयक, 1976
(विचार तथा पास करना)

(5) दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) संशोधन विधेयक, 1976
(विचार तथा पास करना)

(6) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक, 1976
(विचार तथा पास करना)

(7) आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (तीसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन सम्बन्धी संकल्प तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (चौथा संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा।

(8) आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) विधेयक, 1976

(10) भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(11) बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(12) समान पारिश्रमिक विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(13) मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(14) मज़दूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरनूमोदन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा।

(15) मज़दूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(16) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा।

(17) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधि निवारण (संशोधन) विधेयक, 1976,
(विचार तथा पास करना)

(18) तोल तथा माप मानक विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) क्या यह सभी मदें इसी क्रम में ली जायेंगी अथवा जैसे सरकार की इच्छा के अनुसार।

श्री के० रघुरामैया : इसमें क्रम नहीं दिया गया है। सारे पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् क्रम निर्धारित किया जाता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमने पिछली बार निर्णय किया था कि माननीय सदस्य इस पर चर्चा नहीं करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) मैं जानना चाहता हूं कि क्या जबरन छुट्टी, छंटनी और काम बन्द किये जाने पर इसी सत्र में विचार किया जायेगा जैसा कि प्रधान मन्त्री ने भी अपने वक्तव्य में कहा था ?

अध्यक्ष महोदय: आप मन्त्री महोदय से मिल लें। **(व्यवधान)**

श्री एस० एम० बनर्जी : कार्य मन्त्रणा समिति में हमने निर्णय किया है कि जबरन छुट्टी आदि पर चर्चा की जाये। **(व्यवधान)**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक

UNIT TRUST OF INDIA (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रीमती सुशीला रोहतगी द्वारा 16–1–76 को रखे गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1969 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri M. C. Daga (Pali) : The objective of the establishment of U.T.I. was mobilising the saving of small and medium income groups. The dividend allowed by U.T.I. is only 8%. Total expenses on administration rose from Rs. 98·66 lakhs to Rs. 132·47 lakhs in the current year.

There is no provision to give representation to the share holders on U.T I. The funds of the Unit Trust of India are invested in big companies. The report does not indicate details of the investment of funds on small companies. The report does not indicate as to the companies in which investment has been made. It only states that the investment has been made on cement, engineering, iron and steel, paper products, chemicals etc. On what basis this investment has been made is not clear ?

After all what is the purpose of Unit Trust of India? Their report does not indicate any investment having been made on small industries. U.T.I. has been established in order to benefit monied people. Its expenditure on administration and Sundries has increased from 98·66 lakhs rupees to 132·47 lakh rupees. Its office is situated at Bombay and its meetings take place in Delhi so lakhs of rupees are spent on meetings etc.

Rich people invest money in it in order to save taxes. There is no elected representative on its Board of Directors. Nor there is any representative of share-holders. There is no necessity to continue this organisation after the nationalization of banks. In case the Government was to continue the U.T.I., amendments should be made in order to encourage investment in small companies.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपूर) : मंत्री महोदय के भाषण को सुनने के पश्चात् मैंने समझा था कि यह साधारण विधयक है। परन्तु विधेयक का अवलोकन करने के पश्चात् पता चलता है कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार धनिकों को यह अवसर देना चाहती है कि वे अपने काले धन को मान्य पूंजी में बदल सकें। यदि वे लोग अपना काला धन यूनिट ट्रस्ट में लगायेंगे तो उन्हें और भी छूट दी जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति जो इस समय विदेश में है और जिसने यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया में अपना धन लगा रखा है जब वह बेचना चाहेगा तो उसे किस मुद्रा में धन वापस मिलेगा। यह स्पष्ट नहीं है।

यूनिट ट्रस्ट में लगी अधिकांश पूंजी बड़े उद्योगों के लाभ के लिये हैं। ये लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। आम गरीब जनता को इससे कोई लाभ नहीं है। यह राहत धनी वर्गों के लाभ बढ़ाने के लिये दी गई है।

मंत्री द्वारा इस संशोधन विधेयक के बारे में चाहे जो कुछ बहाने किये जायें, मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता। मंत्री महोदय ईमानदारी से बतायें कि यह विधेयक किस उद्देश्य से लाया गया है। आप कह सकते हैं कि इसे विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये लाया गया है। परन्तु इस प्रकार के तर्क सारहीन हैं।

श्री एस आर० दामाणी (शोलापुर) मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि विदेशों में बसे भारतीयों से विदेशी मुद्रा भारत आ सके। ऐसे भारतीय धन लगाने के साधन चाहते हैं। यूनिट ट्रस्ट में उनका धन सुरक्षित रहेगा तथा उन्हें कर भी नहीं देना पड़ेगा।

इस योजना को उन सभी देशों में जहां भारतीय रहते हैं अथवा काम करते हैं लोकप्रिय बनाने के प्रयास किये जाने चाहिएं। मंत्री महोदय कुछ भी तर्क दें, धनी वर्गों को और सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या अब के बाद यूनिट ट्रस्ट से धन मंध्यम तथा छोटे दर्जे के उद्यमियों को दिया जायेगा।

यह कहना गलत है कि यूनिट ट्रस्ट में व्यय अधिक है। यूनिट ट्रस्ट में 175 करोड़ रुपया लगा हुआ है जिस पर 1.3 करोड़ रुपया व्यय हुआ है जोकि $\frac{1}{2}$ प्रतिशत से कुछ ही अधिक है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है विज्ञापन आदि पर अधिक व्यय किया जाना चाहिए ताकि जनता को इन योजनाओं की जानकारी मिल सकें।

Kumari Mani Ben Patel : Mr. Speaker, there is no quorum in the House.

अध्यक्ष महोदय: कोरम की घंटी बजायी जाये। अब कोरम हो गया है।

श्री एस० आर० दामाणी : यूनिट ट्रस्ट की निवेश नीति बहुत सही है। ट्रस्ट देश के लिये आवश्यक वस्तुओं जैसे सीमेन्ट, इस्पात, उर्वरक आदि विभिन्न क्षेत्रों में रुपया लगा रहा है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट में धन लगाने के दो लाभ हैं। एक तो धन लगाने वालों का धन सुरक्षित रहता है और दूसरे उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने एवं नये उद्योग खोलने के लिये धन मिल जाता है।

लगाई गई पुंजी पर ट्रस्ट ने 8–9 प्रतिशत लाभांश दिया है तथा पहले तीन हजार रुपये पर आयकर नहीं लगता, धन सुरक्षित रहता है तथा जरूरत पड़ने पर यह मिल भी सकता है। कुछ ऐसी योजना बनायी जानी चाहिए कि यूनिट के मूल्य में वृद्धि हो।

बताया गया है कि सभी क्षेत्रों के लोगों ने 175 करोड़ रुपये के यूनिट खरीदे हैं और यूनिट ट्रस्ट से लाभ उठा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि कर से छूट की सीमा 3000 रुपये से बढ़ा कर 5000 रुपये कर दी जाये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सबसे पहले मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों तथा उपयोगी सुझाव देने वाले सदस्यों का धन्यवाद करती हूं।

श्री डागा ने ट्रस्ट के संचालन पर तीव्र हमला किया है। वह इस बारे में अपनी राय रख सकते हैं। परन्तु उनका यह कहना कि यूनिट ट्रस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है तो प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी यह कहने का अवसर देना है कि ट्रस्ट एकाधिकार गृहों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संशोधन विधेयक स्वागत करने योग्य एक कदम है और लोग समय-समय पर भारत में पूंजी लगाने की मांग करते रहे हैं। सरकार भी चाहती रही है कि कुछ ऐसे प्रोत्साहन दिये जायें कि विदेशी से लोग इसमें धन लगा सकें।

ट्रस्ट के कार्यकरण की समीक्षा उसकी वार्षिक रिपोर्टों से की जा सकती है। ट्रस्ट को बनाये जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बाजार में मंदी के कारण उद्यमी लोग आगे नहीं बढ़ रहे। ट्रस्ट ने लगायी गई पूंजी को सुरक्षा प्रदान की है जिससे देश में व्याप्त मंदी में कुछ कमी आई है। ट्रस्ट का लाभांश 8.6 प्रतिशत रहा है, परन्तु प्रारम्भ में यह 6.1 प्रतिशत ही था। इसमें और सुधार के अवसर विद्यमान हैं। अधिकांश पूंजी लगाने वाले उच्च वर्ग के ही नहीं हैं।

ट्रस्ट द्वारा 92 प्रतिशत सहायता प्राथमिकता वर्ग के क्षेत्र को दी गई है अतएव एकाधिकार वर्गों द्वारा उपयोग में लाये जाने का भय निरर्थक है।

श्री डागा ने व्यय की बात उठायी है। मैं बताना चाहती हूं कि वित्त मंत्री ने इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिये एक ग्रुप का गठन किया है जिसका प्रतिवेदन तैयार हो रहा है। इस बारे में हम रचनात्मक सुझावों का स्वागत करेंगे।

श्री चन्द्रप्पन ने यूनिट ट्रस्ट के न्यासधारियों के तीन नाम बताने को कहा है। न्यास के चेयरमैन के अलावा 9 सदस्य हैं। इन दस में से 6 रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, एक स्टेट बैंक द्वारा नामांकित किया जाता है, एक जीवन बीमा निगम द्वारा तथा शेष दो का चुनाव सबसे पहले पूंजी निवेश करने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाता है।

सामूहिक रूप से विचार करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन उद्देश्यों से भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई वह न्यायसंगत थे।

हमारी जनता ने इसे लाभदायक पाया है। लोग विदेश में गये हैं और ट्रस्ट का प्रचार कर रहे हैं। अभी राशि के बारे में तो मैं नहीं कह सकती परन्तु मैं समझती हूं कि समय-समय पर स्थिति सुधरेगी।

इन शब्दों के साथ में उम्मीद करती हूं कि सभा इसे सर्वसम्मत सहमति देगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि यदि यूनिटों को खरीदने वाला व्यक्ति भारत में नहीं रहता तब उसे उन्हें बेचने पर किस मुद्रा में धन लौटाया जायेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जब वह खरीदता है तब धन को रुपयों में बदला जायेगा परन्तु जब वह बेचता है तब उसे देश की मुद्रा में लौटाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED.

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार किया जायेगा। कोई संशोधन नहीं हैं, अतः मैं सभी खण्डों को एक साथ लेता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, तथा 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED.

खण्ड 2 और 3, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

clauses 2 and 3, clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED.

बरमा शैल (भारत में उपक्रमों का उद्ग्रहण) विधेयक

BURMAH SHELL (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS IN INDIA) BILL

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बरमा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी आफ़ इण्डिया लिमिटेड द्वारा भारत में जिन पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण और विपणन किया जाता है उनका समन्वित वितरण और उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत में बरमा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी आफ़ इंडिया लिमिटेड के उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सरकार की तेल उद्योग का प्रभावी नियंत्रण अपने हाथ में लेने की नीति के अनुसरण में पहला कदम 'एस्सो' को मार्च, 1974 में लेकर उठाया गया था। अब बरमा शैल के मूल मालिकों से समझौता करके इसके भारत में सभी शेयर खरीद लिये हैं और बरमा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रिब्यूटिंग कंपनी की सभी भारतीय आस्तियां हस्तांतरित करके अब सरकार का देश में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और विपणन के 95 प्रतिशत पर प्रभावी नियंत्रण हो गया है। इसके बाद अब आसाम आयल कंपनी और काल्टैक्स ही शेष हैं जिनको अपने हाथ में लेने के लिए बातचीत चल रही है।

इस कार्य के लिए विधेयक लाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बरमा शैल भारत में पंजीकृत कंपनी नहीं है और इसके अधिग्रहण में आस्तियां और दायित्व दोनों शामिल हैं। इस संबंध में मैं कुछ विस्तार से बताना चाहता हूं। जैसे ही बरमा शैल आयल रिफ़ाइनरी लिमिटेड के पूरे शेयर सरकार के हो जायेंगी यह कंपनी सरकारी कंपनी बन जायेगी। तब बरमा शैल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी आफ़ इण्डिया की भारत स्थित आस्तियां अधिसूचना द्वारा उक्त कंपनी की हो जायेंगी।

विधेयक में इस कंपनी की भारत स्थित आस्तियों और दायित्वों के सरकार द्वारा अधिग्रहण के लिए 27.75 करोड़ (मूलधन) रुपये मुआवजे के रूप में किस्तों में देने की व्यवस्था है और 9.25 करोड़ रुपये पूरे शेयर खरीदने के लिए 30 मार्च, 1976 तक देने होंगे जो बरमा शैल, लन्दन को पौंडों में देने होंगे। मूलधन पर 8 प्रतिशत कर-मुक्त ब्याज देय है जो ब्याज की वर्तमान दर है। वर्ष 1975 में होने वाले लाभ सरकार को मिलेंगे जबकि ब्याज 1–1–1976 से देय होगा।

इस महत्वपूर्ण उद्योग के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य यही है कि विदेशी कंपनियां देश की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन नहीं कर सकतीं और न ही उन्हें राष्ट्रीय हितों से कोई लगाव होता है।

बरमा शैल की शोधनशाला विविध प्रकार के तेल साफ़ कर सकती है और यद्यपि इसका वर्तमान उत्पादन 37.5 लाख टन है, इसकी क्षमता 52.5 लाख टन है और थोड़े हेर-फ़ेर के साथ इसे बढ़ा कर 60 लाख टन तक किया जा सकता है। यहां बम्बई-हाई का 20 लाख टन तेल भी साफ़ किया जा सकता है। इसका राष्ट्रीयकरण होते ही हम इसमें उपयुक्त फ़ेर-बदल करेंगे ताकि बम्बई-हाई का तेल यहां ठीक से साफ़ किया जा सके और हमें विश्वास है कि आगामी मार्च से वहां से तेल निकलने लगेगा और इस कारखाने में साफ़ किया जायेगा।

हमें बरमा शैल के वितरण और विपणन संगठन को भी अपने हाथ में लेने में काफ़ी खुशी है क्योंकि यह काफ़ी विस्तृत और सुव्यवस्थित संगठन है जिसकी 5 पत्तन स्थापनाएं, 73 डिपो और 3,173 खुदरा पम्प हैं जो कुल पम्पों का 30 प्रतिशत हैं, यह लाभ विशेष है जिसे माननीय सदस्यों को सराहना चाहिये।

'एस्सो' और बरमा शैल का अधिग्रहण भिन्न-भिन्न प्रकार का है क्योंकि उस समय अशोधित तेल के मूल्य उत्पादक कंपनियां निर्धारित करती थीं न कि उत्पादक देश, जैसा कि अब हो रहा है।. . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपना भाषण भोजन काल के बाद जारी रख सकते हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा भोजन-काल के पश्चात् 2.04 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

(*The Lok Sabha re-assembled after lunch at 14·04 hours*)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
(*Mr. Deputy Speaker in the Chair*)]

बरमाशैल (भारत के उपक्रमों का उद्ग्रहण) विधेयक—जारी

BURMAH SHELL (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS IN INDIA) BILL—*contd.*

श्री के० डी० मालवीय : मैं एस्सो और बर्मा शैल के राष्ट्रीयकरण के लाभों का उल्लेख कर रहा था। बदली हुई परिस्थितियों में हम उत्पादक देशों के साथ अशोधित तेल के मूल्य ठहर सकते हैं। इस सम्बन्ध में हमें कुछ कठिनाई हो रही है परन्तु अब सरकार और बर्मा शैल अशोधित तेल के मूल्य आपसी बातचीत द्वारा तय कर सकते हैं। इस प्रबन्ध में आवश्यक लचीलापन है। कर्मचारियों के बारे में विधेयक के अध्याय तीन में उल्लेख किया गया है और प्रत्येक पूर्ण-कालिक कर्मचारी चाहे वह भारत में हो या प्रतिनियुक्ति पर विदेश में हो, भारत सरकार अथवा उस सरकारी कंपनी का कर्मचारी होगा कुल मिला कर हम यही समझते हैं कि यह सौदा देश के हित में हुआ है। अतः, मैं इस विधेयक के सभा द्वारा पास किये जाने की भरपूर सिफ़ारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि बरमा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी आफ़ इण्डिया लिमिटेड द्वारा भारत में जिन पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण और विपणन किया जाता है उनका समन्वित वितरण और उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत में बरमा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी आफ़ इण्डिया लिमिटेड के उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं मंत्री महोदय को यह विधेयक लाने पर बधाई देता हूं यद्यपि इसमें कुछ देरी हुई है। आशा है कि शीघ्र ही काल्टक्स और आसाम आयल कंपनी आदि का भी शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा बर्मा शैल को 27.75 करोड़ रुपये की धनराशि दी जा रही है। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी अधिक धनराशि बर्मा शैल को क्यों दी जा रही है। इसका ब्यौरा क्या है? सरकार को यदि कुछ देना ही है तो कुछ सांकेतिक राशि इसके लिए दी जा सकती है। यह सब भी तब हो रहा है जबकि बर्मा शैल द्वारा अपनी काफ़ी मशीनरी तथा संयंत्र बेचा जा चुका है। मैं समझता हूं कि यदि राष्ट्रीयकरण के लिए इतनी अधिक धनराशि देनी पड़ी तो उसका उद्देश्य ही असफ़ल हो जायेगा क्योंकि अब तक बर्मा शैल ने अपनी अच्छी मशीनरी का काफ़ी हिस्सा बेच दिया है। यदि श्री मालवीय निरन्तर रूप से पैट्रोलियम मंत्रालय के कार्यभारी मंत्री रहते तो सम्भवतः स्थिति अलग होती परन्तु यहां किसी को स्थाई रूप से किसी विभाग का मंत्री रहने ही नहीं दिया जाता है। खैर मैं अब भी उनके इस कदम की सराहना करता हूं।

कालटैक्स और ए०सी०सी० के अधिग्रहण के बारे में सरकार का क्या विचार है। समाचार-पत्रों में यह बात छपी है कि न्यूयार्क में इस सम्बन्ध में बातचीत हो रही है। हमें इस ढ़ंग से बातचीत तथा करार करना चाहिये जिससे कि अन्ततः हमारे ही हितों की सुरक्षा हो। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

मेरे मित्र श्री राजा कुलकर्णी ने कुछ संशोधन दिये हैं। वह संशोधन मजदूरों के हित के हैं और हम सब यह चाहते है कि उनके हितों की सुरक्षा की जानी चाहिए। अधिग्रहण की तिथि वाले दिन जो भी कर्मचारी स्थाई या अस्थाई ढ़ंग से वहां काम कर रहे थे, उन सभी को सेवा में ले लिया जाना चाहिए। यह एक अच्छा सुझाव है और यदि श्री मालवीय चाहे तो इस संशोधन को अपने ही नाम से स्वीकार कर सकते हैं।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon): The day when shri Malaviya announced the nationalisation of Burmah Shell was considered to be an auspicious day for the country. The fact of the situation is that Burmah Shell Company was earning huge profits and the same were being remitted abroad. They were maintaining secret accounts and it was difficult to ascertain how much money had thus been remitted. I doubt if the Government has got any information about these remittances.

The exploration work for oil was started in the country and the potentiality of oil was found in Bombay High, kutch and Kashmir. It is a significant achievement of our Petroleum Ministry.

The negotiations are going on with other countries so far as the questions of crude oil and its prices are concerned. May I know from the hon. Minister as to what will be the cost of crude oil which is being imported ?

It has been stated by hon. Minister that with the acquisition of these undertakings, we will be in a position to meet 30 per cent of our oil requirements. In this connection I want to know by what time it will be possible for us to be self-sufficient in this regard. In a television interview, it was stated by the hon. Minister that the country would become self-sufficient within a period of five years. What is the actual plsition ? I also want to know whether we are going to have more Sagar Samrats to explore oil in order to make the country self-sufficient in regard to oil.

Shri Mohammed Ismail (Barrackpore) : We support the move for taking over of Burmah Shell although this take-over should have taken place long ago. I have to make a few points in this regard.

Firstly, a secret negotiation had been going on with Burmah Shell for the last one and a half years and neither we nor the people of the country were aware of it, A glance through the Bill would indicate that such a secret dialogue had been going on since long; whereas nation was told that Burmah Shell was going to be nationalised. The Bill also does not vindicate the anti-monopolist policy of the Government now does it indicate any action being taken against multi-purpose corporations in the country.

Secondly a huge amount of Rs. 27 crores is being paid as compensation to this company and that too in pound-sterling, and not in rupees. This big amount would be paid in four years along with an interest of 38 lakhs every year which too would amount to about Rs. 6 crores in all. In this way such a sizeable amount of nation's money is being paid to this company at the cost of tax-payers for which you had been negotiating so secretly. Is it the way to be anti-monopolist and bring about self-sufficiency. Not from to day but right from the appointment of Talluquedar Committee, efforts were being made to find out on what rates this company purchase the crude oil. But even today they do not know. That committee did not produce any records; it refused to do so. In fact this company had been purchasing crude at the rate of Rxs. 10 but received Rs. 20 from us. Thus they made crores of rupees in profits. Even Mazumdar Committee could not find out the quantium of their actual profit. Dispite that such a huge amount of Rs. 27 crore is being paid to the m as compensation. The details given by the hon. Minister only show how simple too we are that despite all round "locting" by this company we are paying them Rs. 27 crores plus an interest of Rs. 6 crores; and that to

in the shape of pound sterling. May I know how far Government is authorised to keep the people in dark and waste so much money through such a secret deal? Now they can't claim that their policy is anti-monopolistic and anti multi national corporations. Actually Government are not practising what they preach. Let them put a clear cut policy before the country.

It has been said that the employees would be treated as Government servants. But they have not been given the right to go to counts while under Burmah Shell. They used to get more gratuity,more payand many more facilities; but the Bill does not say whether these ameni ties would be protected on the other hand, it has been provided that they could be transfered anywhere and on any pay. The Government should declare that these interests & benefits of the employees whether temporary or permanent, would be honoured and prc-tected. Their transfers should also be made keeping in account their home toung etc. and these to should not be made as a means to penalise. All these things should be guaranteed.

What decisions were made by the Tall uquedar Committee. Whether it was revealed by the Burmah Shell that they purchased the crude oil at cheap rates but sold the refined oil at very high prices ? What steps or legal measures were taken No find out these facts ? My point is that no compensation should be paid to them till their actual purchase price of crude is found out.

श्री चपलेंदु भट्टाचार्य (गिरिदीह) : मंत्री महोदय ने यह विधेयक अत्यन्त ही उपयुक्त समय पर पेश किया है। उन्होंने न केवल विधेयक खण्डवार विश्लेषण कर दिया है बल्कि वह पृष्ठ भूमि भी सविस्तार बता दी है जिसके आधार पर बर्मा शैल तेल-शोधक कारखाने, उसके डिपुओं, भण्डारों, विपणन तथा अन्य सहायक संस्थानों का अर्जन करने पर विचार करने को बाध्य होना पड़ा। इसके साथ ही कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, बर्मा शेल के क्रय तथा विक्रय मुल्यों के अन्तर, बिचौलिये की आवश्यकता, अपने यहां बम्बई हाई में तथा अन्य तट-दूर एवम् तट पर तेल की खोज से प्राप्त हो सकने वाले तेल तथा आगामी 2-3 वर्षों में हमारी तेल-शोध क्षमता आदि सभी पहलुओं पर भी मंत्री महोदय ने काफी प्रकाश डाल दिया है। वस्तुतः हमारे बोलने के लिए तो उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है।

27.75 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि सुनने में तो बहुत बड़ी राशि लगती है परन्तु बर्मा शैल कम्पनी भारत में कार्य-रत एक अत्यन्त पुरानी कम्पनी है जिसके तेल शोधक कारखानों, डिपुओं आदि की संख्या 3000 से अधिक है और इसके द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई भी नियमित रूप से होती रही है। साथ ही इसके अन्य कई उत्पादन भी हैं जो कि पेट्रोलियम से भी अधिक लाभ देने वाले हैं। इन सभी बातों को देखते हुए यह मुआवजा अधिक नहीं है। वैसे तो हम किसी कम्पनी को बिना मुआवजा दिये भी अपने अधिकार में ले सकते हैं परन्तु परस्पर समझौते का रास्ता हमेशा लाभप्रद होता है। उपरोक्त मुआवजा सर्वथा न्यायोचित है।

दूसरे, मुझे प्रसन्नता है कि कर्मचारियों के वेतन तथा सेवा को सुरक्षण दिया गया है। मैं इस सुझाव से भी सहमत हूं कि कर्मचारियों का अनावश्यक तथा असुविधाजनक स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि इससे कर्मचारियों को काफी प्रसन्नता होगी।

मैं जानता हूं कि इस प्रकार के अधिग्रहण पर इस विधेयक का विरोध वामपंथी और दक्षिण-पंथी निहित स्वार्थों की ओर से होगा, परन्तु दुर्भाग्य से घोर वामपंथी भी अपने विभिन्न स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य दृष्टिकोण से इसका विरोध कर सकते हैं। असली बात तो यह कि हम उत्पादन और खोज में एक क्रांति लाना चाहते हैं गत दो-ढाई वर्षों में कच्चे तेल के मूल्य चार

पांच गुणा बढ़ जाने -के कारण हमारी अर्थ व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था परन्तु अब हमनें एक ऐसा कदम उठाया है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को दीर्घाकालीन लाभ होगा। और उसका एक नया ही स्वरूप उभर कर सामने आयेगा।

श्री इराज्मु द सेकैरा (मारमागोग्रा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अच्छा है कि सरकार देश में स्वयं तेल निकालने तथा उसे वितरित करने की अपनी घोषित नीति को क्रियान्वित कर रही है। इस बात की बहुत सी मांग थी परन्तु इसकी गति धीमी होते हुए भी आखिर सरकार ने इसे आरम्भ तो कर ही दिया है। इसकी हमें खुशी है। इस सभा में रहते हुए हमारा यह कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक निधि से खर्च पर निगाह रखें। सरकार ने बर्मा शैल को 27.57 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्णय तो कर लिया है परन्तु यह नहीं बताया है कि किन-किन सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया है तथा उक्त राशि किसी हिसाब से आंकी गई है तथा इस अधिग्रहण के पश्चात् सरकार को कितना लाभ पहुंचेगा। साथ ही यह भी नहीं बताया गया है 8 प्रतिशत का कर-मुक्त ब्याज किस आधार पर देना निश्चित किया गया है। 30–3–77 को हम बर्माशेल को कर मुक्त 15,13,00 पौंड देंगे। यदि इस पर कर लिया जाता तो क्या स्थिति होगी। यह अदायगी भी विदेशी मुद्रा में है। यदि इस कम्पनी से हम ब्याज दे रहे हैं तो फिर हमें उससे कर भी वसूल करना चाहिये ताकि कम विदेशी मुद्रा बाहर जाये। यह देश का कानून है।

दूसरी बात यह है कि मुआवजा की राशि वर्ष 1975 से 1980 के बीच अदा करनी है अन्य कई देशों में भी बहुराष्ट्रिक कम्पनियों का अधिग्रहण किया गया है परन्तु सरकार का यह दायित्व है कि वह सभा को यह बतायें कि उक्त राशि तथा ब्याज का निश्चय किस आधार पर किया गया है इसके बिना हम कैसे यह निश्चय कर सकते है कि मुआवजे की राशि न्यायोचित है अथवा नहीं इस प्रकार को जानकारी देनें के संबंध में नियम समिति को समुचित नियम बनाने चाहिएं। तभी ऐंसे मामलों पर सार्थक रूप से चर्चा हो सकती है।

इस उद्यम के अधिग्रहण के पश्चात्, मैं इसके हर स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारी के दिनों की रक्षा की हिमायत करूंगा। मंत्री महोदय इस संबंध में हर संभव सन्देह को दूर करने के लिए विधेयक में एक सरल सा संशोधन स्वीकार करें क्योंकि हमारा विगत अनुभव है कि किसी कानून के बन जाने के बाद इस संबंध में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों की बजाय उक्त कानून का अक्षरश: पालन करने की प्रवृत्ति होती है। अत : इस आशय का एक अतिरिक्त वाक्य जोड़ने में क्या कठिनाई है कि आज बर्मा शल में काम कर रहे हर कर्मचारी की सेवा तथा इसकी आय संबंधी हितों की रक्षा की जायगी।

श्री के० डी० मालवीय : ऐसी व्यवस्था तो है।

श्री इराज्मु द सेकैरा : मैंने तो इस में नहीं पाया है। वह जरा देखें। यदि परोक्ष रूप में इसकी गांरटी दे भी तो हमें इसमें कोई सन्देह नहीं छोड़ना चाहिए।

मंत्री महोदय भी इस बात से सहमत होंगे कि तेल कम्पनियों ने केवल देश के उपभोक्ताओं बल्कि छोटे-छोटे विक्रेताओं का भी अनेक ढंग से शोषण किया है सब जानते हैं कि विक्रेताओं को होने वाले लाभ की मात्रा अत्यन्त कम है तथा आज देश के पेट्रोल पम्प चलाने वालों, विशेषज्ञ ग्रामीण क्षेत्रों में, को अपना निर्वाह करना मुश्किल हो रहा है। अब क्योंकि सरकार काफी

तक स्वयं विवरण करने जा रही है अत : मेरा अनुरोध है कि वह पेट्रोल पम्प वालों के लाभ की मात्रा में वृद्धि करे ताकि वे देश भर में अपनी सेवा सुचारु रूप से चला सकें।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): I rise to congratulate Shri Malaviya ji on taking over this foreign company as it is a further step towards Socialism. The sooner we take over such companies the letter it would be for the nation.

It is not difficult to indicate what per cent they have remitted abroad. The various department and Ministries can give this information . So Such information should be given.

The Burmah Shell have sold out a big building in connaught place to India's 'poorest man' Birla . The value of only the land itself is atleast Rs. 50 lakhs. But no one known's for how much this building has been sold out, and how much has been paid respectively in India and abroad. I request that investigations should be made in this behalf. Whenever and ordinary purchaser has to declare his purchases why should not Birla ?

Other foreign companies also own huge properties in Calcutta, Bombay etc. but unfortunately only one foreign company has been licensed to sell those properties. Profits earned as a result of those sales are also remitted abroad. This aspect should also be investigated.

We are going to pay more than Rs. 27 crores as compensation since we believe in fair dea but certainly investigations should be made into the under-hand deals made in connection with the sale of properties and the Government should get its due share In our opinion foreign companies may not have any good will, but others can differ from us. They must be having very small Brok-value so to say. Therfore the entire matter should be thoroughly investigated.

This Bill is really very important one other companies should also be nationalised as soon as possible. Government should strive to make the country self sufficient in the matter of petrol.

डा० हेनरी आस्टिन (एर्नाकुलम) मुझे याद आता है कि आज से 10–15 वर्ष पहले जब वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री मेरे चुनाव क्षेत्र में आये थे तब मैंने तथा पेट्रोलियम कर्मचारी संघ ने उनसे इन विदेशी फर्मों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की थी। मुझे बेहद खुशी है तथा मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि अब उस मांग को क्रियान्वित कर रहे हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the hCair]

इन विदेशी तेल कम्पनियों ने विदेशों में लाभ-राशि भेज कर करोड़ों रुपए कमाये हैं तथा देश का बहुत पैसा विदेशों में भेजा है जबकि इसी देश में इस उद्योग में निष्ठापूर्वक सेवा करने वाले लोगों का स्वास्थ्य तक नष्ट हो गया है। इन कम्पनियों तथा बर्मा शेल, कालटेक्स, एस्सो आदि, का विदेशों में बड़ी-बड़ी कार्टेल फर्मों से संबंध है, ये उनके हिस्सेदार हैं और इस व्यापार में से भारी मुनाफा कमा रही हैं। बम्बई तथा अन्य स्थानों पर तेल-शोधन करके ये कम्पनियों सामान्य मुनाफे की तुलना में कहीं अधिक मुनाफा कमा रही थी। मुआवजे के राशि तय करते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। यदि इन पहलूओं पर विचार किया जाता तो मेरा विचार है कि उपरोक्त मुआवजे की राशि न्यायोचित नहीं ठहरती।

तथापि इस विधेयक को पेश करने के लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। यह भावना उनके हित में बहुत पहले से ही थी। पेट्रोलियम का उत्पादन, शोधन तथा उसका वितरण हमारे देय

के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम हैं क्योंकि मध्य-पूर्व की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में उत्पन्न तनाव को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पादन में आत्म-निर्भर होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है । और जब तक हम तेल के उत्पादन, शोधन तथा वितरण पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेंगे । इस दृष्टि से भी मंत्री महोदय इस विधेयक के लिए बधाई के पात्र हैं ।

इस संबंध में पेट्रोलियम कर्मचारियों की कुछ समस्यायें आप के सामने रखना चाहता हूं । यदि आप जांच करे तो पायेंगे इन कर्मचारियों में से अधिकांश को छूत, हृदय तथा फेफड़ों के रोग हैं । इन कम्पनियों ने इन कर्मचारियों के स्वास्थ्य को कभी भी महत्व नहीं दिया जो दिन-रात इन में काम करते रहे हैं । यह बात कई बार अधिकारियों के ध्यान में लाई गई परन्तु इन कम्पनियों ने केवल छोटी-मोटी डिस्पैन्सरियां खोलने के सिवाय कुछ नहीं किया । अब इन कम्पनियों का राष्ट्रीय-करण करते हुए आप लाभांश की कुछ राशि इन कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक तथा पर्यावरण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिये आरक्षित करें । ये लोग अत्यन्त दुष्प्रभावी परिस्थितियों में काम करते हैं । अतः इनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए ।

इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण के बाद कम आय-वर्ग के कर्मचारियों को कोई हानि न पहुंचे । उनकी आय तथा अन्य सुविधाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

हमें अपने तट-दूर तथा तटीय क्षेत्रों में तेल की खोज के कार्य गति तेज करनी चाहिए सोवियत संघ, अमरीका आदि के विशेषज्ञों द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह सिद्ध हो गया है कि केरल समुद्रतट तथा अन्य स्थानों पर बड़ी मात्रा में तेल मिलने की आशा है । वहां तेल निकालने का काम तुरन्त शुरु कर दिया जाना चाहिए । इससे देश का तेल-उत्पादन बढ़ेगा, हमारे देश के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा हमारी अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : पहले तो मैं इस आलोचना का उत्तर देना चाहूंगा कि बर्माशेल ने अपनी बहुत सी सम्पत्ति को बेच डाला और उसका अधिग्रहण करते समय हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया । वस्तुतः जब भी हमें यह पता लगा कि कोई विदेशी तेल कम्पनी अपनी सम्पत्ति बेच रही है चाहे वे शोधन शाला हो अथवा वितरण संबंधी संस्थान, तो हमने उसमें हमेशा तुरन्त हस्तक्षेप किया । हमने उसे रोका अथवा उसकी गति बहुत धीमी की । मैं मानता हूं कि कई बार उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी क्योंकि आखिर देश के कानून के अनुसार कोई नागरिक अथवा कम्पनी अपनी सम्पत्ति चाहे जिस प्रकार बेच सकती है । उन्हें मालूम हो गया था कि कुछ होने वाला है और इसके साथ ही सरकार तथा उनके बीच चातुर्य का एक संघर्ष आरंभ हो गया । तो भी हमारा दावा है कि हम काफ़ी हद तक उन्हें सम्पत्ति बेचने से बना रखने में सफ़ल हुए हैं । श्री शशि भूषण ने जिस घटना का उल्लेख किया है उसकी जानकारी मुझे भी कुछ ही दिन पूर्व मिली थी परन्तु मैं इस संबंध में अधिक जांच नहीं कर पाया हूं तथापि मेरे विचार से बातचीत के दौरान इन बातों पर भी ध्यान दिया गया था ।

कुछ सदस्यों ने बड़ी कृपा करके मुझे व्यक्तिगत ढ़ंग से इस विधेयक के लिए बधाई दी है । मैं 10 वर्षों, के बाद या इस समय किये गये किसी कार्य के लिए बधाई का पात्र नहीं हूं । यह तो सरकार

की नीति हैं जोकि संसद् की ओर से देश के मामले चलाती है और उसी को इसका श्रेय अथवा आलोचना प्राप्त होनी चाहिए। यदि तेल की खोज के लिए अथवा ऐसी नीति का सृजन करने के लिए जो संसद् को पसन्द आये, इस मंत्रालय को श्रेय मिलता है तो निश्चय ही इस श्रेय की अधिकारी सरकार तथा उसका नेतृत्व करने वाले को जाता है।

पंडित नेहरू ने सर्वप्रथम यह सोचा था कि तेल की खोज का कार्य तथा तेल का उद्योग संसद् के नियंत्राणधीन होना चाहिए। मैं तो केवल सरकार की नीति को क्रियान्वित करने का माध्यम हूं। इस क्षेत्र में जो कुछ हुआ है यह देश के नागरिकों, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तकनीशियनों तथा नेतागणों के परिश्रम का फल है। मैंने तो केवल सरकार के कतिपय निदेशों का पालन किया है।

I would like to reply to the points of Shri Mohd. Ismail in Hindi since he made his points in Hindi. He has said that this company has been making enormous profits by selling the refined oil to us at much higher prices than what it paid for crude oil. The fact remains that these foreign oil companies have been dealing in oil business for more than fifty years in different countries and they have developed certain specific relations with those countries from where they might be able to procure crude oil at very cheap rates than the prices of oil depend upon or vary according to the quantity of oil available in a particular area ort a well. And thereafter they refine the crude oil.

Today we are spending Rs. 1050 crores in the form of foreign exchange for importing oil. Now we have to spend more for the purchase of oil because of price spurt in the international market. We are trying to deliver maximum goods to our countrymen.

Burmah Shell refinery is capable of refining 6 million tonnes of oil. We have however fixed the target of 3·75 million tonnes as we are not in a position to pay the prices of 6 million tonnes of crude oil. We have given an amount of Rs. 27·75 crores for the distributing units and Rs. 9·25 crores for the refinery. This is a very reasonable compensation We will also try to set up a refinery at Bombay capable of 60 lakhs tonnes of oil. We have undoubtedly entered into a satisfactory deal for taking over Burhmah Shell company.

So far as employees of the company are concerned, they will continue to remain in service. All types of employees, whether they are permanent or temporary will continue to be in service irrespective of their category.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : You have not specifically mentioned whether all permanent, temporary and casual employees will continue in service ?

Shri K. D. Malaviya : I have stated the term "employee" which includes all temporary or casual employees.

Shri S. M. Banerjee : Casual employee is not turned as "employee".

Shri K. D. Malaviya : There will be no retrenchment. Their conditions of service will continue to be the same as before. I have already given this assurance.

कालटेक्स के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं। मुझे आशा है कि दोनों पक्षों के बीच शीघ्र ही कोई संतोषजनक समझौता हो जायेगा।

कहा गया है कि इस व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हाल में तेल नीति में संशोधन किया गया है। ऐसी बात नहीं है। समाज के लिए इसे उद्देश्यपूर्ण तथा उपयोगी बनाने की दृष्टि से वर्तमान परिस्थितियों में इसका अधिग्रहण कर लिया जाना चाहिए। तेल की खोज के बारे में कहा गया है कि हम तेल प्राप्त करने के लिए पर्याप्त खोज नहीं कर रहे। हम पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र में तेल की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। कहा गया है कि केरल तट पर कई ऐसे बेसिन हैं जहां तेल की खोज के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। ज्योंही हमें वहां पहुंचने के लिए भूकम्पीय जहाज मिल जाएगा। हम तत्काल ही अपना कार्य शूरू कर देंगें। आशा है कि इस दशक के अंत तक अथवा वर्ष 1980 के शुरू में हम अपनी शोधनशालाओं के लिए कच्चे तेल के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेंगे। हमारी शोधनशालाओं की क्षमता तीव्रता से बढ़ रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि बरमा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रब्युटिंग कम्पनी आफ़ इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत में जिन पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण और विपणन किया जाता है उनका समन्वित वितरण और उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत में बरमा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रब्युटिंग कम्पनी आफ़ इंडिया लिमिटेड के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंड वार चर्चा करेंगे। प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 5 to 8 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि खंड 9 से 20, प्रथम अनूसूची, द्वितीय अनूसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम, विधेयक के अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 9 से 20, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 9 to 20, the first Schedule. the Second Schedule, clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

श्री के० डी० मालवीय : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

Committee on Private Members' Bills and Resolutions

58वाँ प्रतिवेदन

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad) :

I move:—

" That this House do agree with the 58th Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 15th January, 1976".

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 58वें प्रतिवेदन से, जो 15 जनवरी, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने सम्बन्धी जाँच आयोग के प्रतिवेदन के बारे संकल्प—जारी

Resolution re. Report of Commission of Inquiry into the disappearance of Netaji Subhash Chandra Bose— contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री समरगुह द्वारा 11 अप्रैल, 1975 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे :—

> "यह सभा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने सम्बन्धी एक-सदस्यीय जांच आयोग के प्रतिवेदन में विशेषतया पृष्ठ 7, 16, 30, 31, 37 124 और 125 पर आयोग के सभापति जस्टिस जी० डी० खोसला द्वारा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणियों की घोर निंदा करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह प्रतिवेदन को जनता में परिचालित किये जाने से पूर्व इन अपमानजनक, विकृत, यथार्थतः असत्य और अनावश्यक टिप्पणियों को प्रतिवेदन से निकाल दे क्योंकि इनसे हमारे देशवासियों की देशभक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और, इस संबंध में हमारी राष्ट्रीय भावना का विचार करते हुए, भारतीय जनता की आकांक्षा की प्रतीक यह सर्वोच्च सभा मातृभूमि के सबसे बड़े क्रांतिकारी भक्त के प्रति, जिसने संयुक्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक चिरस्मरणीय सेनानी की ऐतिहासिक भूमिका निभाई, राष्ट्र की पावन श्रद्धांजलि समर्पित करती है।"

श्री एस० एम० बनर्जी : यह एक विवादास्पद मामला है। मेरे विचार में संकल्प को अगले सत्र के लिए स्थगित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि इस पर अब तक काफ़ी चर्चा हो चुकी है। अतः मैंने सोचा मंत्री को उत्तर देने के लिए कहूं।

[**श्री बसन्त साठे पीठासीन हुए**
Shri Vasant Sathe in the Chair]

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का अद्वितीय स्थान है। देश के प्रति उनकी सेवाएं स्वर्ण उदारों में लिखने योग्य हैं। युवा पीढ़ियों के लिये तो वे अनुश्रुत प्रतिमान बने रहेंगे।

इस संकल्प के अन्तर्गत जिस प्रतिवेदन की चर्चा की गयी है, वह एक सुप्रसिद्ध न्यायाधीश द्वारा की गई गहन जांच का ही परिणाम है। इसके निष्कर्ष अनेक गवाहों के साक्ष्यों तथा उन पर न्यायाधीश के अपने निर्णय पर आधारित हैं। सरकार ने नेताजी की मृत्यु के तथ्यों सम्बन्धी आयोग के आधारभूत निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इस का अर्थ यह नहीं लगाना चाहिये कि सरकार प्रतिवेदन में दी गई सभी बातों का दायित्व अपने ऊपर लेती है।

संकल्प के प्रस्तावक श्री समर गुह ने अपने संकल्प में नेताजी के विरुद्ध उन सभी छोटी मोटी टिप्पणियों को अनुचित माना है, जो इस प्रतिवेदन में दी गई है और सरकार से अनुरोध किया है कि इन बेबुनियाद मनगढ़ंत और गलत टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन में से निकाला जाये।

मैं यह बताना चाहूंगा कि न्यायाधीश ने इस प्रतिवेदन में नेताजी की प्रशस्ति की है और कहा है कि 'नेताजी' ने भारत के इतिहास में इतना अधिक अनन्यतम स्थान प्राप्त किया है जिसकी कोई तुलना नहीं है और उनकी महानता का दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। हमें प्रतिवेदन में इधर उधर से कोई असंगत शब्द अथवा अभिव्यक्ति निकाल कर उसमें से कोई अनुमान या निष्कर्ष नहीं निकालना चाहियें। हमें प्रतिवेदन को समग्ररूप में पढ़ना चाहिये और उसे उचित परिप्रक्ष्य में ही समझने का प्रयास करना चाहिये। उन्होंने नेताजी के बारे में 1945 के बाद अनेक स्थानों और समय समय पर निराधार, गलत और अवांछनीय दंत कथाओं का वर्णन किया है।

इस आयोग का गठन जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत किया गया था और इसने इसी विधान के उपबन्धों के अधीन कार्य किया है। इस आयोग के प्रतिवेदन में काटछांट करना या इसके किसी भाग को निकालना सरकार के लिये उचित नहीं होगा। जो कुछ प्रतिवेदन में दिया गया है वह सब आयोग का अपना मत है। मैं सभा से, विशेषतया उन माननीय सदस्यों से, जो प्रतिवेदन के आलोचक हैं, अनुरोध करता हूं कि हमें न्यायिक जांच पर आक्षेप नहीं करना चाहिये। यह एक मानी हुई परम्परा है कि हम न्यायाधीशों द्वारा दिये गये निर्णय पर टिप्पणियां नहीं करते।

जहां तक संकल्प के अन्तिम भाग का सम्बन्ध है मैं पहले ही कह चुका हूं कि समूचा राष्ट्र नेताजी का ऋणी है। वे राष्ट्र के अग्रणी नेता थे। उनकी देश सेवा से वर्तमान पीढ़ी तथा आगामी पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी।

मैं श्री गुह से संकल्प वापिस लेने का अनुरोध करता, परन्तु वह उपस्थित नहीं हैं। इस लिये मैं सभा से इस संकल्प को अस्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। चूंकि श्री गुह ने इस संकल्प को पेश किया था, इसलिये उन्हें उत्तर देने का अधिकार है। परन्तु वह जेल में हैं, इसलिये उत्तर नहीं दे सकते। यह एक असाधारण स्थिति है। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि इस असाधारण स्थिति को देखते हुए आप विनिर्णय दें कि उनकी सभा में हाजिर होने तक इस संकल्प को स्थगित रखा जाये और उन्हें उत्तर देने का अवसर दिया जाये।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं। श्री गुह गैर-हाजिर हैं, चाहे इसका कारण कोई भी हो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। यदि वह जेल में नहीं होते, तो भी गैर-हाजिर हो सकते थे। इसलिये मैं इस संकल्प को सभा के समक्ष रखता हूं। इसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना सभा का कार्य है। प्रश्न यह है :—

> "यह सभा 'नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने सम्बन्धी एक-सदस्यीय जांच आयोग' के प्रतिवेदन में विशेषतया पृष्ठ 7, 16, 30, 31, 37, 124 और 125 पर आयोग के सभापति जस्टिस जी० डी० खोसला द्वारा नेताजी सुभास चन्द्र बोस

के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणियों की घोर निन्दा करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह प्रतिवेदन को जनता में परिचालित किये जाने से पूर्व इन अपमानजनक विकृत, यथार्थतः असत्य और अनावश्यक टिप्पणियों को प्रतिवेदन से निकाल दे क्योंकि इनसे हमारे देशवासियों की देश भक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और, इस सम्बन्ध में हमारी राष्ट्रीय भावना का विचार करते हुए, भारतीय जनता की आकांक्षा की प्रतीक यह सर्वोच्च सभा मातृभूमि के सबसे बड़े क्रान्तिकारी भक्त के प्रति, जिसने संयुक्त भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में एक चिरस्मरणीय सेनानी की ऐतिहासिक भूमिका निभाई, राष्ट्र की पावन श्रद्धांजलि समर्पित करती है ।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ

The Resolution was negatived.

20–सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE.* IMPLEMENTATION OF 20-POINT PROGRAMME

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): Sir, I move the following Resolution :—

"यह सभा सरकार द्वारा आरम्भ किये गये 20-सूत्री कार्यक्रम की हार्दिक सराहना करती है किन्तु इसका विचार है कि राज्य, जिला, खंड और ग्राम स्तर पर इसकी क्रियान्विति अब तक पूर्णतया संतोषजनक नहीं रही है तथा इसलिये सिफारिश करती है कि इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में सब कानूनी और प्रशासनिक रुकावटों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा तुरन्त आवश्यक कदम उठाये जायें ।"

First of all, I would Congratulate the Prime Minister for briniging forth the 20-point programme before the nation, which is the only remedy for saving the country from the present crisis.

The 20-point programme is a unique instrument to bring social transformation and economic revolution in the country. It should be given full support by all sections of society. Although more than six months have elapsed since the programme was introduced, but no assessment has so far been made as to what extent the objectives of the said programme have been achieved. In this connection a question was asked by me from the Planning Minister, but no specific information was given by him. I would therefore, suggest that a white paper giving full information in regard to the implementation of this programme should be brought out by the Government and placed before the House.

This programme envisages various measures with a view to putting a ceiling on land. But those measures have been challenged in law courts and numerous cases are pending in various high courts and as a result thereof the implementation of the programme is being reitarded. I would, therefore, urge upon the Government to see that all the legal and administrative hurdles in implementing the measures envisaged in the programme are removed and the programme is implemented expeditiously.

I would also like to point out that though ceiling has been imposed on rural land holdings but no ceiling has so far been imposed on urban property. The urban property should also be brought under the ambit of ceiling.

We are committed to socialism . But there is great disparity between the emoluments of high-paid and low-paid employees. This disparity must be removed.

It was also announced by the Prime Minister that Government expenditure would be reduced. But no figures have been made available to us about the economy effected by the States as well as by the Centre. There is still scope for economy in Government expenditure.

A number of employees are being compulsorily retired by the State Governments as well as by the Centre. It has been brought to our notice that some innocent persons have been removed from service while there are undesirable elements still continuing in Government employment. It is therefore necessary that firm criteria should be fixed and definite principles laid down so that innocent employees may not suffer.

The unemployment problem has touched unimaginative heights and the situation is so serious that it may become explosive at any moment. The number of unemployed educated youngmen including engineers and doctors is mounting day by day steps must be taken to solve this problem and Government should make every effort to provide more avenues of employment to the people.

It was stated by the Prime Minister at Chandigarh that she had full sympathy with the farmers. But what is the real position? The prices of agricultural commodities have come down, but there has been no corresponding fall in the prices of manufactured goods and as a result thereof numerous difficulties are being faced by the farmers. There should be an integrated price policy and the prices of agricultural commodities should be linked with those of manufactured articles commonly used by the farmers so that they may not suffer with the downward trend of prices.

So far as road transport is concerned, national route permits are proposed to be issued to the truck operators of various States. The Government should see that justice is done to the truck operators of all the States in the matter of issuing national route permits.

The backward regions of the country which at present have no infrastructure for industries to come up, should be developed expeditiously. Their development should be brought at par with that of the developed regions. More attention should be paid to undeveloped states which are poorer as compared to richer and developed States and more funds should be allotted for their development.

Although certain steps have been taken by the Government for workers participation in some sectors of our economy, but a break through is yet to be made in this field. The Government should see that the needful is done in near future.

It is good on the part of the Government that the property of the smugglers is being confiscated. The Government deserves our congratulations for that.

I appreciate the steps being taken by Government in freeing the agricultural labour of their ancestral debts. The bonded labour which is a curse to the society should also be eliminated forthwith. It is good that house-sites are being allotted to the landless people. I welcome all these steps, but at the same time I would like to point out that more effective steps are necessary for providing required relief to the people. It should be ensured that the directions given by the Government are properly implemented at every stage.

While expressing my highest appreciation and fullest support to the Prime Minister for her 20-Point Programme. I would feel obliged if she replies to the debate on this resolution.

सभापति महोदय : इस संकल्प के सम्बन्ध में श्री इराज्मुद सेकैरा तथा श्री मूल चन्द डागा के संशोधन प्राप्त हुये हैं। वे अपने संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्री इराज्मुद सेकैरा (मरमागोग्रा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प में :—

"हार्दिक सराहना करती है" के स्थान पर "दृष्टि में रखते हुए" प्रतिस्थापित किया जाये और "पूर्णतया" शब्द का लोप किया जाये।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प में "सिफारिश करती है कि" और "इस कार्यक्रम के बीच" निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"संसद् सदस्यों, विधायकों तथा प्रगतिशील संगठनों के सदस्यों को आवश्यक शक्तियां देकर और उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करके" अन्तःस्थापित किया जाये।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : हम माननीय श्री विभूति मिश्र के बहुत धन्यवादी हैं, क्योंकि उन्होंने यह संकल्प ला कर सभा को 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वियन का पुनरवलोकन करने का अवसर प्रदान किया है। हम 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का पूर्ण समर्थन करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि यदि 20–सूत्री कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाए, तो इससे देश में फासिस्टवादी मोर्चा बनाने वाली प्रतिक्रियावादी शक्तियों को समाप्त किया जा सकेगा। हमें यह भी ज्ञात है कि देश में आपात की घोषणा करने के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा आनन्द मार्ग जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों पर रोक लगाई गई है ताकि लोकतंत्रात्मक शक्तियां अपनी भूमिका भली प्रकार निभा सकें और इस कार्यक्रम को सफल बना सकें।

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम मूल रूप से जन साधारण की दशा को सुधारने के लिये लाया गया है। इसीलिये इसमें सामन्तशाही के उन्मूलन पर जोर दिया गया है। यह सच है कि यदि देश से सामान्तशाही को समाप्त किया जाता है, तो हमारे समाज की तसवीर ही बदल जायेगी। इस से समाजवाद को बल मिलेगा। इस कार्यक्रम में एकाधिकार को समाप्त करने की बात भी शामिल की गयी है। परन्तु हम महसूस करते हैं कि इस कार्यक्रम को इससे भी आगे बढ़ना चाहिये था। उदाहरण के तौर पर इससे लोगों को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर देने का आश्वासन दिया जाना चाहिये था। यह कहा गया है कि यह सरकार का उद्देश्य है। परन्तु जनता को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर के लिये कुछ आवश्यक उपाय करना जरूरी है। सबसे पहला उपाय इस दिशा में यह होना चाहिये कि सभी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन सरकार के नियंत्रण में हो। यदि सरकार ने दवाइयां, खाद्य तेल, कपड़ा तथा खाद्य वस्तुएं जैसी आवश्यक वस्तुएं जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध करानी हैं, तो 20-सूत्री कार्यक्रम में कुछ और जोड़ा जाना चाहिये, अर्थात् इन आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों का या तो राष्ट्रीयकरण करना चाहिये अथवा उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिये। यदि सरकार चाहती है कि इस कार्यक्रम के उपयोगी परिणाम प्राप्त हों, तो इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

दवाइयों के उचित वितरण की दिशा में सरकार ने आपात स्थिति की उद्घोषणा तथा 20-सूत्री कार्यक्रम कि घोषणा के छः महीने बाद भी कोई विशेष प्रगति नहीं की है। सरकार जनता को यह आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने में कोई प्रगति नहीं कर पायी है।

जहां तक खाद्यान्न का सम्बन्ध है, इस वर्ष अच्छी फसल होने की सम्भावना हैं। परन्तु अब भी सरकार चावल और गेहूं के आयात पर 700 करोड़ रुपये व्यय कर रही है। हम अधिक वसूली क्यों नहीं कर सकते तथा हम गेहूं और चावल के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर सकते। वर्ष 1974 में खाद्य संकट के समय गेहूं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया गया था। परन्तु जब समय अनुकूल नहीं था। अब समय इसके लिये अनुकूल है। अब ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता ? यदि सरकार राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाये तो इसके अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। परन्तु सरकार इस दिशा में बिल्कुल नहीं सोच रही है ? सरकार जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये अधिकतर आयात पर निर्भर है। यह 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की भावना के विरुद्ध है।

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में कहा गया है कि गरीब लोगों के रहने के लिये मकान की जगह दी जाये। सरकार द्वारा यह पुनर्वास कार्यक्रम कल्याणपुरी तथा खिचड़ीपुर जैसी यमुनापार बस्तियों में आरम्भ किया गया है। परन्तु वास्तव में यह गरीब लोगों के साथ एक मजाक है। रेस कोरस जैसे स्थानों में रहने वाले गरीब लोगों को उनके आजीविका के स्थान से दूर भेजा जा रहा है और मकान के नाम पर उन्हें थोड़ी थोड़ी जगह दी जा रही हैं। जहां पर उन्हें जगह दी जा रही है, मैंने उन स्थानों को देखा है। उन स्थानों पर इन बोर्डों के सिवाय कि यहां मनोरंजन केन्द्र बनेगा, यहां बाजार बनेगा आदि और कुछ नहीं है। सरकार को पहले वहां दुकानें बनानी चाहियें और तब वहां लोगों को बसने के लिये कहा जाना चाहिये। मकान बनाने के लिये इन लोगों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। बाजार, स्कुल, मनोरंजन पार्क आदि मुल सुविधायें देने के बाद ही इन लोगों को वहां भेजा जाना चाहिये।

20-सूत्री कार्यक्रम से यह भी समझा जाता है कि जो लोग इसे क्रियान्वित करना चाहते हैं, उनका सहयोग प्राप्त किया जायेगा। परन्तु दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं किया गया है। कोई भी लोकप्रिय समिति नहीं बनाई गई है। स्वेच्छा प्रकटन योजना चोर बाजारी करने वालों के सामने आत्म समर्पण है। सरकार ने इस प्रकार काला धन एकत्र करने वालों को बोनस दिया है और दूसरी ओर मजदूरों को बोनस देने से इंकार किया है।

20-सूत्री कार्यक्रम में बन्धित श्रम को समाप्त करने पर जोर दिया गया है। मध्य प्रदेश में बन्धित श्रम पद्धति उत्सादन अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। कुछ लोगों ने सोचा कि इसका प्रचार करना जरूरी है। अत: जब वे लोगों को इस बारे में बताने के लिये ग्रामों मे गये, तो उन्हें जमींदारों द्वारा पकड़ लिया गया, उनके सिर के बाल कटवा दिये गये तथा गधों पर बिठाकर उनका जलूस निकाला गया। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस कार्यक्रम में बाधा डालने वालों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर रोक लगा दी गई है। मैं गृह मन्त्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि विजय बैंक की यूनियन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हाथ में है और उसके 90 प्रतिशत कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बन्धित हैं।

मैं माननीय मन्त्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस यूनियन, जो जनसंघ नियंत्रित बी०एम०एस० से सम्बन्धित है, के संयक्त सचिव गिरफ्तार हैं। यह व्यक्ति छुट्टी पर जेल में है जो बैंक ने दी है। एक अन्य युनियन नेता भी, जो भूमिगत है, बैंक द्वारा दी गई छुट्टी पर है। क्या इसी तरीके से आपात स्थिति तथा 20–सूत्री कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है?

20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सरकार नौकरशाही पर बहुत अधिक निर्भर कर रही है। जब तक सरकार प्रत्येक स्तर पर और विशेषकर आधारभुत स्तर पर, जिसमें इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में रुचि लेने वाले लोग शामिल हैं, प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य नहीं करती तब तक इस कार्यक्रम के सफ़ल कार्यान्वयन की कोई गारण्टी नहीं है।

यह कार्यक्रम एक इच्छा को गारण्टी है लेकिन इसके सफ़ल कार्यान्वयन के लिए संगठित तथा प्रजातांत्रिक गारण्टी चाहिये। लेकिन सरकार ने अभी तक संगठित एवं प्रजातांत्रिक गारण्टी नहीं दी है। यह एक भारी कमी है और सरकार को इसे दूर करना चाहिये।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : There has been all-round improvement in the country after the declaration of the emergency and the announcement of the 20-Point Programme. Production in various sectors has gone up and prices have come down. Although the implementation of the Programme is going ahead, the pace of immplementation is slow at the village, block and district levels. There is need to step up the tempo of implementation at these levels.

There are wide regional disparities in the country. Under this programme more attention should be paid to develop backward areas so that regional disparities are eliminated.

A number of schemes are being implemerted in various sectors of our country. But the implementation is going at a slow pace. While implementing the 20-Point programme emphasis should be laid on quickining the pace of execution of these schemes which are already in hand. Gandak Project in Bihar has been under execution for the last 15 years. The cost on this project has gone up to 200 crores in place of Rs. 64 crores originally. Thus country is suffering loss. The land acquired for the purpose is lying as it was. In case this land is cultivated even without irrigation facilities, lakhs of mounds of foodgrains could be produced Because of delay in its implementation its cost has gone up. Such projects should be completed without any loss of time.

North Bihar is a backward area. There is wide-spread unemployment there. Per *capit* income of this area is very low. Per *capita* consumption of electricity is also low Special attention should be paid towards development of backward areas. There should be an integrated approach for the development of all regions of the country.

New branches of banks are being opened in the backward areas. While these branches are being opened steps should be taken to ensure that the poor and backward people are really helped by the banks.

The police and officers of the Supply Department are misusing the power they have got under the emergency. These officers, who abuse these powers, should be given stringent punishment.

There has been partial success in the implementation of the 20 point economic programme. An integrated plan for the development of all the areas of the country should be drawn up to achieve full success in the implementat on of the programme.

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया): मैं सभा को बताना चाहता हूं कि एक कांग्रेस नेता ने एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताया

गया है । परन्तु ऐसा एक सरकारी संगठन द्वारा किया गया है । मेरे विचार में नेता लोग यह सोचते हैं कि कांग्रेस दल द्वारा जो कुछ प्रकाशित किया जाता है वह सरकार द्वारा किया जाता है । तब इस संसद् का क्या लाभ है ? यहां पर कांग्रेस दल सरकार चलाती है । आप यह सोचते हैं कि चूंकि आप सत्ता में है और बहुसंख्या में हैं अतः दल का निर्णय सरकार का निर्णय माना जाता है । क्या यह सही है ? आप लोगों से 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की बातें करते हैं। आप लोगों को बार-बार बता रहे हैं कि आप उनकी रोजमर्रा की समस्याएं हल कर देंगे ? स्वतन्त्रता के 27 वर्षों के बाद प्रधान मंत्री कह रही हैं कि लोगों की समस्याओं को सुलझाने हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम का गम्भीरता से क्रियान्वयन करना होगा । इतने समय तक क्यों नहीं कुछ किया गया । इस 20 सूत्री कार्यक्रम में बहुराष्ट्रीय उत्पादक संघ अथवा एकाधिकारियों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है। कार्यक्रम में जमींदारों के विरुद्ध भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जो अपनी परती भूमि रखे हुए हैं और बेइन्तहा धन कमा रहे हैं । परन्तु घोषणा की गई है कि अब और अधिक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा और यह दावा किया गया है कि लोगों के सहयोग से यह 20 सूत्री कार्यक्रम सभी समस्याएं हल कर देगा ।

सरकार ने घोषणा की है कि कारखानों के कार्यकरण में श्रमिकों का सहयोग लिया जायेगा। लेकिन मिलों के मालिक अपने कारखाने बन्द कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप श्रमिक बेरोजगार होते जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है । पश्चिम बंगाल में कुछ मिलें बन्द कर दी गई हैं और वहां के श्रमिकों को भूखे रहने की नौबत आ गई है । सरकार मजदूरों की सहायता हेतु कुछ नहीं कर रही है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तक भूमि वितरण का सम्बन्ध है क्या 'खास' अथवा बेनामी भूमि का समुचित रिकार्ड किया गया है ? नेशनल सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट से पता चलता है कि भूमि की मौखिक जांच पड़ताल की गई है और इस आधार पर सरकार यह निर्णय करने जा रही है कि बड़े जमींदारो के पास कितनी भुमि है और भुमिहीन कृषि श्रमिकों के बीच बांटने के लिए कितनी भूमि उपलब्ध है। बिहार में रिकार्ड से पता चलता है कि वहां पर कोई फ़ालतू अथवा बेनामी भूमि नहीं है परन्तु 10 जनवरी को 'सर्चलाइट' में प्रकाशित एक समाचार से पता चला है कि वहां के एक बड़े जमीदार ने लगभग 2000 से 3000 एकड़ भूमि अवैध रूप से बेची है । मजिस्ट्रेट ने इसे झूठा अथवा अवैध ठहराया है। पश्चिम बंगाल में भूमि वितरण के लिए कांग्रेस के लोगों ने भूमि समितियां बनाई हैं। स्वयं बड़े जमींदार है। इन लोगों ने अपने सम्बन्धियों के बीच 'खास' भूमि बांटी है ।

जहां तक कृषि मजदूरी का सम्बन्ध है, निर्धारित न्युनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं किया गया है । रजनी पाल दत्त ने 'इंडिया टूडे' में कहा है कि ब्रिटिश राज्य से पहले देश में कोई भी किसान भूमिहीन नहीं था और अब क्या स्थित है । ग्रामीण लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। वे भूमिहीन और बेघरबार हो गये हैं और विवश होकर वे बंधुआ श्रमिक बन गये हैं। वे सूदखोरों के गुलाम बन गये । हमें इस बात का अध्ययन करना है कि इसका आर्थिक आधार क्या है । जब तक मूल कारण, जिनकी वजह

से विवश होकर ग़रीब लोगों को स्वयं को महाजनों के हाथ सौंपना पड़ा, का पता लगाकर उन्हें दूर नहीं किया जाता तब तक कोई हल नहीं निकल सकता।

4 हैक्टेयर से अधिक भूमि वाले भू-स्वामियों, जो स्वयं खेती नहीं करते, की अतिरिक्त भूमि सरकार को अपने हाथ में ले लेनी चाहिये तथा उसे भूमिहीन किसानों, आदिवासी लोगों तथा अनुसूचित जातियों के लोगों में बांट देनी चाहिये। कृषकों को सिंचाई सुविधाएं, उर्वरक खरीदने के लिए ऋण, अच्छे बीज इत्यादि उपलब्ध कराये जाने चाहिये और इसी प्रकार हमें ग्रामीण जनता का सहयोग प्राप्त हो सकता है, उनमें वास्तविक भावना जागृत हो सकती है और बेरोजगारी दूर करने का भी यही एकमात्र तरीका है। लेकिन सरकार इस नीति का अनुसरण नहीं कर रही। यह जनता का दमन कर रही है और उन्हें सहयोग देने के लिए कह रही है।

पगवाश सम्मेलन में हमारी प्रधान मंत्री ने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में न्याय दिया जाना चाहिये अन्यथा विश्व में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। यदि यह सच है तो हमारी सरकार इस बात को देखे कि सरकार यहां पर लोगों से न्याय करे, प्रत्येक व्यक्ति को या तो भूमि या काम मिले, रहने का अधिकार हो और भूखे मरने के लिए मजबूर न किया जाये। यदि ऐसा नहीं होता तो समस्या हल नहीं होगी।

Shri M. C. Daga (Pali) : The 20-Point Economic Programme aims at giving economic justice to the people. It will strengthen democracy in our country. The real question is the implementation of the programme. First important thing for proper implmentation of the programme is an efficient administrative machinery, which should be sympathetic to the problems faced by the poor people. At present our administrative machinery is indifferent to the difficulties of the common people. The first thing the Government should do is to ensure that the poor people get justice from officers like collectors, tehsildars and also from civil courts.

In the rural as well as urban areas there are a handful of influential people who do not allow justice to be meted out to the poor. Even the police is in collusion with these well-to-do people and cares a fig for the difficulties of the Common man. The Ministers should go incognito to find out whether common people are getting justice or not. Every effort should be made by the Government to see that our administrative machinery is at tuned to the needs of the changed situation and has a soft-corner for the common people. Local M.Ps and M.L.As. should be given certain powers to help the administration in the implementation of the 20-point programme.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. SPEAKER IN THE CHAIR

The corrupt officials in our administration should be weeded out. Collectors and police officials should be instructed to pay immediate attention to the difficulties of the Common people and take steps to redress their grievances.

At present it is difficult for a common man to get loan from a bank. He has to give bribe to get a loan. The Government should open more and more branches of barks for making credit easily available to the small people. This will help in loosening the strangle hold of money-landers on these people.

So far as cooperatives are concerned, these are also under the control of big people. There has been bungling of crores of rupees but not a single case has been registered. Land ceiling Act was passed in 1959 in Rajasthan but no land has so far been given there. The members of the committees formed in this regard are also big men.

We should not attach too much importance to the publicity of 20-point programme. Instead miseries of the poors should be attended to.

Government should utilise the unearthed black money an power and irrigation. Contractors were engaged by the Government to build houses for the poor. They build inferior houses and save money for thier own use. The Government should give money direct to the people for whom the houses are to be built, so that they could build cheap houses for them selves.

20-point programme should be implemented whole-heartedly that will be possible only if our administration is responsive to the needs of the common people.

श्री इराज्मु द० सेकैरा (मारमागोआ): 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ प्रचार किया जा रहा है लेकिन इसे सही रूप से कार्यान्वित करने के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यह बात इसी तथ्य से सिद्ध होती है कि जब हमने इस पर चर्चा शुरू की है तो आर्थिक मन्त्रालय की ओर से एक भी वरिष्ठ मन्त्री सदन में उपस्थित नहीं।

कहा गया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के मार्ग में कानूनी और प्रशासनिक बाधायें समाप्त की जानी चाहियें। पहले कार्यक्रमों की क्रियान्विति के मार्ग में कौन कौन सी प्रशासनिक और कानूनी बाधायें हैं। एक भी बाधा नहीं है। आज एक ही आधारभूत तथ्य है कि सरकार इसे कार्यान्वित नहीं कर सकी है। सरकार ने यह कार्यक्रम केवल कागजों पर ही बनाया है, जो एक सुहावनी कल्पना मात्र है। इसे क्रियान्वित करना तो एक अलग बात है। 20 सूत्री कार्यक्रम इस तथाकथित आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद ही लाया गया है जबकि इस सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला था। यह जो कुछ हो रहा है वह लोगो का ध्यान सरकार के कार्यकाल की समाप्ति की ओर से हटाने का प्रयास है। इस देश की जनता को धोखा देने का प्रयास करते रहने की दृष्टि से सरकार यह कार्यक्रम लाई है जिसे वह क्रियान्वित नहीं करना चाहती है, ऐसा मेरा विचार है क्योंकि इस सरकार ने पहले कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं किया था जिनके लिये नई कांग्रेस ने अपने जन्म से आज तक देश के सम्मुख शपथ ली थी।

देश के लोगों का जीवन बेहतर बनाने वाले उद्देश्यों के बारे में कोई व्यक्ति विवाद नहीं खड़ा करता है। यदि इस कार्यक्रम पर 1971 में सदन के सत्र के प्रथम सप्ताह में ही चर्चा की गई होती तो मुझे प्रसन्नता होती। तब चर्चा कुछ सफल रहती। आज केवल देश के लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास मात्र ही है।

Shri Vasant Sathe (Akola): I hoped that opposition members would offer some concrete suggestions for the implementation of 20-point programme but no worthwhile suggestion came from that side.

20-point programme does not belong to the ruling party alone. In fact, it is a national programme. There fore, it deserves cooperation from all sections of Society.

We should create a political cadre with as many persons as there are districts in the country, for the implementation of 20-point programme. Each person should be made responsible to see that this programme is implemented in his district that man should be vested with necessary adminstrative powers so that he could receive cooperation from the departments concerned. He should be made responsible and answerable for non-implementation of this programme. We may require 362 Competent persons of integrity and charactor for this purpose. They could be designated as Programme Implementation Commissioners.

It is also necessary for us to find out the reasons for the delay in the implementation of the programme. For instance, the land ceiling programme could not be implemented with desired speed. The reason is that the Committees for med to implement the programme have many members with vested interest on land. They put obstacles in the implenmentation of this programme since their lands were affected.

We are uprooting the poor instead of providing house sites to them and they are being sent miles away from their place of work. They are being put to serious difficulties. There is no use of alienating the urban poor. It might create an explosive situation some day. This should be taken note of by the Government.

No doubt, Government want to liquidate the debts of the landless labour and provide them with legal aid, but no concrete steps have been taken to set up any machinery for implementing the same. We should appoint people's Committees for legal aid in every village which could help and guide the poor.

Government should set up a cadre of politcal party for implentation and National Marketing Organisation for Essential commodities. Such an arrangement will benifit both producer and the consumer.

अध्यक्ष महोदय : इस संकल्प के लिये दो घंटे का समय रखा गया था, जो पूरा हो चुका है। सभा की इस बारे में क्या राय है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : यह क महत्वपूर्ण संकल्प है। मेरा विश्वास है कि सभा इसका समय एक घंटा बढ़ाने के पक्ष में है।

कुछ माननीय सदस्य : दो घंटे।

श्री के० रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस संकल्प के लिये निर्धारित समय के 2 घंटे और बढ़ायें जायें।"

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :–

कि इस संकल्प के लिये निर्धारित समय को 2 घंटे और बढ़ाया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

We should establish national marketing organisation for encouraging cottage and small industries like poultry, piggery, hand crafts and agro-industries so that the products of the above industries could be marketed by them. This will not only help the cottage and small industries but will also create more employment for the rural youth. We might include retailers and whole-sellers in the organisation.

[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए
SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the Chair*]

The Cottage and village industries should be modernised with introduction of power and modern machine tools etc. This would go a long way in raising the standard of living of the poor artisan in our villages. Effective steps should be taken to decentralise all the productive work. This alone would achieve successful implementation of this 20-point programme. We should give priority to the economic programme in the interest of all-around development of rural areas.

Shri Ramavatar Shastri (Patna): This resolution relates to the 20 point programme. I am confining myself to the problems of weavers. The problem of weavers is not only confined to the district of Bhagalpur but it is an all India problem. It is not known what solid steps have been taken to solve the problems of weavers under the economic programme that is placed to before the people. Measures should be taken to see that weavers get yarn easily and at cheap rates. The Governments should make arrangements to purchase their cloth.

Big committees consisting of about hundred members or so have been constituted at the district and state level in order to implement the 20 point economic programme. Such big

committees will not prove very much effective and therefore smaller committees should be constituted and vested with adequate powers to control the bureaucracy. Implementation Committees should consist of members belonging to all parties and they should be made more effective.

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): This programme was placed by the Prime Minister before the nation at a time when pro-capitalist reactionary forces were weakening the country.

इसके बाद लोक सभा सोमवार, 19 जनवरी, 1976 / 29 पौष, 1897 (शक) के 11 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, January 19, 1976/*Pausa* 29, 1897 (*Saka*).

GMGIPND—LS III—2390 LS—2-6-76 200.